Par. S. 17. II. 13. 53
285

अंक २

संख्या १३

सत्यमेव जयते

शनिवार

१८ अप्रैल, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १——प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ३१७९——३२२१]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ३२२१——३२३६]

(मूल्य ४ आने)

226 P.S.D.

लोक सभा

शनिवार, १८ अप्रैल, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भाखड़ा-नहर-प्रणाली

*१४१२. **डा० राम सुभग सिंह** : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भाखड़ा नहर प्रणाली से सिंचाई के लिये पानी कब मिलने लगेगा ?

(ख) भाखड़ा नहर-प्रणाली की मुख्य नहर की लंबाई क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) लगभग मई १९५४ तक ।

(ख) १०८ मील ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि अब तक नहर प्रणाली का कितने प्रतिशत भाग खोदा जा चुका है और क्या काम सूची के अनुसार चल रहा है ?

श्री हाथी : हां, श्रीमान्, प्रायः सभी नहरें खोदी जा चुकी हैं । काम सूची के अनुसार आगे बढ़ रहा है । केवल भीतरी प्लास्टर बाकी है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या माननीय मंत्री यह बताने की स्थिति में हैं कि नहर-प्रणाली की शाखाओं की लंबाई क्या है और उन से कितने एकड़ जमीन की सिंचाई होगी ?

श्री हाथी : जैसा मैं ने बताया, मुख्य नहर की लम्बाई १०८ मील है और शाखायें लगभग ४४२ मील लम्बी हैं। सींची जाने वाली भूमि लगभग ५० लाख एकड़ होगी ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, उस क्षेत्र में, मई, १९५४ तक पानी के उपलब्ध हो जाने की दृष्टि में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने नहर की पानी-दर जोड़ी है ?

श्री हाथी : मेरी जानकारी यह है कि पंजाब ने दर जोड़ ली है। पैप्सू और राजस्थान जोड़ने के लिये पग उठा रहे हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : वह पानी-दर क्या है—क्या यह वर्तमान दर के समकक्ष ही है, या उस से अधिक ?

श्री हाथी : यह पंजाब सरकार का विषय है—मैं जानकारी प्राप्त करूंगा

कोयले धोने के कारखाने

*१४१३. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में कोयला धोने के कारखाने खड़ा करनेका प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

(ख) कौन-कौन बातें कोयला-बोर्ड के विचाराधीन हैं ?

(ग) प्राकृतिक कोयले की अपेक्षा धुले हुए कोयले में क्या लाभ रहता है ?

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार कोयला धोने के कारखाने स्थापित करने, धुलाई-संयंत्र खरीदने और लगाने, और विभिन्न श्रेणियों के कोयले की धुलाई की लागत को पूरा करने के लिये कुछ वित्तीय या अन्य सहायता देती है ?

(ङ) कोयला धुलाई के कारखाने बन जाने के बाद कोयले के वर्तमान दाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) कोयला बोर्ड द्वारा भारत में कोयला धोने के कारखाने स्थापित करने से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार कर के प्रतिवेदन देने के लिये एक कोयला धुलाई कारखाना समिति बैठाई गई है ।

(ख) समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् बोर्ड अपने प्रस्ताव तैयार करेगा ।

समिति के निर्देश-पद सदन पटल पर रखे जाते हैं । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४६**]

(ग) धुलाई कोयले की राख कम कर देती है और एक रूप ताप-क्षमता दे कर प्रकार में सुधार कर देती है ।

(घ) सरकार द्वारा वित्तीय या अन्य कुछ सहायता देने के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है ।

(ङ) यह उन बातों में से एक है, जिन पर कोयला धुलाई-कारखाना समिति विचार करेगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि कोयले के लिये निश्चित दाम के अलावा धुले हुए कोयले पर एकरूपता संबंधी अधिभार कितना है ? आज कल यह किस दर पर लगता है ।

श्री के० सी० रेड्डी : एकरूपता अधिभार कोयले के दाम के ऊपर लिया जाता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन धुलाई कारखानों की स्थापना में कितना समय लगने की संभावना है ?

श्री के० सी० रेड्डी : जैसा मैं ने बताया, हम इस उद्देश्य से बनाई गई समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं । समिति का प्रतिवेदन तैयार होते ही कोयला बोर्ड इस पर विचार करेगा और सरकार के पास अपनी सिफारिश भेजेगा । तत्पश्चात् सरकार इस विषय में आवश्यक पग उठायेगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार द्वारा इस विषय में अब तक कोई प्राक्कलन तैयार किया गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : सरकार द्वारा कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है । यह तो तथाकथित समिति द्वारा किया जायेगा ।

श्री बर्मन : इस योजना के पूर्णतः चालू हो जाने पर धातुकार्मिक कोयले में कुल कितनी बचत होगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : कोई निश्चित आंकड़ा बता सकना बहुत कठिन है ।

चमड़ा रंगाई अनुसंधान संस्था

*१४१४. **श्री बहादुर सिंह** : (क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हमारे देश में चमड़े की रंगाई करने और उसे सुधारने का ही अनुसंधान करने वाली कोई संस्थायें हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कहां स्थित हैं;

(ग) १९५२ वर्ष में निर्यातित सुधारे गये चमड़े की मात्रा क्या थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) अनुसन्धान संस्थायें मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और जालंधर में स्थित हैं।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४७**]

श्री बहादुर सिंह : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि उन अनुसंधानों के परिणाम छोटे-मोटे संसाधनों वाले चमड़े के निजी रंगरेज़ों को किस प्रकार बताये जायेंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे भय है कि इस प्रश्न का उत्तर देना कुछ कठिन है। इन में से एक संस्था केन्द्रीय चमड़ा अनुसन्धान संस्था है, जो हाल ही में खोली गई है। इस पर किये गये अनुसन्धान--मौलिक तथा व्यवहारिक—के परिणाम जो भी पूछे उसे बताये जा सकते हैं। शेष चार संस्थायें राज्य-सरकारों द्वारा चलाई जाती हैं उन का काम अंशतः लोगों को प्रशिक्षण देना और अंशतः अनुसंधान-परिणामों को लोक-प्रिय बनाना है, और मुझे यह भरोसा है कि जानकारी चाहने वाले चमड़ा-रंगाई-कारखाने जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।

श्री बहादर सिंह : क्या ऐसे अनुसंधान करने के लिये सैन्य-अधिकारियों का कोई पृथक् संगठन है या वे इसके लिये असैनिक अधिकारियों पर निर्भर रहते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं उक्त प्रश्न के लिये पूर्वसूचना चाहूंगा।

श्री टी० एस० ए० चेटियार : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने अनुसन्धान की ऐसी बातें चुनने के लिये कोई प्रबन्ध किया, है, जो गृहोद्योगों के लिये उपयोगी हों जिस से वे उन का प्रभावी उपयोग कर सकें ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस विषय पर विचार किया जायेगा। ये परिणाम मंत्रालय के उद्योग भाग के पास उपलब्ध हैं। महत्वपूर्ण बातों को चुन कर उस क्षेत्र में काम करने वालों में वितरित कर दिया जायेगा।

श्री एम० डी० जोशी : मैं जान सकता हूं कि इन संस्थाओं में अब तक कितने लोगों को प्रशिक्षित बनाया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं पूर्व सूचना चाहूंगा। दोनों प्रश्न (१४१५ और १४१६) बहुत कुछ एक से हैं। प्रश्न संख्या १४१६ रखने वाले माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं। क्या मैं दोनों का उत्तर एक साथ दे दूं ?

डा० राम सुभग सिंह : वह यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : तब मैं १४१५ का उत्तर दूंगा।

सूती धागे का निर्यात

*१४१५. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने १९५३ वर्ष में सूती धागे के निर्यात की अनुमति देने का निश्चिय किया है;

(ख) यदि सच है, तो इस निश्चय तक पहुंचाने वाली परिस्थितियां क्या हैं;

(ग) क्या इन के निर्यात की कोई सीमा रखी गई है, और यदि हां, तो कितनी; तथा

(घ) निर्यातकों से कुछ आवेदन मिले हैं, और यदि मिले हैं, तो कितने ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां।

(ख) मांग तथा पूर्ति की स्थिति का और मिलों में भंडार का संचय हो जाने की स्थिति का निर्धारण करने के कारण।

(ग) निर्यात सम्बन्धी नियतन मिलों के उस कुल निकास के अनुसार किये जाते हैं, जो १९५२ के पत्रीय वर्ष में आंतरिक खपत के लिये उन की सूत के धागे विषयक प्राप्ति से सम्बन्धित हैं। इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, जून, १९५३ के समय में लगभग २६००० गांठों के निर्यात के लिये अनुज्ञा पत्र प्रदान किये जायेंगे।

(घ) इस योजना के अन्तर्गत लगभग २०० मील निर्यात के लिये नियतन करने के अधिकारी होंगे। नियतन के समक्ष निर्यात मिलों द्वारा या उन के नामनिर्देशित व्यक्तियों द्वारा किए जा सकेंगे। अब तक १०५ मिलों को नियतन-पत्र भेजे जा चुके हैं।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि १९५२-५३ वर्ष में कुल उत्पादन और आंतरिक खपत कितनी थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कुल उत्पादन के सम्बन्ध में ठीक ठीक आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य को बाद में बता दूंगा। मध्यमान १९५२ की उपज में हथ करघों को प्रति मास उपलब्ध खुले सूत की लगभग ७२,००० गांठें हैं।

श्री एस० एन० दास : देश में मिलों और हथ-करघों की कुल आवश्यकता कितनी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा मैं ने बताया १९५२ में हथ करघों के लिये प्रति मास खुले सूत की लगभग ७२,००० गांठें उपलब्ध थीं। जहां तक मिलों की खपत का संबंध है, मैं पूर्व सूचना चाहूंगा। मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि उपलब्ध धागे की मात्रा क्या है और उस का निर्यात किन देशों को किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : लक्ष्य-स्थान के आधार पर अभ्यंश निश्चित नहीं किये जाते। जैसा मैं ने बताया, अब तक १०५ मिलों को नियतन-पत्र दिये जा चुके हैं और उन में लगभग २२००० गांठों का उपबंध किया गया है। निर्यात के वास्तविक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री को यह बात पता है कि धागे की कमी के कारण समय-समय पर हथकरघा-उद्योग पर भारी प्रभाव पड़ता है? क्या धागे का यह निर्यात उन लोगों को प्रभावित करने जा रहा है या माननीय मंत्री यह कह सकते हैं कि इस निर्यात से उन पर बिल्कुल प्रभाव न पड़ेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : स्थिति यह है कि ये निर्यात-आज्ञापत्र मिलों की भांडार-स्थिति में गुजाइश करने के लिये दिये गये थे। ७-८ महीने तक हथकरघा उद्योग द्वारा उन को न लेने के कारण भंडार इकट्ठे होते जा रहे थे। मिलों के भांडारों को हलका करने के लिये ये निर्यात-अनुज्ञापत्र दिये गये थे। सरकार को अपने मन में पूरा भरोसा है कि हथकरघा उद्योग के लिये धागे की संभरण की स्थिति पर कोई भी प्रभाव न पड़ेगा।

श्री सिंहासन सिंह : क्या सरकार, क्या भारत अब भी विदेशों से कपड़े का आयात कर रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार कपड़े का आयात नहीं करती।

श्री सिंहासन सिंह : मैं ने कहा था भारत।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि निर्यात वाले धागे और आंतरिक खपत वाले धागे के दामों में कुछ अन्तर है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : आंतरिक खपत वाले धागे के सम्बन्ध में दाम नियंत्रित हैं। निर्यात वाले धागे के संबंध में दाम नियंत्रित नहीं हैं ।

नियंत्रित वस्त्र

***१४१७. श्री तुलसी दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२ में वस्त्र के उन प्रकारों का उत्पादन, जिन के विषय में अब तक मूल्य नियंत्रण हटाया नहीं गया है;

(ख) पूर्वकथित प्रत्येक प्रकार की प्राक्कलित वार्षिक मांग; तथा

(ग) १९५२ वर्ष में इन प्रकारों के शुरू तथा आखिर के स्टाक ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). विवरण सदन पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ९, अनूबन्द संख्या ४८]**

(ग) वस्त्रों की इन प्रकारों के शुरु तथा आखिर के स्टाक के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

श्री तुलसी दास : क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि वस्त्र के इन विभिन्न प्रकारों का प्राक्कलित मांग से अधिक उत्पादन होने की दृष्टि में क्या इन पर उत्पादन-नियंत्रण चालू रखना उपयुक्त है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह अपना अपना विचार है ? सरकार माननीय सदस्य से भिन्न दिशा में सोचती है ।

श्री मुनिस्वामी : वे कौन कौन देश हैं, जो पहले भारतीय हथकरघा वस्त्रों का आयात करते थे और अब भारतीय मिलों के वस्त्रों का आयात करने लगे हैं, तथा प्रति देश से संबंधित मात्रा क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

बिस्कुट

***१४२०. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में बिस्कुटों की कुल मांग और उत्पादन;

(ख) बिस्कुटों का वार्षिक आयात और निर्यात और उन देशों के नाम जहां से उन का आयात होता है और यदि कुछ निर्यात होता हो, तो किन देशों को निर्यात होता है; तथा

(ग) क्या भारतीय बिस्कुट निर्माण संघ ने भारत-सरकार से विदेशी स्पर्धा के विरुद्ध संरक्षण की मांग की थी और यदि हां, तो क्या उस दिशा में, कुछ पग उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनूबन्ध सख्या ४९]**

(ग) नहीं श्रीमान् ।

श्री रिशांग किशिग : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि भारतीय बिस्कुट उद्योग ने बिक्री की कमी के कारण ३८००० टन प्रति-वर्ष की उत्पादन क्षमता के आगे गत वर्ष केवल १२,००० टन का ही उत्पादन किया और यदि हां, तो सरकार इस विषय में इस उद्योग की क्या सहायता करना चाहती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार इस स्थिति में नहीं है कि उपभोक्ताओं से अधिक बिस्कुट खाने के लिये कह सके । स्पष्ट ही उत्पादन बहुत कुछ खपत तथा मांग पर निर्भर रहता है । उत्पादन-क्षमता निस्संदेह ३८,००० टन है । मांग में उपभो-

कताओं की क्रय-सामर्थ्य के अनुसार १५ से १२,००० टन तक का अंतर रहता है ?

श्री रिशांग किशिंग : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि सरकार ने निर्माताओं को उत्पादन के प्रकार में सुधार करने में समर्थ बनाने के लिये स्पेशल बिस्कुटों और रोटी बनाने वाली मशीनों के आयात की अनुमति देने का निश्चय किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां, श्रीमान्। एक समय था, जब नई मशीनों को आयात करने और स्थापित करने की अनुमति नहीं थी। सरकार समझती है कि अब उस रोक के बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं है।

श्री एम० डी० रामास्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या मद्रास राज्य में बिस्कुट बनाने के अनुज्ञापत्रों के प्रदान पर लगी हुई रोक अब भी चल रही है, और यदि हां तो क्यों ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने बताया था कि कुछ समय पहले इस के लिये नई मशीनों के आयात पर एक रोक लगी हुई थी। सरकार उस रोक को अब चालू रखने का कोई कारण नहीं देखती।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री उत्पादन में देश के आत्म निर्भर हो जाने और आयात की आवश्यकता समाप्त हो जाने की आशा कब तक करते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस समय प्रकार को बनाये रखने के अतिरिक्त आयात को प्रोत्साहित करने की कोई बात नहीं दिखाई पड़ती। मैं माननीय सदस्य को यह भी बता दूं कि बिस्कुटों के आयात के लिये हम बहुत थोड़ा सा ही अभ्यंश दे रहे हैं। इस पर भी सरकार ने भारी आयात-शुल्क लगा रखा है। हाल में यह शुल्क लग भग शत प्रतिशत हो गया है। यदि कोई व्यक्ति विशेष कोटि के बिस्कुट चाहता है और मूल्य देने को तैयार है, तो सरकार इन बिस्कुटों के आयात पर राजस्व प्राप्त करती है। सारी बात यह है कि प्रकार को बनाये रखा जाय और उच्च कोटि के बिस्कुट इस प्रकार से तैयार किये जायें कि उपभोक्ता को स्थानीय बिस्कुटों के विषय में संतोष आदि हो सके। ऐसा कोई विचार नहीं है कि वर्तमान मूल्यों में मात्रा के नाम पर कोई बात बीच में आ सके।

पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा पर गिरफ्तारियां

*१४२१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच पारपत्र-प्रणाली के प्रारम्भ के बाद से पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा पर पारपत्र-नियमनों का उल्लंघन करने के कारण गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या; तथा

(ख) ऐसे कितने व्यक्तियों के मामले निपटाये जा चुके हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : पूर्वी पंजाब और राजस्थान की पश्चिमी पाकिस्तान से मिलने वाली सीमा पर ९७७। कच्छ, सौराष्ट्र और बंबई राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) ७१२ मामले निपटाये जा चुके हैं, २३८ मामले अभी न्यायालयों में निपटाये जाने को हैं।

डा० राम सुभग सिंह : इन पारपत्र-नियमनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के मामले किन न्यायालयों में निपटाये जाते हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : पारपत्र-नियमनों के अधीन।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि कुछ न्यायालयों ने यह कठिनाई प्रकट की है कि उन को पारपत्र-नियमनों की एक प्रति नहीं दी गई है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमें यह विदित नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं उन व्यक्तियों की संख्या जान सकता हूं जिन की पहिचान और पता जानने के लिये उन को काश्मीर सरकार को सौंप दिया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस का काश्मीर से कोई संबंध नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : वे इस देश में घुस आये थे और फिर तत्पश्चात् वे सौंप दिये गये हैं ।

श्री अनिल के० चन्दा : मैं प्रश्न नहीं समझा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य प्रश्न दुहरा देंगे ?

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह सच है कि पाकिस्तान से बिना पारपत्र इस देश में घुसने वाले किसी भी व्यक्ति को पहचान के लिये काश्मीर सरकार को नहीं सौंपा गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : हमने ऐसा कोई आरोप पहले नहीं सुना । मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसी कोई बात हुई होगी, क्योंकि निश्चय ही मैं तो यह सोच भी नहीं सकता । मुझे पता नहीं, कुछ मामलों में कुछ गलतियां हुई होंगी । पर प्रकट ही यह अनोखा मालूम पड़ता है ।

त्रिपुरा में हथकरघे

*१४२२. **श्री दशरथ देव** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में हथकरघों की कुल संख्या क्या है ?

(ख) त्रिपुरा में हथकरघे के कपड़े का वार्षिक उत्पादन कितना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार ३४,३६८ ।

(ख) लगभग १९ लाख गज़ ।

श्री दशरथ देव : क्या सरकार को विदित है कि इस हथकरघा उद्योग की दशा आज बिगड़ी हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य से यह सूचना ग्रहण किये लेता हूं ।

श्री दशरथ देव : क्या त्रिपुरा नारी समिति द्वारा इस उद्योग के संरक्षण और विकास के विषय में कोई अभ्यावेदन भेजा गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : त्रिपुरा से कोई विशिष्ट अभ्यावेदन नहीं मिला है ।

श्री एम० डी० रामास्वामी : इन हथ-करघों पर वस्त्रों के कौन कौन से प्रकार बनाये जाते हैं और किन किन बाहरी देशों को उन का निर्यात किया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य त्रिपुरा के विषय में पूछ रहे हैं, तो मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री नाना दास : त्रिपुरा के जुलाहों को धागे के किन किन सामान्य काउण्टों की आवश्यकता होती है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं पूर्व-सूचना चाहूंगा ।

सामदायिक योजनाओं का विस्तार

*१४२४. **श्री एन० पी० दामोदरन** : (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृप

करेंगे कि क्या सरकार ने सामुदायिक योजनाओं का नये क्षेत्रों में विस्तार करने का निश्चय किया है, और यदि किया है, तो कितने क्षेत्रों में और कितने राज्यों में ?

(ख) क्या योजनाओं के चलाने के लिये नये क्षेत्रों को चुना गया है ?

(ग) क्या मद्रास राज्य के मलाबार जिले में किसी स्थान को चुना गया है ?

(घ) यदि हां, तो वह कौन स्थान हैं ?

(ङ) नए योजना-क्षेत्र कब काम शुरू कर देंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) (क) से (घ). सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्य संचालन समझौता संख्या ८ के अनुपूरक की कंडिका २ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिस की एक प्रति २५-३-५३ को तारांकित प्रश्न संख्या ९७९ के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में सदन पटल पर रखी गई थी। प्रत्येक राज्य में चुने जाने वाले क्षेत्रों की सख्या के विषय में सभी राज्य सरकारों से आये हुए प्रस्तावों पर विचार करने के बाद निश्चय किया जायेगा।

(ङ) २ अक्टूबर, १९५३ को।

श्री एन० पी० दामोदरन : क्षेत्रों के अन्तिम चुनाव में कितना समय लगेगा ?

श्री हाथी : लगभग २० दिन।

डा० सुरेश चन्द्र : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को हैदराबाद राज्य से कोई प्रतिवेदन मिला है ?

श्री हाथी : जहां तक मुझे पता है अभी तक नहीं।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि राज्य सरकारों को विद्यमान विकास-परियोजनाओं के सहवर्ती क्षेत्र चुनने के लिये निदेश दिया गया है ?

श्री हाथी : नहीं, बिल्कुल सहवर्ती नहीं। उन को वे क्षेत्र चुनने होंगे जो अभी तक नहीं लिये गये हैं, पर वर्तमान सामुदायिक-परियोजना क्षेत्र के निकटवर्ती हो सकते हैं।

योजना सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : मैं स्थिति को थोड़ा सा स्पष्ट कर दूंगा। अभिप्राय यह है कि पहले तो विद्यमान परियोजनाओं के क्षेत्रों को सहवर्ती क्षेत्रों में बढ़ाया जाये, जिस से विद्यमान भू-भागों में नये भू-भाग जोड़े जा सकें, पर यह प्रत्येक मामले में अनिवार्य नहीं है।

श्री नामधारी : क्या सरकार सामुदायिक योजना को हिसार जिले की सिरसा तहसील तक बढ़ाने की ओर विशेष विचार करेगी, जिस से उसे स्थायी दुर्भिक्ष से बचाया जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ से वह क्रिया के लिये एक सुझाव दे रहे हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि किसकी सिफारिश पर सामुदायिक योजनाओं के स्थल चुने जाते हैं, और क्या कोई स्थायी परामर्शदात्री समिति है, जिस से अंतिम मंजूरी देने के पहले परामर्श किया जाता हो ?

श्री हाथी : जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, यह राज्य सरकारों की सिफारिशों पर किया जाता है।

केन्द्रीय गृहोद्योग वाणिज्यालय

*१४२५. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के गृहोद्योग संचालनालय द्वारा केन्द्रीय गृहोद्योग वाणिज्यालय कब से चलाया जा रहा है ?

(ख) वाणिज्यालय किस कारण, कब और समझौते की किन शर्तों पर इंडियन कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड को दे दिया गया था ?

(ग) क्या यह वही संघ है, जिसे फरीदाबाद विकास बोर्ड द्वारा २४ लाख रुपये का ऋण दिया गया है ?

(घ) क्या यह सच है कि यह हस्तांतरण गृहोद्योग से संबंधित विभागीय अधिकारियों के विशेषज्ञ-परामर्श के प्रतिकूल किया गया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अप्रैल, १९४९ ।

(ख) सरकार ने देखा कि वाणिज्यालय का काम संतोषजनक नहीं है, तो वाणिज्यालय १ नवम्बर, १९५२ को इंडियन कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, नई दिल्ली को दे दिया गया। सरकार तथा यूनियन के बीच हुए समझौते की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखी गई है, [**देखिये संख्या एस–३६।५३**]

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) श्रीमान्, मैं नहीं जानता कि प्रश्न किस अधिकारी का निर्देश करता है। किसी भी स्थिति में, प्रश्न का उत्तर नकरात्मक है ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : मुझे विवरण की प्रति नहीं मिली। यह सूचनालय में उपलब्ध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह सूचनालय गये थे ?

श्री एम० एल० अग्रवाल : हां, श्रीमान् ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, इस विषय पर फिर जांच की जायेगी ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : मैं जान सकता हूं कि वाणिज्यालय का काम चलाने के लिये इस यनियन को निर्व्याज ऋणों, अर्थ-सहायताओं या अन्य रूपों में क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य ने सरकार और यूनियन के बीच हुए समझौते को देखा होता, तो उन को सारी सूचना मिल जाती, पर मैं दी जाने वाली सुविधायें बताये देता हूं। हम ने वाणिज्यालय को फरनीचर आदि के समेत जैसे का तैसा यूनियन को दे दिया है और हम ने उन को १,९६,००० रुपये का ऋण भी दिया है, जो १९५६ से सात वर्षों में वापस लिया जायेगा। मेरे विचार से पहले दो वर्षों में इस पर ब्याज न लगेगा, उस के बाद ब्याज लगेगा। श्रीमान्, हमने यह भी मान लिया है कि हम वाणिज्यालय को पहले वष में होने वाले घाटे में १,८०० रुपये तक के भागीदार होंगे और तत्पश्चात् सरकार द्वारा अगले दो वर्षों के लिये निश्चित की गई सीमा तक। मैं यह भी बता दूं कि इस यूनियन द्वारा इस वाणिज्यालय को पिछले चार महीने तक चलाने से ही यह प्रकट हो गया है कि घाटे नगण्य रहेंगे—उन का घाटा कुल ५०० रुपये रहा है। यह पूर्णतः संभव है कि इस विषय में सरकार द्वारा दी गई गारंटी को काम में लाने की जरूरत न पड़ेगी ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या किसी व्यक्ति या दल ने अधिक लाभप्रद शर्तों पर इस वाणिज्यालय का प्रबन्ध चलाने का वचन दिया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : संभव है। एक अस्पष्ट बात चली थी कि एक निजी फर्म इसे बहुत कुछ इन्हीं शर्तों पर लेना चाहती थी। पर सरकार ने वस्तुतः निजी व्यापारियों को इस का संचालन सौंपने के स्थान पर एक सहयोगी संघ द्वारा इस का चलाया जाना अधिक अच्छा समझा ।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि इस वाणिज्यालय का हस्तांतरण एक सहकारी संघ को कर देने से सरकार को क्या लाभ होने जा रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हम अब ऐसी स्थिति में हैं जब सरकार लाभ उठाने के लिये इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहती । हम यह चाहते हैं कि निजी उपक्रमों के लाभ भी कम हो जायें । सरकार ऐसे कामों में किसी लाभ की आशा नहीं करती । लाभ तो एकमात्र वही है, जो देश की अर्थ-व्यवस्था के हित में हो ।

श्री पी० टी० चाको : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि काम किस रूप में असंतोषजनक था ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह निर्देश माननीय पुनर्वास मंत्री द्वारा सदन में बताई गई कुछ अनियमितताओं की ओर था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य के मन में क्या बात है । सरकार के किसी मंत्री द्वारा इस वाणिज्यालय के विषय में कही गई किसी बात का मुझे ज्ञान नहीं है । सच यह है कि हमें प्रति वर्ष २६ से ३७-३८ हजार तक का घाटा पड़ रहा था, और पिछले वर्ष में बिक्री कम हो रही थी । अतः घाटे स्वाभावतः परिमाण में बढ़ जायेंगे । अतः व्यवसाय बढ़ाने और उद्योगों का पोषण करने के लिये बनाई गई इस प्रकार की संस्था की उपयोगिता, जो सरकार के विचार से मुख्य बात है, कम होती प्रतीत हो रही थी और इसी कारण सरकार ने सोचा कि गतिशील शक्ति वाले एक नये ढांचे से शायद हालत सुधर जायेगी और अब तक के परिणाम पूर्णतः संतोषजनक हैं ।

कल्याण शरणार्थी शिविरों के लिये सामुदायिक परियोजनायें

*१४२६. **श्री गिडवानी** : (क) क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कल्याण शरणार्थी शिविर (उल्हास नगर) बंबई राज्य के विस्थापित व्यक्तियों के संगठनों ने सरकार के पास यह अभ्यावेदन भेजा है कि बंबई राज्य की सामुदायिक परियोजनाओं के कल्याण शरणार्थी शिविरों को भी शामिल कर लिया जाए ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अभ्यावेदनों पर विचार किया है और निर्णय क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां ।

(ख) सामुदायिक परियोजनाओं के लिये क्षेत्रों का चुनाव संबंधित राज्य-सरकारों से मिले प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है । उल्हास नगर को अपनी सामुदायिक परियोजना कार्यक्रम में रखने के विषय में बंबई सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

श्री एन० एम० लिंगम : सामुदायिक परियोजनाओं के प्रशासक के तथाकथित इस विचार की दृष्टि में कि ५० प्रतिशत परियोजनायें अपने काम में अनुपात से पीछे चल रही हैं, क्या अब भी सरकार का यह विचार है कि विद्यमान भूभागों के सहवर्ती क्षेत्रों को ही चुना जाये ?

श्री नन्दा : यह अनुमान सच नहीं है । इन परियोजनाओं में होने वाले काम के प्रकार के सम्बन्ध में हमारे हाल के निर्धारण से पता चलता है कि एक बहुत बड़ी संख्या में काम ठीक चल रहा है ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : प्रशासक द्वारा मेरे निकट व्यक्त किया गया विचार यह था कि ९० प्रतिशत ठीक काम कर रहे हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : श्रीमान्, मैं कल के एक प्रेस समाचार का निर्देश कर रहा था ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं प्रधान मंत्री के उन स्रोतों को जान सकता हूं, जिन से उन को पता चला कि ९० प्रतिशत परियोजनाओं में ठीक से काम चल रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : हम फिर पीछे लौट रहे हैं ।

सामाजिक तथा आर्थिक समस्यायें

*१४२८. **श्री बंसल** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या राष्ट्रीय विकास से संबंधित सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओ के विषय में पड़ताल तथा खोज करने के लिये पंचवर्षीय योजना में ५० लाख रुपये का एक उपबंध किया गया है ;

(ख) क्या इस राशि के आवंटन के लिये कोई कार्यक्रम निर्धारित किया गया है; तथा

(ग) यदि हां, तो वे संस्थायें, जिन के द्वारा यह राशि व्यय की जायेगी ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) हां ।

(ख) तथा (ग) विषय विचाराधीन है ।

श्री के० जी० देशमुख : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि यह विषय कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री नन्दा : विषय पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है, और शीघ्र निर्णय होगा ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि यह राशि किस प्रकार व्यय होने जा रही है ?

श्री नन्दा : यह बात इस प्रयोजन से बनने वाले कार्यक्रम पर निर्भर होगी ।

सेठ गोविन्द दास : क्या इस सम्बन्ध में प्रदेश की सरकारों की भी राय मांगी गई है ?

श्री नन्दा : हम ने इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों के विशेषज्ञों से परामर्श किया है ।

इमारती सामानों का उपयोग

*१४२९. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनता के लाभ के लिये इमारती सामानों के पूरे पूरे उपयोग के सम्बन्ध में किये गये मुख्य अनुसन्धानों को प्रकाशित करना चाहती है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : सरकार की नीति सदैव यही रही है कि इमारती सामानों के उपयोग के सम्बन्ध में किये गये अनुसन्धानों को प्रकाशित किया जाये ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या सरकार ने अपने किन्हीं निर्माणों में इन अनुसन्धानों की व्यवहारिक जांच की है ?

श्री बुरागोहिन : श्रीमान्, मेरे विचार से देश की विविध संस्थाओं द्वारा किये गये अनुसन्धानों के परिणामों का निर्माण के प्रभारी इंजीनियर लोग ध्यान रखते हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : जनसाधारण इन अनुसन्धानों से कैसे लाभ उठाते हैं ?

श्री बुरागोहिन : श्रीमान्, इनको समय-समय पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान पत्रिका तथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के वार्षिक प्राविधिक प्रतिवेदन में प्रकाशित किया जाता है ।

श्री के० सी० सोधिया : कितने ग्रामवासी इन प्रकाशनों का उपयोग करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शायद उन का अभिप्राय यह है कि क्या मकान आदि दिखा कर

कोई प्रायोगिक प्रदर्शन किया जाता है या नहीं। शायद वह यही बात कहना चाहते हैं ।

श्री बुरागोहिन : अनुसन्धान के परिणामों के वितरण और उपयोग के इन विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के ही लिये सरकार एक संगठन बनाने का विचार कर रही है, और वह संगठन इस वर्ष के अन्त की ओर खड़ा कर दिया जायेगा ।

चाय अनुसन्धान संस्था

*१४३०. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस समय ऐसी कुछ अनुसन्धान संस्थायें हैं, या ऐसे कुछ प्रदर्शनात्मक तथा प्रायोगिक फार्म हैं, जहां चाय के परीक्षण और चाय उद्योग की अन्य टकनीकों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जाता हो?

(ख) यदि हां, तो वे कहां पर स्थित हैं और उन की प्रशिक्षण क्षमता कितनी है ?

(ग) यदि नहीं है, तो सरकार वैसी एक संस्था कब खोलने जा रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस समय ऐसी कोई संस्था या फार्म खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या वह ऐसा करने की आवश्यकता समझती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वस्तुतः ऐसी कोई भारी आवश्यकता नहीं है । यदि ऐसा होगा, तो सरकार उस विषय में कार्यवाही करेगी ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या सरकार को विदित है कि इस दिशा में यूरोपी फर्मों का एकप्रभुत्व चल रहा ह ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां, श्रीमान्। यह सच है कि कुछ दलाली फर्में इस काम में लोगों को प्रशिक्षण देती हैं मुझे भरोसा है कि वे अपने व्यापार के लिये आवश्यक होने के कारण इस काम के लिये भारतीय प्रशिक्षार्णार्थियों को भी ले रही हैं। यह किसी एकप्रभुत्व का प्रश्न नहीं है । चाय के परीक्षण में लोगों को प्रशिक्षित बनाने के लिये इस प्रकार की कोई संस्था खोलने में किसी को रोकने का कोई प्रश्न नहीं है ।

सं० रा० अमरीका को अभ्रक का निर्यात

*१४३२. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सं० रा० अमरीका को होने वाले भारतीय अभ्रक के निर्यात की कमी के विषय में क्या सरकार द्वारा वहां स्थित अपने दूतावास से हो कर कोई जांच की गई थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार को क्या सूचना मिली थी;

(ग) क्या अभ्रक की सभी श्रेणियों के निर्यात में कमी हुई है या कतिपय श्रेणियों में; तथा

(घ) सं० रा० अमरीका और जापान के बाजारों में विदेशी अभ्रक किस सीमा तक भारतीय अभ्रक की स्पर्द्धा कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ). अभ्रक के टुकड़ों के ही निर्यात में कमी दिखाई दे रही है । पता चला है कि अन्य स्रोतों से अमरीका के आयात में कोई भारी वृद्धि नहीं हुई है ।

और श्रीमान्, मैं यह भी बता दूं कि जापानी आयातों के विषय में स्पर्द्धा कुछ गंभीर प्रकार की नहीं है ।

खादी तथा ग्राम्य उद्योग

*१४३३. **श्री विभूति मिश्र**: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय खादी और ग्राम्य उद्योग बोर्ड ने ग्राम्य उद्योगों की उन्नति के लिये कोई स्कीम दी है ?

(ख) यदि हां, तो क्या ?

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या सरकार ने इसे कार्यान्वित किया है ?

(घ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) बोर्ड ने १९५२-५३ में खादी की उन्नति के लिये दो योजनायें भेजी थीं। १९५३-५४ के लिये अब तक एक योजना के विषय में ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

(ख) और (घ). गत वर्ष की योजना में विभिन्न केन्द्रों और संस्थाओं में खादी के उत्पादन तथा विक्रय की सहायता करने के लिये ९ लाख रुपये का एक अनुदान और १९५३-५४ में खादी के उत्पादन कार्य के लिये कपास की पिछली ऋतु में कपास की खरीद के लिये ३० लाख रुपये का एक अन्तर्ग्रस्त था (वस्तुतः संबंधित संस्था द्वारा केवल १० लाख रुपए ही ग्रहण किए गए) १९५३-५४ के लिये बोर्ड ने ५५,२५,००० रुपयों के व्यय की एक योजना बनाई है, जिस के अनुसार इस वर्ष में लग भग ३ करोड़ रुपयों की खादी पर तीन आने प्रति रुपया छूट दी जाएगी ।

(ग) १९५२-५३ से संबंधित दोनों योजनायें सरकार द्वारा मंजूर कर ली गईं थीं। १९५३-५४ संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री विभूति मिश्र : क्या खादी का उत्थान महात्मा जी के सिद्धान्त के अनुसार हो रहा है। महात्मा जी का सिद्धान्त यह था कि किसी स्थान को सेलेक्ट कर लिया जाये और उस एरिया में खादी के उत्थान के लिये सब प्रकार के साधन जुटाये जायेंगे और उतने दिनों वहां कोई विदेशी कपड़ा या मिल का कपड़ा नहीं लाया जायेगा। क्या यह सिद्धान्त काम में आ रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं प्रश्न का सार नहीं समझ सका।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह योजना महात्मा गांधी के आदर्श सिद्धान्तों के अनुसार चलाई जा रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : बोर्ड के सदस्य ऐसे व्यक्ति हैं, जो न केवल खादी के उत्थान की भावना से प्रेरित हैं, बल्कि जो महात्मा जी के जीवन काल में उन के निकट साहचर्य में रहे हैं और इस कारण यह अनुमान करना होगा कि बोर्ड इस विषय में महात्मा जी द्वारा निरूपित सिद्धान्तों का उल्लंघन न करेगा ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या यह बात सरकार के विचाराधीन है कि एक प्रांत खादी के लिये चुना जाये और विदेशी तथा मिल वाले कपड़े पर रोक लगा दी जाए, जिस से खादी को आत्म निर्भर आधार पर खड़ा किया जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : ये सब सुझाव हैं कि बोर्ड किस प्रकार काम करे ?

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार इस पर विचार कर रही है ?

श्री विभूति मिश्र : महात्मा जी का यह भी सिद्धान्त था कि सर्टेन काउन्ट्स के

यार्न से मिल का कपड़ा बने और सर्टेन काउन्ट्स के यार्न से खादी बनाई जायेगी। क्या इस सिद्धान्त को काम में लाया जा रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न स्पष्ट न होने से मैं उसे समझ नहीं पाया हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी नहीं संमझ सका हूं। क्या उन का अभिप्राय यह है कि महीन काउंटों को मिलों के लिये या खादी के लिये सुरक्षित रखा जाये ?

श्री सिंहासन सिंह : खादी के विषय में माननीय सदस्य यह चाहते थे कि धागे के कुछ काउंट केवल खादी निर्माताओं द्वारा ही बनाये जायें, और उस काउंट के ऊपर मिल कपड़े बनाएं। उन्हों ने कहा था कि १५ काउंट तक वस्त्र निर्माण केवल खादी-निर्माताओं द्वारा ही किया जाये।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है। इस विशिष्ट समस्या पर सरकार ने विचार नहीं किया है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं जान सकता हूं कि क्या सुझाई गई अर्थ सहायता बुनियादी स्कूलों तथा अन्य शाखाओं समेत सभी अभिकरणों के उत्पादन के लिये है, अथवा यह १९५२-५३ के उत्पादन के आधार पर है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं कह सकता कि आधार क्या है। मैं समझता हूं शायद यह आधार उस उत्पादन का अंदाज है, जो १९५२-५३ के उत्पादन से बहुत पहले का हो, पर मैं समझता हूं कि बोर्ड के विचार से एतदर्थ उपयुक्त सभी अभिकरणों का उपयोग किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से ये सारी बातें बोर्ड के प्रशासन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न संख्या, १४३५।

एक माननीय सदस्य : और प्रश्न संख्या १४३४ ?

अध्यक्ष महोदय : उसे बाद में लिया जायेगा। माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं।

पंचवर्षीय योजना की प्रगति

*१४३५. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **योजना** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्ष के लिये निश्चित किए गए लक्ष्य बिंदुओं पर कहां तक पहुंचा जा सका है;

(ख) किस क्षेत्र में प्रगति अपेक्षतया कम है; तथा

(ग) किन क्षेत्र में कामलक्ष्य बिंदुओं से अधिक हो गये है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) यह जानकारी योजना की प्रगति के प्रतिवेदन में बतलाई जायेगी, जिसे वर्तमान सत्र में सदन-पटल पर रख दिया जायेगा।

मैक केल्बी समिति का प्रतिवेदन

*१४३७. **श्री बी० सी० दास** : (क) **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मैक केल्बी समिति ने हिराकुंड बांध परियोजना संबंधी अपना अन्तिम प्रतिवेदन भेज दिया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस की एक प्रति सदन-पटल पर रखना चाहती है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) तथा (ख) सरकार को विभागीय समिति के दो सदस्यों का ही अंतिम प्रतिवेदन (बहुसंख्यकों का प्रतिवेदन) प्राप्त हुआ है। तीसरे सदस्य के प्रतिवेदन की अभी प्रतीक्षा है। इस के प्राप्त होते ही यथाशीघ्र

समिति का प्रतिवेदन और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, जो हिराकुड के लिये उपयुक्त लेखा-प्रक्रिया के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देने के लिये शीघ्र ही वहां जायेंगे, सिफारिशें सदन-पटल पर रख दी जायेंगी ।

श्री बी० सी० दास : क्या उस समिति के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच कोई मतभेद है ?

श्री नन्दा : इसी मे तो अल्पसंख्यक प्रतिवेदन की बात उठती है ।

श्री बी० सी० दास : क्या मैं अल्पसंख्यक प्रतिवेदन के प्रेषण में देर का कारण जान सकता हूं ?

श्री नन्दा : क्योंकि अल्पसंख्यक-प्रतिवेदन प्रेसित करने वाले माननीय सदस्य ने अपने अल्पसंख्यक प्रतिवेदन के लिये कुछ समय मांगा है ।

श्री बी० सी० दास: क्या यह सच है कि इस समिति ने एक वर्ष पहले जन्म ले कर इस विषय की जांच शुरू की थी ?

श्री नन्दा : हां, यह समिति लगभग उसी समय बनी थी ।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि बाद में प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने के लिए पूरी समिति क्यों समवेत नहीं हुई ?

श्री नन्दा : पहले वे कई बार समवेत होते रहे थे, पर अब वे देख रहे हैं कि विचारों में स्पष्ट ही इतना अन्तर है कि अब उन में से एक को वैमत्य-प्रतिवेदन भेजना पड़ेगा ।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि अंतःकालीन प्रतिवेदन भेजने के बाद यह समिति अपने तीनों सदस्यों के साथ कभी भी समवेत नहीं हुई ?

श्री नन्दा : प्रतिवेदन के अन्तिम रूप से प्राप्त होने पर हमें ये सारे विवरण ज्ञात हो जायेंगे ।

हीराकुड में कामकरों को भुगतान

*१४३८. **श्री बी० सी० दास** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीराकुड के मासिक रूप से मजूरी प्राप्त करने वाले कामकरों को अपना वेतन अगले मास के पहले सप्ताह में नियमित रूप से प्राप्त नहीं होता है, तथा

(ख) यदि सच है, तो परिस्थिति का सुधार करने के लिये क्या पग उठाये गए हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है, और यथाशीघ्र सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री बी० सी० दास : क्या यह सच है कि अधिकांश कामकर फसली कामकर हैं और वर्ष में एक फसल में ही काम पर लगाये जाते हैं ?

श्री हाथी : मैं नहीं कह सकता कि वे बहुसंख्यक हैं, पर उन में से कुछ फसलों कामकर होते हैं ।

श्री बी० सी० दास : मैं जान सकता हूं कि वे भारत के सुदूर भागों, विशेषतः मद्रास से आये हैं और क्या यह सच है कि इन कर्मचारियों को अपना वेतन नियमित रूप में प्राप्त नहीं होता ?

श्री हाथी : मैं इस विषय में जांच करूंगा ।

श्री नाना दास : मैं जान सकता हूं कि क्या ये कर्मचारी मजूरी-भुगतान-अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं ?

श्री हाथी : नहीं ।

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : नहीं श्रीमान्, वे उस के अन्तर्गत नहीं आते ।

श्री बी० सी० दास : क्या सरकार को वेतन-प्रपत्रों की अनियमितता के विषय में कोई शिकायतें मिली हैं ?

श्री नन्दा : हाल में कोई शिकायत नहीं मिली ।

श्री बी० सी० दास : क्या पहले कोई शिकायत आई थी !

श्री नन्दा : हमें किसी भी शिकायत का ज्ञान नहीं है ।

पंचवर्षीय योजना के अधीन ताजी परियोजनाएं

*१४४२. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचवर्षीय योजना काल में निष्पादन के लिये बनाई गई परियोजनाओं की सूची परिवर्तन योग्य है, अपरिवर्तनीय नहीं और उस में न गिनाई गई परियोजनाओं के हाथ में लिये जाने और निष्पादित किये जाने की उपलब्ध धन की सीमा तक पूरी गुंजाइश है; तथा

(ख) यदि सच है तो वे परियोजनायें, जिन के विषय में राज्य सरकारों द्वारा पूर्ववर्त्तिता के दावे किये गयेहैं या किए जा रहे हैं और उन दावों के विषय में की गई या संभावित कार्यवाही ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) पंचवर्षीय योजना में उपलब्ध संसाधनों की सीमा तक कोई भी राज्य सरकार पहले शामिल की गई परियोजनाओं के स्थान पर नई परियोजनायें योजना-आयोग के पास भेज सकती है । साधारणतः चूंकि सभी बड़ी बड़ी परियोजनायें पहले से ही निष्पादित हो रही हैं, इन परिवर्तनों की गुंजाइश अपेक्षतया छोटी-मोटी परियोजनाओं तक ही सीमित है, जिन पर अधिक व्यय अंतर्ग्रस्त नहीं है ।

(ख) ऐसी कोई परियोजनायें नहीं है, जिन के लिये राज्य सरकारों द्वारा अपनी वर्तमान योजना के अधीन पूर्ववर्त्तिता संबंधी दावे किये गये हों ।

श्री झूलन सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या बिहार सरकार ने भारत सरकार से निवेदन किया है कि उसे पंचवर्षीय योजना में गंडक परियोजना को शामिल करने की अनुमति दी जाये ?

श्री नन्दा : वह मेरे (ख) के उत्तर की शर्तों पर । स्थिति यह है कि बिहार सरकार ने किसी विद्यमान योजना के स्थान पर गंडक परियोजना के लिये आग्रह नहीं किया है ।

श्री रघवय्या : श्रीमान्, इस बात की दृष्टि में कि कुछ राज्य सरकारों ने कुछ परियोजनाओं के निष्पादन के सम्बन्ध में कोई जोर नहीं दिया है, मैं जान सकता हूं कि क्या योजना आयोग द्वारा उनको निष्पादित किए बिना ही छोड़ दिया जायेगा ?

श्री नन्दा : श्रीमान्, योजना-आयोग अपनी योजना पहले ही प्रस्तुत कर चुका है, जिसे संसद् और सरकार द्वारा मंजूर किया जा चुका है ।

श्री रघवय्या : क्या मद्रास सरकार द्वारा नांदीकोंडा परियोजना के विषय में पूर्ववर्तिता पर जोर दिया गया है ?

श्री नन्दा : मैं दुहरा दूं कि किसी सरकार ने किसी विद्यमान योजना के स्थान पर किसी नई योजना के शामिल किये जाने की मांग नहीं की है, और यदि नई योजना किसी पुरानी योजना के स्थान पर न रखी गई तो इस का अर्थ योजना का क्षेत्र बढ़ाना होगा, जिस के लिये हम तैयार नहीं हैं ।

श्री रघुवय्या : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि चूंकि मद्रास राज्य सरकार और केन्द्र दोनों ही कृष्णा-पेन्नार परियोजना को छोड़ देने के लिये सहमत हो गये हैं, क्या मद्रास राज्य सरकार द्वारा नांदीकोंडा परियोजना पर जोर दिया गया था ?

श्री नन्दा : श्रीमान्, मैं इन नांदीकोंडा और कृष्णा-पेन्नार परियोजनाओं सम्बंधी कई प्रश्नों का उत्तर उस दिन दे चुका हूं और मैं समझता हूं कि मैं ने उस समय इस प्रश्न पर पर्याप्त सूचना दे दी थी।

पंडित डी० एन० तिवारी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या गंडक योजना को प्रभावी बनाने के सम्बन्ध में एक, संकल्प पारित किया गया था, जिस में केन्द्रीय सरकार से इस को पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का अनुरोध किया गया था ? क्या सरकार को विदित है कि बिहार में इस योजना के पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में एक प्रबल लहर चल रही है ?

श्री नन्दा : श्रीमान्, मैं पहले ही इस का उत्तर दे चुका हूं अर्थात् वहां पर गंडक योजना है और कोशी योजना है, और स्थिति यह है कि बिहार सरकार एक के लिये दूसरी को छोड़ने के लिये तैयार नहीं है ।

पंजा साहिब जाने की अनुमति की अस्वीकृति

*१४४३. **श्री रघुनाथ सिंह** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि पाकिस्तान सरकार ने इस वर्ष पंजा साहिब की यात्रा के निमित्त भारतीय नागरिकों को अनुमति नहीं दी है ?

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष किन विशेष परिस्थितियों के कारण अनुमति नहीं दी गई ?

वैदेशिक-कार्य उप-मंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) हां ।

(ख) प्रस्तावित यात्रा के सम्बन्ध में अपने दायित्व के विषय में पाकिस्तान सरकार ने खेद प्रकट किया था । कोई कारण नहीं बताया गया था, पर यह सुविदित है कि हाल में पश्चिमी पंजाब के कुछ भागों में दशायें असामान्य तथा उपद्रवग्रस्त रही हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : यह पंजा साहिब का स्थान अभी तक हिफाज़त से है या नहीं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जहां तक सुनने में आया है महफूज़ है ।

'मेअरफार्म' प्रकार के जहाज

*१४४४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मेअरफार्म प्रकार के कितने जहाज भारत में बन रहे हैं और इन जहाज़ों की क्या विशेषतायें हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : 'हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड' के हाथ में पांच ७,००० टन बोझ वाले दो ८,००० टन बोझ वाले मेअरफार्म जहाज़ बनाने के आर्डर हैं। मेअरफार्म जहाज़ों में तेल-इंजन लगाये जायेंगे, जिन में भारी तेल काम में लाया जायेगा । इस की एक विशिष्ट रूप रेखा अगाड़ी का नुकीला झुकाव है, जिस के कारण मेअरफार्म में भारी समुद्रपथ में यात्रा के अच्छे गुण हैं और चोटी भी अपेक्षतया कम होती है। जहाज़ की छाया भी स्पष्ट रहती है।

श्री आल्तेकर : श्रीमान्, मैं मेअरफार्म जहाज़ की लागत जान सकता हूं ।

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे खेद है कि मैं प्रत्येक जहाज़ की ठीक ठीक लागत नहीं बता सकता ।

बिहार के लिए गृहनिर्माणार्थ ऋण

*१४४५. **श्री झूलन सिन्हा** : (क) क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह

बतलाने की कृपा करेंगे कि बिहार राज्य द्व रा गत दो वर्षों में औद्योगिक गृह व्यवस्था योजना के अधीन मांगे गये और मंजूर कर के उस को दिये गये ऋण की राशि क्या है, और योजना के निष्पादन में क्या प्रगति हुई है ?

(ख) क्या देश में अन-औद्योगिक-क्षेत्रों में गृह व्यवस्था के लिये ऐसी कोई योजना है, जिस के लिये केन्द्रीय सहायता उपलब्ध हो ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य औद्योगिक गृह व्यवस्था योजना की शर्तों के अनुसार मालिकों को प्रदान करने के लिये १९५१-५२ और १९५२-५३ वर्षों में प्रत्येक में ३० लाख रुपये का ऋण मांगा गया था और उसे दिया गया था। लग भग ६६९ निवास पूरे हो चुके हैं और ४४४ पर और काम हो रहा है।

(ख) राज्य-सरकारों और स्थानीय संस्थाओं को गंदी बस्तियां साफ करने के लिये उचित ब्याज दर पर ऋण दिए जा सकते हैं। गंदी बस्तियों की सफाई का अन-औद्योगिक आबादी पर भी प्रभाव पड़ेगा।

श्री झूलन सिन्हा : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या अन-औद्योगिक क्षेत्रों में गृह व्यवस्था पर सरकार द्वारा विचार किया जाता है और उस पर उचित पग उठाये जाते हैं ?

श्री बुरागोहिन : श्रीमान्, जैसा मैं ने बताया, गंदी बस्तियों की सफाई की योजनाओं पर हम विचार कर रहे हैं और हम ने राज्य सरकारों को लिखा है। कुछ राज्य सरकारों ने अपनी योजनायें भेज दी हैं, दूसरों से उत्तर की प्रतीक्षा है। इन की जांच होने पर हम निर्णय करेंगे और एतदर्थ धन का आवंटन करेंगे।

श्री झूलन सिन्हा : क्या गंदी बस्तियों की सफाई की सारी योजानायें शहरी क्षेत्रों से ही सम्बंधित हैं ?

श्री बुरागोहिन : श्रीमान्, गंदी बस्तियों की सफाई केवल शहरी क्षेत्रों के लिये ही है।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, इस उत्तर से कि अन-औद्योगिक क्षेत्रों पर भी विचार हो सकता है, उठने वाले इस प्रश्न के बारे में मैं जान सकता हूं कि अन-औद्योगिक क्षेत्रों के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ?

श्री बुरागोहन : श्रीमान्, ठीक राशि तो मैं इस समय बतलाने की स्थिति में नहीं हूं, पर गन्दी बस्तियों की सफाई वाली योजना नगरों और शहरी क्षेत्रों के अन-औद्योगिक क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगी।

श्री आर० के० चौधरी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या तेल तथा चावल मिलों में काम करने वाले मजदूर इस औद्योगिक गृहव्यवस्था-योजना के अन्तर्गत आयेंगे, और क्या माननीय मंत्री को विदित है कि अन-औद्योगिक क्षेत्रों के मजदूरों के पास कोई मकान नहीं है और वे बरामदों और पेड़ों की छाया में जीवन-निर्वाह करते हैं ?

श्री बुरागोहिन : श्रीमान्, जहां तक मुझे विदित है, आसाम सरकार ने, जिस में श्री चौधरी को चाव है, औद्योगिक गृह-व्यवस्था के लये कोई योजना हमारे पास नहीं भेजी है।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, क्या मैं उन उद्योगों के नाम जान सकता हूं, जिन के मालिकों ने माननीय मंत्री द्वारा अभी-अभी निर्दिष्ट ऋणों से लाभ उठाया है ?

श्री बुरागोहिन : श्रीमान्, प्रश्न का सम्बंध केवल बिहार से है। यदि माननीय सदस्य बिहार के ही बारे में जानना चाहते

हैं, तो मैं उन को बता दूं कि अब तक केवल दो औद्योगिक-संस्थापनों ने केन्द्रीय योजना के रूप में अपनाई गई बिहार सरकार की योजना से लाभ उठाया है ।

श्री नाना दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या १९५२ या १९५१ में अन-औद्योगिक गृहव्यवस्था योजनाओं के लिए कुछ धन दिया गया था ?

श्री बुरागोहिन : नहीं श्रीमान्, पहले यह योजना श्रम मंत्रालय द्वारा चलाई जाती थी, और स्वभावतः उन के पास औद्योगिक-गृहव्यवस्था संबंधी योजनायें ही थीं ।

युद्ध-क्षतिपूर्ति में पाकिस्तान का अंश

***१२५४. श्री एम० एल० अग्रवाल :** (क) क्या **निर्माण, गृहव्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान के उद्योग मंत्री श्री अब्दुर रब निश्तर द्वारा पाक-संसद् में लगाये गये इस आरोप की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है कि जर्मनी से युद्ध क्षतिपूर्ति का लग भग ४० लाख रुपये का पाकिस्तानी अंश भारत द्वारा पाकिस्तान को नहीं दिया जा रहा है ?

(ख) भारत के विरुद्ध इस आरोप में यदि कुछ सचाई है, तो वह क्या है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) पाकिस्तानी उद्योग मंत्री द्वारा लगाये गये इन दोनों आरोपों में कोई सचाई नहीं है कि भारत द्वारा पाकिस्तान के लिये आवंटित चार क्षतिपूर्ति वाले संयंत्र पाकिस्तान से बिना पूछे बेच दिये गये हैं, और दूसरे यह कि अविभाजित भारत में जर्मनी परिसंपत् का लगभग ४० लाख रुपये का पाकिस्तानी अंश उसे नहीं दिया गया है ।

जर्मनी क्षतिपूर्ति यंत्रों के विषय में १०-५-१९४९ को भारत द्वारा पाकिस्तान को चार संयंत्र भेजने की बात चलाई गई, पर पाकिस्तान ने यूरोप और भारत में हुए भाड़े पेकिंग, डैमरेज, भंडार में रखने, ग्रीज़ लगाने आदि के व्यय चुका कर अक्तूबर ५१ तक उन को नहीं उठाया । ये व्यय १४ लाख रुपये तक हो गये और संयंत्रों के बिगड़ जाने का खतरा हो जाने पर भारत सरकार ने उन्हें बेच देने का निश्चय किया । फिर एक मास का समय दिये जाने पर भी पाकिस्तान ने व्यय चुका कर उन को नहीं लिया, तब भारत ने उन को बेच कर अन्तः मित्रराष्ट्र क्षतिपूर्ति संस्था को सूचित करके संयंत्रों की लागत भारत के हिसाब में लिखा ली ।

भारत स्थित जर्मनी बाह्य परिसंपत् के विषय में स्थिति यह है कि भारत सरकार ने युद्ध छिड़ने पर भारत-सुरक्षा नियमों के अधीन सारी जर्मनी संपत्ति शत्रु-संपत्ति अभिरक्षक को सौंप दी । विभाजन के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच उस का अनुपात क्रमशः ८२ १/२ और १७ १/२ प्रतिशत पड़ा, और पाकिस्तान का अंश उस में लगभग ४० लाख रुपये था । विभाजन के निपटारे पर अविभाजित भारत के कुल नगद-संतुलन में पाकिस्तान सरकार अपना अंश प्राप्त कर चुकी है, और हम ने सोचा कि भारत द्वारा उसे अब कुछ देय नहीं है । पाकिस्तान ने यह स्थिति नहीं मानी और अंतः मित्रराष्ट्र क्षति पूर्ति संस्था के महासचिव ने हम से कहा कि इस समस्या पर समझौता न होने तक के लिये भारत के खाते में इस विवादग्रस्त राशि को लिख दिया जाये । अब भारत सरकार अन्तिम समझौते के रूप में इस राशि को अपने नाम लिखवाने के लिये तैयार हो गई है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस दिन सदन के नेता द्वारा दिया गया सुझाव दुहरा दूं कि

लम्बे उत्तर विवरण के रूप में सदन पटल पर रख दिये जायें। ऐसे प्रश्नों में भी यही साधारण नियम रहे, अन्यथा लम्बे उत्तरों से सारी बातों का याद रखना कठिन होता है।

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): कभी कभी सदस्यगण शिकायत करते हैं कि मंत्री पूरा उत्तर नहीं पढ़ते।

अध्यक्ष महोदय: मेरा अभिप्राय यह है कि सदस्यगण लम्बे उत्तरों की सारी बातें याद नहीं रख पाते, और अनुपूरक प्रश्न नहीं रखे जा सकते। उत्तर छोटे से छोटा बनाया जाए और बड़े उत्तर विवरण के रूप में रख दिये जायें, जिन से सदस्यगण उन को पहले से पढ़ कर अनुपूरक प्रश्न तैयार कर सकें।

श्री बुरागोहिन: इस प्रश्न का आज की सूची में चालीसवां स्थान था, अतः मैं ने सोचा कि इसे बिना पढ़े ही बस सदन पटल पर रख देना होगा।

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्य की गलती नहीं बता रहा हूं, पर सदन को ऐसे लंबे उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछने में कठिनाई होगी।

श्री दामोदर मेनन: मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछ लूं? माननीय मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान सरकार द्वारा संयंत्र उठाने से इन्कार कर देने पर उसे बेच डाला गया। मैं जान सकता हूं कि इस सौदे में क्या मिला?

श्री बुरागोहिन: श्रीमान्, लगभग १५ लाख रुपये।

श्री वेलायुधन: मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने क्षतिपूर्ति वाले सभी संयंत्र बेच डाले हैं और क्या इन संयंत्रों के खरीदने में भारतीयों को अग्रस्थान दिया गया था?

श्री बुरागोहिन: श्रीमान्, लगभग १०००० मदों में से अधिकांश निपटाई जा चुकी हैं। शेष ८००-१००० मदों के विषय में रक्षा मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालय विचार कर रहे हैं। उन में से अधिकांश रक्षा मंत्रालय ले लेगा और शेष मदों को सामान्य नियमों के अनुसार बेच दिया जायेगा।

श्री एम० एल० अग्रवाल: मैं सुझाव दूं कि इस पर अनुपूरक प्रश्न किसी दूसरे दिन पूछ लिये जायें?

अध्यक्ष महोदय: वह संभव नहीं। मैं अनुपूरकों को समाप्त कर दूंगा और इस विवरण पर अन्य प्रश्न बाद में पूछे जा सकते हैं।

श्री एम० एल० अग्रवाल: तो मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय: वह पूछा जा सकता है।

श्री एम० एल० अग्रवाल: क्या सरकार ने पाकिस्तान से ऐसे झूठे आरोप लगाने के विरुद्ध कुछ आपत्ति की है?

श्री बुरागोहिन: श्रीमान्, यह संवाद एक पाकिस्तानी समाचारपत्र में छपा था मैं नहीं समझता कि यह भारत में छपा था और मुझे पता नहीं कि कुछ विरोध प्रकट किया गया है।

श्री जोशिम अलवा: जब जर्मनी संयंत्र भारत को दिया गया था या जब मशीनों का विभाजन भारत के हित में हुआ था, तो क्या अन्तः मित्रराष्ट्रीय आयोग में पाकिस्तानी प्रतिनिधि उपस्थित न थे?

श्री बुरागोहिन: श्रीमान्, स्वाधीनता के बाद से पाकिस्तान स्वयं अपने स्वत्व से उक्त संघ का सदस्य है।

अध्यक्ष महोदय: अब हम प्रश्न संख्या १४३४ लें, जो श्री सामन्त का प्रश्न है और जिसे श्री बर्मन रखेंगे।

फिल्मों द्वारा बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा

*१४३४. (**श्री एस० सी० सामन्त की ओर से**) **श्री बर्मन** : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में फिल्मों द्वारा बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा के प्रसार के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

(ख) क्या इन विषयों पर फिल्मों का उत्पादन करने के लिये फिल्म विभाग में कोई पृथक एकक बनाया गया है ?

(ग) यदि हां, तो कितनी फिल्में बनाई जा चुकी हैं और कितनी अगले वर्ष बनेंगी, तथा किन-किन भाषाओं में ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) फिल्म डिवीज़न ने कई सच्ची घटनाओं वाली फिल्में तैयार की हैं, जो बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा के लिये उपयुक्त हैं। उन को सारे देश में सिनेमाओं में और देहातों में चलते सिनेमाओं द्वारा दिखाया जाता है । प्रदर्शन की सुविधायें रखने वाले संघों, संस्थाओं और व्यक्तियों को तथा शिक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय फिल्म पुस्तकालय की सदस्य शिक्षा संस्थाओं को उन की प्रतिलिपियां उधार दी जाती हैं या बेची जाती हैं ।

(ख) केवल बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा के लिये ही फिल्में तैयार करने के लिये फिल्म डिवीजन में तीन एकक खोलने का निश्चय किया गया है ।

(ग) एकक खोलने के लिये पग उठाये जा रहे हैं। पहले से मंजूर किये जा चुके कार्यक्रम के अनुसार हिंदी में १८ फिल्में प्रति वर्ष तैयार की जायेंगी। अन्य भाषाओं का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री बर्मन : क्या सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था या साधन है, जिस से देहाती क्षेत्रों में इन फिल्मों के प्रदर्शन के परिणामों का निर्धारण किया जा सके, और यदि हां, तो सरकार की जानकारी के अनुसार वे परिणाम क्या हैं ?

डा० केसकर : मैं नहीं समझ सका कि परिणामों के निर्धारण से क्या अभिप्राय है । उन फिल्मों का अभिप्राय सामाजिक शिक्षा, वयस्कों को उपदेश देना है । शायद माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उन से कितने व्यक्तियों ने लाभ उठाया है । यदि यह प्रश्न है, तो इस का निर्णय तो राज्य शिक्षा विभाग ही कर सकेंगे ।

श्री बर्मन : मेरा प्रश्न यह है कि क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से इन परिणामों के बारे में सूचना मंगाई है, जहां तक इन बुनियादी शिक्षा वाली फिल्मों का सम्बंध है, क्या केंद्रीय सरकार देश में उन से होने वाले परिणामों के संपर्क में रहने की चेष्टा करती है ?

डा० केसकर: हां, श्रीमान्, राज्य सरकारों ने कई प्रदर्शन करवाए हैं और बहुत से लोग इन प्रदर्शनों में उपस्थित थे । उन्हों ने इन से लाभ उठाया या नहीं, इस का निर्धारण अत्यन्त दुष्कर है ।

श्री बर्मन : क्या विविध फिल्म कंपनियों के निकट केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई यह सिफारिश कि इन बुनियादी शिक्षा वाली फिल्मों को दिखाया जाये, अनुमोदन मात्र है, या नियोगीय है ?

डा० केसकर : ये सामाजिक शिक्षा वाले फिल्म नियोगीय बिल्कुल नहीं हैं । सिनेमा वाले प्रायः एक यथास्वीकृत फिल्म दिखाते हैं, जो भारत सरकार द्वारा निकाली गई प्रलेखात्मक फिल्म होती है। ऐसी सामाजिक शिक्षा वाली फिल्में भी हो सकती हैं, जो प्रलेखात्मक न हों। उस दशा में उन को सिनेमाओं में नहीं दिखाया जाता ।

श्री चट्टोपाध्याय : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस फिल्म डिवीज़न में फिल्मों के लिये लिखने के प्रयोजन से विशेष लिपिकार नियुक्त किये हैं, अथवा स्वतंत्र लिपिकारों को भी सहयोग देने के लिये बुला लिया जाता है ?

डा० केसकर : श्रीमान्, दोनों ही बातें की जाती हैं । पर मुझे पूरा भरोसा नहीं कि माननीय सदस्य नये खोले जाने वाले एककों का निर्देश कर रहे हैं, या साधारणतः समूचे फिल्म डिवीज़न के नाम का ?

श्री चट्टोपाध्याय: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि सेंसर बोर्ड के कितने सदस्यों को फिल्म बनाने का व्यवहारिक ज्ञान होता है ?

डा० केसकर : श्रीमान्, मेरे विचार से यह प्रश्न संगत नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । प्रश्न काल पूरा हो गया ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारत-रसद-नियोजन के लिए भवन

*१४११. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारत रसद-नियोजन और लेखा-परीक्षा-कार्यालय के निवास के लिये वाशिंगटन में एक भवन बनाने का निश्चय किया है;

(ख) कुल प्राक्कलित लागत क्या है; तथा

(ग) अब तक ये कार्यालय जिस भवन में हैं उस के लिये कितना वार्षिक किराया दिया जा रहा है ?

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) लगभग ११ लाख रुपये ।

(ग) १-७-५१ से ३०-६-५२ तक १,६४-७३० रुपये प्रतिवर्ष १-७-५२ से ३१-१२-५३ तक, १,३३,००० रुपये प्रति वर्ष ।

धागे का निर्यात

*१४१६. **श्री वी० पी० नायर** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने सूती धागे का सीमित निर्यात अभ्यंश-प्रणाली के आधार पर करने की अनुमति दे दी है ?

(ख) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो सरकार द्वारा धागे के निर्यात के विषय में क्या नियम बनाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां ।

(ख) सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सदन-पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५०**]

हीराकुड परीयोजना के लिए इमारती लकड़ी

*१४१८. **श्री संगण्णा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीराकुड बांध के निर्माण-कार्य के लिये अब तक उड़ीसा के बाहर से मंगाई गई लकड़ी का मूल्य; तथा

(ख) इस प्रयोजन से उड़ीसा के जंगलों से ली गई लकड़ी का मूल्य ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) तथा (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

अस्कू (शंखिया-तांबे का मिश्रण)

*१४१९. **श्री संगण्णा** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की

कृपा करेंगे कि भारत में अस्कू के निर्माण के लिये कितने कारखाने खोले गये हैं ?

(ख) भारत में प्रति वर्ष बनने वाले अस्कू की मात्रा और मूल्य क्या है ?

(ग) अस्कू की कितने मूल्य वाली कितनी मात्रा का भारत में बाहर से आयात किया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) . जहां तक सरकार को विदित है कि भारत में अस्कू का उत्पादन करने वाला एक ही कारखाना है। उत्पादन के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) बने बनाए अस्कू का भारत में आयात नहीं किया जाता।

मक्खन तथा पनीर

*१४२७. **पो० डी० सी० शर्मा** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१ और १९५२ में आस्ट्रेलिया तथा इंगलैंड से कितने मक्खन और पनीर का आयात किया गया था ?

(ख) क्या मक्खन और अन्य दुग्ध उत्पादन तैयार करने के लिये सरकार के सामने कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५१**]

(ख) नही श्रीमान।

दामोदर घाटी निगम का मिट्टी सरक्षण कार्यक्रम

*१४४०. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ में दामोदर घाटी निगम द्वारा अपने मिट्टी संरक्षण कार्यक्रम पर किया गया कुल व्यय; तथा

(ख) उक्त काल में इस कार्यक्रम के अधीन हुई मुख्य सफलता ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख) . सूचना एकत्र की जा रही है, और यथा शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

कोनार बांध पर जलविधुत् स्टेशन

*१४४१ **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोनार बांध के निकट एक अंतर्भूमि जलविद्युत स्टेशन बनाने का विचार है;

(ख) यदि है, तो उसे कब बनाया जायेगा; तथा

(ग) उस का प्राक्लित व्यय ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी:) (क) हां, श्रीमान्

(ख) प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) ३.८५ करोड़ रुपये ।

तिलैया बांध के निकट डूबे हुए जंगल

१११३. श्री एन० पी० सिन्हा : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि तिलैया बांध के निकट खड़ी हुई इमारती लकड़ी समेत कुछ जंगल क्षेत्र पानी में डूब गया है और यदि हां, तो कितना ?

(ख) क्या यह जंगल बिहार-सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र था ?

(ग) क्या बिहार सरकार को जंगल साफ करने के लिये समय से पहले सूचना दे दी गई थी ?

(घ) डूबी हुई लकड़ी का लगभग मूल्य क्या होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तिलैया बांध के जलाशय

क्षेत्र में इमारती लकड़ी का कोई जंगल नहीं था। ३९४० एकड़ झाड़ियों का जंगल डूब गया है।

(ख) ३९४० एकड़ में से १९२१ एकड़ बिहार सरकार के प्रबंध में था और शेष निजी मालिकों के हाथ में।

(ग) हां। बिहार सरकार ने जंगलों को काम में लाने के प्रयत्न किये, पर असफल रही, फिर उस ने निगम से वैसा करने के लिये कहा। निगम द्वारा विस्तृत प्रचार करने पर भी कोई ग्राहक सामने नहीं आया क्योंकि उस क्षेत्र में ईंधन की कोई कमी नहीं है और इतनी दूर से उसे लाने पर यातायात-व्ययों के कारण उस पर कोई भी बचत नहीं होती। फिर, लोगों ने यह भी सोचा कि अन्त में अधिकारी जंगल को मुफ्त में ही साफ करवायेंगे।

(घ) झाड़ियों के जंगल का पुस्त-मूल्य १० रुपये प्रति एकड़ की दर से ३९,४०० रुपये है।

तिलैया बांध के निकट फसलों का डूब जाना

१११४. श्री एन० पी० सिन्हा : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि गांव वालों की बहुत सारी गन्ने और धान की खड़ी फसलें तिलैया बांध के निकट पानी में डूब गईं ?

(ख) यदि सच है, तो उन का मूल्य कितना होगा ?

(ग) क्या धान तथा गन्ने की फसलों के मालिकों को समय से पहले यह सूचना दे दी गई थी कि उन को न उगायें, यदि हां, तो ये पूर्व सूचनायें किस महीने में निकाली गई थीं और किस प्रकार बांटी गई थीं ?

(ग) क्या गांव वालों ने अपनी गन्ने तथा धान की फसलों के लिये क्षतिपूर्ति मांगी है, और यदि हां, तो उस का क्या नतीजा निकला ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तिलैया बांध में डूबा हुआ क्षेत्र निम्नांकित है :

	धान	१६०५ एकड़।
	गन्ना	५० एकड़।
(ख)	धान	१,०२,६२० रुपये
	गन्ना	७,५००. रुपये।

(ग) लोगों को आपस में मिल जुल कर बता दिया गया था कि उस जमीन को डुबा दिया जायेगा, अतः वे उस पर फसलें न उगायें।

(घ) हां। निम्नांकित दावे मंजूर किये गए हैं।

धान	१,०२,६२० रुपये।
गन्ना	७,५०० रुपये।

अधिकांश मामलों में भुगतान भी हो चुका है।

त्रिपुरा के व्यापारियों की पाकिस्तान से प्राप्य राशियां

१११५. श्री दशरथ देव : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि त्रिपुरा में स्थित सोनापुरा के कुछ व्यापारियों को, जिन्हों ने पाकिस्तान को कुछ माल भेजा था, अपने माल के दाम पास्कितान से नहीं मिले हैं ?

(ख) यदि सच है तो वह राशि कितनी है, और अब तक क्यों वसूल नहीं हो सकी है ?

(ग) क्या इस के फलस्वरूप प्रभावित व्यापारियों द्वारा उन राशियों के वसूल करने के बारे में भारत सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा गया था ?

(घ) इस राशि को तुरन्त वसूल करवाने के लिये सरकार क्या पग उठाना चाहती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ). सोनापुरा

के कुछ व्यापारियों से एक अभ्यावेदन मिला था कि पाकिस्तान के राज्य-बैंक द्वारा संबंधित बिलों को पास करने में तथा-कथित इन्कार कर देने के कारण वे पूर्वी पाकिस्तान के आयातकों से लगभग ५ लाख रुपये वसूल नहीं कर सके हैं। इस मामले का निर्देश ढाका स्थित भारतीय वाणिज्य सचिव को किया गया है, जो उन विशिष्ट मामलों के विवरण इकट्ठे कर रहे हैं, जिन में भुगतान रुक गया है।

त्रिपुरा में बीड़ी कारखाने

१११६. **श्री दशरथ देव** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में बीड़ी कारखानों की कुल संख्या क्या है ?

(ख) इन बीड़ी कारखानों के कामकरों की कुल संख्या क्या है ?

(ग) १९५२-५३ में इन कारखानों का कुल उत्पादन कितना है, और ये आंकड़े १९५०-५१ और १९५१-५२ की तुलना में कैसे हैं ?

(घ) क्या उत्पादन में कुछ कमी हुई है, और यदि हां, तो क्यों ?

(ङ) वहां के बीड़ी उद्योग के संरक्षण के लिये सरकार क्या पग उठाना चाहती है ?

(च) क्या सरकार आवश्यक स्थानीय बीड़ी उद्योग को हवाई भाड़े संबंधी सहायता और आबकारी रियायत देना चाहती है, जिस से वे आयातित बीड़ियों की स्पर्द्धा में टिक सकें ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ४०. जिन में से १० भारतीय कारखाना अधिनियम के क्षेत्र में आती हैं।

(ख) लगभग १२००

(ग) १९५२-५३ में लगभग २५ करोड़ बीड़ियां बनाई गई थीं। पिछले वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) तथा (च) स्थानीय बीड़ी उद्योग में आज कल विद्यमान कुछ विशिष्ट कठिनाइयां केन्द्रीय सरकार को विदित नहीं हैं।

राजस्थान में विकास परियोजनायें

१११७. **श्री भीखाभाई** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पंचवर्षीय योजना के अधीन राजस्थान राज्य की विभिन्न विकास-मद्दों पर आज तक किया गया कुल व्यय; तथा

(ख) अब तक हुई प्रगति ?

योजना, सिचाई तथा विद्युत मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) तथा (ख) राजस्थान सरकार द्वारा विकास व्ययों के संबंध में भेजे गये आंकड़ों की आज कल जांच हो रही है। पहले दो वर्षों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की जा रही है। आवश्यक सूचना शीघ्र ही पंचवर्षीय योजना के प्रगति-प्रतिवेदन में दे दी जायेगी।

संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा के संकल्प

१११८. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण-सभा द्वारा पारित संकल्पों की प्रतियों के लिए सरकार को दाम चुकाने पड़ते हैं, और यदि हां, तो प्रत्येक प्रति का क्या दाम होता है और समय समय आई हुई प्रतियों की संख्या ; तथा

(ख) क्या संकल्पों की ये प्रतियां राज्यों और विश्वविद्यालयों को भी भेजी

जाती हैं और यदि हां, तो वे कौन कौन से संकल्प हैं और वे किन किन राज्यों और विश्व-विद्यालयों को भेजे गये हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) (क) भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा के संकल्पों के दाम नहीं चुकाने पड़ते हैं। १९५२ के अन्त तक सरकार को २५ प्रतियां मिलती थी—१० हवाई डाक से और १५ समुद्री डाक से। व्यय कम करने की दृष्टि से अब केवल हवाई डाक से १० प्रतियां प्राप्त होती हैं।

(ख) नहीं।

पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय राज्य-क्षेत्र पर अधिकार

१११९. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बतलाने कीकृपा करेंगे क्या पाकिस्तानी सेना अमृतसर जिले के रानियां गांव के क्षेत्र के १४ एकड़ राज्य-क्षेत्र पर अब भी अधिकार जमाये हुए है, जिस पर सितम्बर, १९५२ में पाकिस्तानी पुलिस ने जबरदस्ती कब्ज़ा कर लिया था ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : हां। भारत तथा पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की विभिन्न बैठकों में यह चर्चा का विषय रह चुका है, पर इस जमीन का अधिकार वापस करने के विषय में कोई अन्तिम फैसला अब तक नहीं हो सका है ?

कच्छ सीमा पर पाकिस्तानी हमले

११२०. **श्री जसानी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ में कच्छ सीमा पर पाकिस्तानी प्रजाजनों द्वारा कितने हमले किये गये हैं, तथा

(ख) उन स्थानों के नाम, जहां ये हमले हुए हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) (क) नौ।

(ख) हमले निम्न स्थानों पर हुए :

(१) लीफरी (नखतराना ताल्लुक)
(२) दौलतपुर (लखपत ताल्लुक)
(३) देशालपुर (रहपड़ ताल्लुक)
(४) कुरियानी (लखपत ताल्लुक)
(५) वनोई (रहपड़ ताल्लुक)
(६) बेर (लखपत ताल्लुक)
(७) पीपेर (लखपत ताल्लुक)
(८) रतदिया (नखतराना ताल्लुक)
(९) तुबंदी (मुद्रा ताल्लुक)

कोयला खान बिजली घर में पाली के चार्जमैन

११२१. **श्री के० के० बसु :** क्या **उत्पादन** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) प्रत्येक राज्य कोयलाखान बिजली घर में पाली के चार्जमैन के रूप में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या;

(ख) उन के वेतन मापदंड;

(ग) प्रत्येक बिजली घर में उन में से कितने स्थायी कर्मचारी हैं ;

(घ) क्या वेतन मापदंड वही है जिस की केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी; तथा

(ङ) यदि नहीं तो इस का क्या कारण है ?

उत्पादन मन्त्री (श्री के० सी रेड्डी) :

(क) कारगली बिजली घर में चार।
गिरिदीह " में एक।
तालचेर " में चार।
कुरासिया " में चार।
भुरकुंडा " में दो।

(ख) केन्द्रीय असैनिक सेवा (वेतन पुनरीक्षण) नियमों के अन्तर्गत विहित

वेतन-मापदंड रु० १००-५-१२५-६-१५५ ई० बी० ६-१८५ ।

(ग) उपर्युल्लिखित बिजलीघरों में प्रत्येक में एक एक ।

(घ) हां ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

आदिमजाति-छात्रों को छात्रवृत्तियां

११२२. **श्री गोहेन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर-पूर्व फ़्रंटियर ऐजेंसी के आदिम-जाति छात्रों को प्रायमरी, मिडिल स्कूल, प्राविधिक तथा हाई स्कूल शिक्षा के लिये १९५१-५२ और १९५२-५३ वर्षों में कितनी छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थीं और अगले वर्ष इन श्रेणियों की शिक्षा के लिये कितनी छात्रवृत्तियां प्रदान की जायेंगी ?

प्रधान मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : उत्तर पूर्व फ़्रंटियर एजेंसी के आदिम जाति छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृतियों की संख्या १९५१-५२ वर्ष की १८ से बढ़ कर १९५२-५३ वर्ष में निम्नांकित रूप से १११ हो गई :

पाठ्यक्रम का नाम	प्रदत्त छात्रवृत्तियों की संख्या १९५१-५२ में	१९५२-५३ में
(१) प्रायमरी	६	४३
(२) मिडिल अंग्रेज़ी	४	२९
(३) हाई स्कूल अंग्रेज़ी	१	९
(४) प्राविधिक		
(१) मोटर मशीनरी	१	३
(२) बढ़ईगीरी	१	२
(३) बुनाई कताई आदि	५	२५
योग	१८	१११

१९५३-५४ में इन छात्र वृत्तियों को बढ़ा कर निम्न प्रकार से १६० कर देने का विचार है :—

पाठ्यक्रम का नाम	प्रस्तावित छात्रवृतियों की संख्या
(१) प्रायमरी	६०
(२) मिडिल अंग्रेज़ी	४०
(३) हाई स्कूल अंग्रेज़ी	२०
(४) प्राविधिक	
(१) मोटर मशीनरी (२) बढ़ईगीरी आदि	२०
(३) बुनाई कताई आदि	२०
योग	१६०

पाकिस्तान सरकार के अन्तर्गत काम करने वाले भारतीय

११२३. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने भारतीय भारत में या अन्यत्र पाकिस्तान सरकार की सेवा कर रहे हैं और किन किन रूपों में ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस समय ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है जब तक संसद् द्वारा प्रस्तावित नागरिकता विधेयक पारित न कर दिया जाये, पाकिस्तान में भारतीय होने का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों की नागरिकता का ठीक ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता । इस बात की संभावना नहीं है कि असंदिग्ध भारतीय राष्ट्रीयता वाला कोई व्यक्ति भारत में पाकिस्तान सरकार की सेवा कर रहा हो। फिर भी सूचना एकत्र की जा रही है ।

कृषि-कार्यों क लिये अमरीकी फौलाद

११२४. **श्री विभूति मिश्र : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मई तथा दिसम्बर, १९५२ में भारत सरकार और सं० रा० अमरीका के

बीच हुए समझौते के अनुसार कृषि कार्यों के लिए सं० रा० अमरीका से अब तक प्राप्त हुए फौलाद की मात्रा टनों में;

(ख) यदि कृषि कार्यों सम्बन्धी फौलाद आ चुका है तो सरकार ने उसे विविध राज्यों के बीच किस प्रकार से वितरित किया है;

(ग) उपर्युल्लिखत फौलाद से बनने वाले कृषि सम्बन्धी औज़ारों के नाम, तथा

(घ) उक्त फौलाद का प्रकार ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५५]**

(ग) चूंकि फौलाद का आना बिल्कुल हाल ही में शुरू हुआ है, उस से वस्तुतः बनाये गये औजारों सम्बन्धी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। समझौते की शर्तों के अनुसार यह फौलाद विकसित कृषि सम्बन्धी औज़ार गाड़ियों की हालें, सिंचाई के साधन आदि बनाने के काम में लाई जायेगी।

(घ) आयातित फौलाद का प्रकार भारतीय फौलाद के समान ही है।

हीरा कण्ड पर काम का रुक जाना

११२५. श्री बी० सी० दास : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३ वर्ष में हीराकुंड बांध तथा मेंढ़ बनाने का काम वर्षा के कारण कितने महीनों तक के लिये रुक गया था,

(ख) काम की इस रुकावट के कारण कितने मज़दूर बेकार हो गये थे;

(ग) इस प्रकार के कितने मज़दूरों को दूसरे कामों में लगा दिया गया था;

(घ) क्या उन मज़दूरों को कोई पूर्व-सूचना दी गई थी, जिन की नौकरियां समाप्त कर दी गई थीं;

(ङ) क्या इन मज़दूरों के प्राप्य वेतन आदि तुरन्त चुका दिये गये थे; तथा

(च) यदि नहीं, तो अन्तिम व्यक्ति का भुगतान कब किया गया था ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जून के मध्य से अक्तूबर के मध्य तक चार महीने।

(ख) ५९१।

(ग) कोई नहीं।

(घ) मज़दूरों को केवल काम के समय ही लगाया जाता है और उन को बरसात में काम बंद हो जाने का पूरा पता रहता है।

(ङ) मज़दूरियां यथा संभव अविलंब चुकाई जाती हैं।

(च) १५ दिनों में।

मनीपुर से लोहे के टुकड़ों के निर्यातों पर शुल्क

११२६. श्री एल० जे० सिंह : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४६ से लेकर अब तक मनीपुर से एकत्र कर के निर्यात किये गये लोहे के टुकड़ों की मात्रा टनों में कितनी है ?

(ख) क्या सरकार मनीपुर से निर्यात किय गये लोहे के टुकड़ों पर निर्यात शुल्क लगाना चाहती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(ख) आजकल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पांडीचेरी से प्रव्रजित व्यक्ति

११२७. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि फ्रांस-प्रशासित पांडीचेरी से गत छः वर्षों में कितने परिवार प्रव्रजित हो कर आये हैं ?

(ख) १५ अगस्त, १९४७ के बाद ये शरणार्थी भारत में कहां पर बस गये हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान ५ नवम्बर, १९५२ को लोक सभा में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४४ के मेरे उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है । भारत सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार वहां तंग किये जाने के कारण लगभग १३०० व्यक्ति पांडीचेरी से प्रव्रजित हो कर भारत चले आये हैं । ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) अधिकांशतः मद्रास राज्य के दक्षिण अर्काट ज़िले में ।

Par. S. 18. III. 15. 53.
285

अंक ३

संख्या १५

शनिवार

१८ अप्रैल, १९५३

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

---:o:---

भाग २--प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

वित्त विधेयक--संशोधित रूप में पारित [पृष्ठ भाग ३५६९--३६६६]

केन्द्रीय आबकारी तथा नमक (संशोधन) विधेयक--पारित [पृष्ठ भाग ३६६६--३६७७]

दो सदस्यों का निरोध [पृष्ठ भाग ३६७७--३६७८]

450 PSD.

(मूल्य ६ आने)

लोक सभा

शनिवार, १८ अप्रैल १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-१५ म० पू०

वित्त विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सदन वित्त विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगा ।

डा० एस० पी० मुकर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : इस से पूर्व मैं एक महत्वपूर्ण मामले की ओर आप का ध्यान आकर्षित करूंगा । कल आप ने अपनी घोषणा में कार्य परामर्शदात्री समिति की एकमत सिफारिशों को बताते हुए यह व्यक्त किया था कि कौन से विधेयकों पर आगामी सप्ताह में विचार किया जाएगा, किन्तु कल रात को हमें जो कार्यक्रम मिला है, उस में और तीन विधेयकों को सम्मिलित किया गया है । इस से काल-विभाजन में गड़बड़ होगी ।

अध्यक्ष महोदय : हम उस कार्यक्रम के द्वारा सदस्यों को विधेयकों की सूचना देते

हैं, ताकि वे उन का अध्ययन करें और अपने संशोधन प्रस्तुत करें ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : आप हमें २१ दिन का काल-विभाजन बताते हैं, और यदि सत्र १५ मई को समाप्त हो तो शेष विधेयकों पर किस प्रकार विचार किया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य समय नहीं निकाल सकते तो उन विधेयकों पर विचार नहीं होगा ।

प्रधान मंत्री तथा सदन नेता (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, जैसा आप बता भी चुके हैं, सदन में इसी प्रकार का व्यवहार होता है ताकि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो कि सदन के पास काम ही न हो । ऐसी आकस्मिकता से बचने के लिये ही इस प्रकार कदम उठाया जाता है, और इस से निश्चित कार्यक्रम में कोई भी रुकावट नहीं पड़ती ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : श्रीमान्, आप के कक्ष में बैठ कर हम ने जिन बातों पर करार किया है, उन के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री को कोई भी ज्ञान नहीं है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे पूरा पूरा ज्ञान है । मैं जानता हूं । फिर भी, आवश्यकता पड़ने पर, कई विधेयक सदा शामिल किये जाते हैं ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : हम जानना चाहते हैं कि और कितने विधेयक प्रस्तुत होंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस में ऐसी कोई भी बात नहीं कि और कितने विधेयक हैं। इन्हें सावधानी के विचार से रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि हम १५ मई को कार्य समाप्त करें और उस स्वीकृत कार्यक्रम पर चलें, और कोई समय न हो, तो स्वाभाविक है कि ये विधेयक वैसे ही पड़े रहेंगे। अब हम वित्त विधेयक को लेंगे।

डा० एस० पी० मुकर्जी : मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सवा ग्यारह बजे तक खण्डों पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के सुझाव के अनुसार ११-१५ तक खण्डश: विचार होगा और इस के बाद तीसरे पाठ के लिये हमारे पास एक घंटा बचा रहेगा।

खंड २—(आयकर तथा अधिकार)

वित मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १ पर,

१५ से २१ तक की पंक्तियों के स्थान पर

"() in part II, in clause (iii) of the first proviso to Paragraph D, for the words 'one anna per rupee of the total income, the following shall be substituted, namely :—

"One anna and six pies per rupee on so much of the total income as consists of dividends from a Subsidiary Indian Company, and a rebate at the rate of six pies per rupee on any other income included in the total income.'"

"(२) भाग २ में, पैरा डी के प्रथम परन्तुक के खण्ड (iii) में 'कुल आय पर एक आना प्रति रुपया' शब्दों के स्थान पर, निम्नांकित आदिष्ट किये जायेंगे, यानी :—

'उस कुल आय पर, जो किसी सहायक भारतीय कम्पनी के लाभांशों से प्राप्त हुई हो, डेढ़ आना प्रति रुपया, और कुल आय में सम्मिलित और किसी आय पर छः पाई प्रति रुपया की छूट।' "]—पंक्तियां आदिष्ट की जायें।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

इस संशोधन का यह उद्देश्य है कि एक आना से डेढ़ आने तक भारतीय कम्पनियों से लाभांश आय पर विदेशी कम्पनियों को प्राप्य अधिकर-छूट दी जाय ताकि हमारा वह अभिप्राय सिद्ध हो जिस की ओर मैं निर्देश कर चुका हूं—यानी किसी शाखा द्वारा किये जाने वाले व्यापार तथा किसी भारतीय सहायक कम्पनी द्वारा किये जाने वाले व्यापार पर देय कर में असमानता को कम किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत हो कर स्वीकृत हुआ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं अगला संशोधन नहीं प्रस्तुत करता।

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर) : मैं खण्ड २ (ख) (झ) के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इस खण्ड में वित्त मंत्री का आयकर के लिये एक व्यक्ति की छूट की सीमा ३,६०० रुपये से बढ़ा कर ४,२०० रुपये और अविभक्त हिन्दू परिवार की ७,२०० रुपये से बढ़ा कर ८,४०० रुपये कर देने का प्रस्ताव निगमित है। कुछ सदस्यों ने इस का स्वागत किया है। किन्तु मैं समझता हूं कि इस के वित्तीय परिणामों को ध्यान में रखते हुए इस पर पुनः विचार करना चाहिये।

इस प्रश्न को करारोपण जांच आयोग पर ही छोड़ देना चाहिये था । मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी आयकर के प्रश्न पर विचार करते समय मेरे इस सुझाव को ध्यान में रखेंगे ।

श्री नम्बियार : मैं विदेशी अंशधारियों को छूट देने के प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध करता हूं कि इस धन का भारत में अन्य कामों के लिये अधिक अच्छी प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है । तंजौर जिले में एक भीषण तूफान आया था जिस में ६०० व्यक्ति मारे गये थे और ५० करोड़ रुपये की सम्पत्ति की क्षति हुई थी तथा पांच लाख नारियल के वृक्ष उखड़ गये थे । उस समय प्रान्तीय सरकार के प्रार्थना करने पर भी केन्द्रीय सरकार ने सहायता के लिए एक कौड़ी तक नहीं दी थी । केवल पंडित नेहरू के कोष में से ३० या ४० हजार रुपये भेजे गये थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस का तूफान से कोई सम्बन्ध नहीं है । और फिर यह संशोधन तो हो भी चुका है ।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : इस से भारतीय सहायक समवायों को विदेशी शाखाओं की अपेक्षा हानि रहेगी ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं पहिले तूफान सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर दूंगा । मुझे वस्तुतः पता नहीं है कि तूफान के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार मे कोई प्रार्थना की गई थी । यह तो माननीय सदस्य को मैं बतला सकता हूं । अतः मुझे इस विषय में कुछ करने के लिये सोचने का अवसर ही नहीं मिला । माननीय सदस्य ने प्रधान मंत्री के कोष से कुछ धन दिये जाने का उल्लेख किया था । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधान मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से इस कोष के वितरण के सम्बन्ध में यह प्रार्थना की गई थी, सारी केन्द्रीय सरकार से नहीं की गई थी । मैं इस बात की छान बीन करने और यह पता लगाने के लिये तैयार हूं कि क्या इस प्रकार की कोई प्रार्थना आई थी । मुझे पूरा निश्चय है कि यदि इस प्रकार की प्रार्थना की गई होती, तो अर्थाभाव से ठुकराया नहीं जाता ।

मैं समझता हूं कि एक या दो और सदस्यों ने भी श्री गांधी की बात उठाई थी । यह सब तो वर्तमान स्थिति में सन्तुलन स्थापित करने का प्रश्न है । मैं समझता हूं कि इस वर्ष क्रय शक्ति कुछ घट गई है, अतः छोटे लोगों को कुछ सुविधा देना उचित ही है । मैं यह स्वीकार कर चुका हूं कि मेरा उद्देश्य राहत पहुंचाना नहीं है, अपितु शासन में सुविधा करना है जिस से कि छोटे छोटे करदाताओं को पांच, सात या दस रुपये देने के लिये आयकर कार्यालय जाने का कष्ट न उठाना पड़े । अतः मुझे इस में सन्देह नहीं है कि हम इस वर्ष जो कुछ कर रहे हैं या विगत वर्षों में हम ने जो कुछ किया है, उस से करारोपण जांच आयोग के इस सारे प्रश्न पर अच्छी प्रकार से विचार करने में किसी प्रकार की कोई बाधा पड़ेगी, और यदि वे इसे न्यायसंगत समझेंगे तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित समझेंगे तो वे निस्सन्देह, छूट की इस सीमा में जिसे कि आज मैं सदन से स्वीकार करने के लिये कह रहा हूं रूपभेद करने की सिफारिश कर देंगे ।

दूसरी बात के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि वाणिज्य तथा उद्योग और वित्त ये दोनों ही मंत्रालय भारतीय उद्योगों और स्वदेशी पूंजी की बड़ी सतर्कता से निगरानी कर रहे हैं और चाहे अनुज्ञप्ति देने का प्रश्न हो या पूंजी के निर्गमन का प्रश्न हो या कोई

[श्री सी० डी० देशमुख]

और कार्यपालिका के क्षेत्र की बात हो सदा इस बात का ध्यान रख कर कार्यवाही की जाती है कि विदेशी समवायों की सहायक शाखायें हमारे लोगों को इस क्षेत्र से निकाल न दें । इस समय हमारा एकमात्र उद्देश्य विशेषज्ञों को प्राप्त करना और ऐसे कुछ क्षेत्रों में विदेशी पूंजी लगवाना है जहां कि हम यह समझते हैं कि इस से देश का हित-साधन हो सकेगा । मेरे विचार में किसी का भी यह विचार नहीं है कि स्वदेशी निर्माताओं के भविष्य में अवनति से इस देश का हित साधन हो सकेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २, संशोधित रूप, में विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ३--(१९२२ के अधिनियम ११ का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई शुल्क नहीं बढ़ाया जा सकता । अतः संशोधन संख्या ११,१२,१४, १७, २०, ३१, ४५, ४६, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ८५, ८६, ८७, ८८ ८९, ९०, ९१, ९२, ९३ और ९४ अनियमित हैं । संशोधन संख्या ९६, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५ और १०६ भी अनियमित हैं, क्योंकि इन में ब्रिटेन के प्रति वरीयता शुल्क घटाने या हटा देने का प्रयत्न किया गया है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ ३ में पंक्ति १ से १४ तक के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट कर दिया जाये :

"(i) the income whereof is exempt under clause (i) of sub-section (3) of section 4,

(ii) which is not expressed to be for the benefit of any particular religious community,

(iii) which maintains regular accounts of its receipts and expenditure, and

(iv) which is either constituted as a public charitable trust or is registered under the Societies Registration Act, 1860 (XXI of 1860), or under section 26 of the Indian Companies Act, 1913 (VII of 1913), or is a university established by law or any other educational institution recognised by, or affiliated to, any such university, or

(v) which is an institution financed wholly or in part by the Government or a local authority."

["(१) जिस की आय धारा ४ की उपधारा ३ के खण्ड (झ) के अधीन विमुक्त हो,

(२) जो कि किसी सम्प्रदाय विशेष के हित के लिये प्रख्यापित न हो,

(३) जो अपनी आय और व्यय का नियमित लेखा रखता हो, और

(४) जो या तो एक लोक पूर्त न्यास के रूप में गठित की गई हो अथवा संस्था पंजीय

अधिनियम, १८६० (१८६० के २१) के अधीन, अथवा भारतीय समवाय अधिनियम १९१२ (१९१२ के ७) की धारा २६ के अधीन पंजीकृत हो, अथवा जो विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय हो या ऐसे किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा उस से सम्बद्ध कोई अन्य शिक्षा संस्था हो, अथवा

(५) एक ऐसी संस्था हो जिसे सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकारी संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से धन दे कर चलाता हो।"]

(२) पृष्ठ ३ में पंक्ति १४ के पश्चात् निम्नलिखित निविष्ट कर दिया जाये :

"(2A) For the removal of doubts, it is hereby declared that in respect of sums paid as donations on or after the 1st day of April, 1948, and before the 1st day of April, 1953, the provisions of sub-sections (1) and (2) shall apply as if the amendments made by clause (c) of section 3 of the Finance Act, 1953, had not been made."

["(२क) सन्देह निवारणार्थ यह घोषित किया जाता है कि १ अप्रैल, १९४८ को या उस के पश्चात् और १ अप्रैल, १९५३ से पूर्व दान के रूप में दी गई राशियों के सम्बन्ध में उपधारा (१) तथा (२) के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानो वित्त अधिनियम १९५३ की धारा ३ के खण्ड (ग) द्वारा किये गये संशोधन किये हीन गये हों।"]

(३) पृष्ठ ३ की पंक्ति २० और २१ में "any loss sustained in a business consisting of speculative transactions" [सट्टे के लेन-देन सम्बन्धी किसी सौदे में हुई कोई हानि"] के स्थान पर "any loss sustained in speculative transactions which are in the nature of a business" ["सट्टे के लेन-देन के सम्बन्ध में, जो कि सौदे के रूप में किये गये हों, हुई कोई हानि"] आदिष्ट कर दिया जाये।

(४) पृष्ठ ३ में पंक्ति ३६ से ४२ तक के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट किया जाये :

"Provided that for the purposes of this section—

(a) a contract in respect of raw materials or merchandise entered into by a person in the course of his manufacturing or merchanting business to guard against loss through future price fluctuations in respect of his contracts for actual delivery of goods manufactured by him or merchandise sold by him; or

(b) a contract in respect of stocks and shares entered into by a dealer or investor therein to guard against loss in his holdings of stocks and shares through price fluctuations; or

(c) a contract entered into by a member of a forward market or a stock exchange in the course of any transaction in the nature of jobbing or arbitrage to guard against loss which may arise in the ordinary course of his business as such member;

shall not be deemed to be speculative transaction."

["परन्तु इस धारा के प्रयोजन के हेतु—

[श्री सी० डी० देशमुख]

(क) किसी व्यक्ति द्वारा बेची गई वस्तुओं या उस के द्वारा निर्मित वस्तुओं के वास्तविक प्रदाय के लिये किये गये ठेकों के सम्बन्ध में भविष्य में मूल्यों में होने वाली घटा-बढ़ी से होने वाली हानि से बचने के लिये अपने निर्माण या बेचने के व्यापार के सम्बन्ध में कच्चे पदार्थों या वस्तुओं का कोई ठेका; अथवा

(ख) किसी व्यापारी या विनियोगकर्त्ता द्वारा मूल्यों में घटा-बढ़ी के कारण अपने पास विद्यमान निधि-पत्रों तथा अंशों में हानि से बचने के लिये निधि-पत्रों तथा अंशों के सम्बन्ध में किया गया कोई ठेका; अथवा

(ग) किसी वायदा बाजार या श्रेष्ठि चत्वर के सदस्य द्वारा सदस्य के रूप में अपने व्यापार में साधारणतया होने वाली हानि से के बचने के लिये दलाली या अन्तर-पणन के रूप में किसी लेन-देन के सम्बन्ध में किया गया कोई ठेका;

सट्टे का सौदा नहीं समझा जायेगा।"]

(५) पृष्ठ ४ की पंक्ति १२ और १३ में "28th February, 1953" ["२८ फरवरी, १९५३"] के स्थान पर, "31st day of March, 1952" ["३१ मार्च, १९५२"] आदिष्ट कर दिया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब ये पांचों संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत हैं। क्या माननीय मंत्री इन संशोधनों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख: प्रथम संशोधन का यह उद्देश्य है : (क) पहिली तीन शर्तों को एक साथ पूरा करना होता है, किन्तु अन्तिम दो में से केवल एक को पूरा करना पड़ता है। यह तो प्रारूपण का प्रश्न है।

(ख) केवल किसी सम्प्रदाय विशेष के लिये बनाई गई संस्था को ही अपवर्जित किया गया है, किसी पिछड़े हुए समुदाय, अर्थात् अनुसूचित जातियों या आदिमजातियों के लिये बनाई गई संस्था को नहीं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इस के प्रथम भाग में केवल यह बताया गया है कि कौन सी शर्तें एक साथ पूरी की जानी हैं और कौन सी वैकल्पिक शर्तें हैं और दूसरी बात यह है कि अनुसूचित जातियों या आदिमजातियों जैसे पिछड़े हुए समुदायों की संस्थाओं को दिये गये दान को अपवर्जित नहीं किया गया है, समुदाय का अर्थ सम्प्रदाय लिया गया है।

डा० एस० पी० मुकर्जी : क्या यह संशोधन में भी संशोधन है ?

श्री सी० डी० दशमु : जी नहीं।

डा० एस० पी० मुकर्जी : सरकार के अभिप्राय को संदिग्ध नहीं रखना चाहिये। इसे संशोधन में ही स्पष्ट रूप से बतला देना चाहिए। यदि सरकार का यह विचार है कि अनुसूचित जातियों के हित के लिये दिये गये दान पर भी छूट मिलनी चाहिये तो यह स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिये ताकि किसी प्रकार का कोई सन्देह न रहे।

श्री सी० डी० देशमुख : यदि एक व्याख्या निविष्ट की जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

डा० एस० पी० मुकर्जी : माननीय वित्त मंत्री बच्चों और स्त्रियों के लाभ संबंधी संस्थाओं को भी सम्मिलित कर लें क्योंकि हमारे संविधान में भी ३ श्रेणियों को सामान्य श्रेणी से विमुक्त कर दिया है। व्याख्या निम्नलिखित प्रकार की होनी चाहिये।

"स्त्रियों बच्चों अथवाअनुसूचित जातियों या पिछड़ी जातियों के हित के लिए की गई

कोई बात सामान्य श्रेणी से विमुक्त होगी ।"

श्री सी० डी० देशमुख : मैं इस से सन्तुष्ट हूं इस का प्रारूप तैयार किया जाएगा इस उप-खण्ड के प्रयोजन के लिए एक व्याख्या जोड़ दी जाए :

"धार्मिक सम्प्रदाय में कोई संस्था जो किसी पिछड़ी जाति अर्थात् अनुसूचित जातियों अथवा आदिवासियों या स्त्रियों और बच्चों के कल्याण की प्रगति के लिए हो, सम्मिलित नहीं होगी ।"

श्री क० सी० सोधिया : क्या मैं यह सुझाव रख सकता हूं कि शब्द "अनन्य" से पूर्व शब्द "केवल" जोड़ दिया जाए ?

श्री सी० डी० देशमुख : संभवतः यह अभिप्राय पूर्ण हो जाता है । यह युक्ति दी जा सकती है कि जो संस्था स्त्री और पुरुष दोनों का कल्याण करना चाहती हो स्त्रियों को लाभ पहुंचाने वाली संस्था समझी जा सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि 'किसी धार्मिक सम्प्रदाय के केवल लाभ के लिए ।"

श्री सी० डी० देशमुख : मैं ने समझा कि केवल अनुसूचित जातियों के लिए अथवा केवल स्त्रियों और बच्चों के लिए ।

श्री बंसल : कठिनाई सम्प्रदाय शब्द के प्रयोग पर है । हमारे देश में इस के वास्तविक अर्थों की अपेक्षा अन्य अर्थ लिए जाते हैं । उदाहरण के लिए लीजिए हरिजन एक जाति भी है और धार्मिक सम्प्रदाय भी । मेरा सुझाव है कि शब्द धार्मिक सम्प्रदाय की अपेक्षा तंग सम्प्रदाय रखा जाए ।

श्री सी० डी० देशमुख: मेरे विचार में यह व्याख्या सर्वथा ठीक ही है ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : इस संशोधन के विषय में भाग (४) के सम्बन्ध में मैं सुझाव रखना चाहता हूं । संशोधन विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा किसी और शिक्षा सम्बन्धी संस्था की ओर निर्देश करता है जो विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अथवा उस से सम्बन्धित हो । और भाग ५ में कहा गया है कि जिस संस्था को सरकार द्वारा अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पूर्ण अथवा अंशतः आर्थिक सहायता मिलती हो, परन्तु कितनी ही अच्छी संस्थाएं ऐसी हैं जिन्हें विश्वविद्यालयों ने स्वीकार नहीं किया परन्तु सरकार ने किया हुआ है, जैसे कि गुरुकुल ।

श्री सी० डी० देशमुख : क्या उन्हें सरकार से आंशिक आर्थिक सहायता नहीं मिलती ?

डा० एस० पी० मुकर्जी : वे स्वतंत्र संस्थाएं हैं । आप "किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अथवा सरकार द्वारा स्वीकृत" शब्द क्यों नहीं जोड़ देते ?

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे विचार में "स्वीकृत" कला संबंधी पद है । इस के विशेष अर्थ हैं सहायता के प्रयोजनों के लिए स्वीकृत । मुझे ऐसी स्वीकृति पता नहीं जिस में सहायता न दी जाती हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : स्वीकृति दो प्रकार की होती है एक अनुदान देने के सम्बन्ध में और दूसरे उपाधि को स्वीकार करने के संबंध में । यहां इस का दोनों रूप में प्रयोग हुआ है ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : मैं ऐसी कई उद्योग संबंधी संस्थाएं बता सकता हूं जो किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित परन्तु वे सरकार द्वारा स्वीकृत हैं और उन की उपाधियां स्वीकृत होती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मद्रास तथा अन्य स्थानों पर बहु कला सम्बन्धी संस्थाएं सरकार

[उपाध्यक्ष महोदय]

द्वारा स्वीकृत हैं परन्तु विश्वविद्यालयों द्वारा नहीं ।

श्री सी० डी० देशमुख : क्या वे पंजीबद्ध नहीं हैं । मैं विचार करता हूं कि कोई भी अच्छी संस्था पंजीबद्ध होगी । यह बहुत विस्तृत श्रेणी है । यदि यह विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय न हो तो यह पंजीबद्ध संस्था होगी । मेरा विचार है कि वे बहुत से मामले जो माननीय सदस्य के विचार में हैं इस बिस्तृत शब्द में आ जाएंगे ।

श्री टी० एस० चेट्टियार (तिरुपुर) : किसी व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली संस्था पंजीबद्ध न हो यह संभव है । 'सरकार द्वारा स्वीकृत' अच्छी पदावली है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे कोई आपत्ति नहीं क्योंकि मैं नहीं समझता कि वे बहुत होंगी और जैसा कि मेरी भी यह युक्ति है कि यदि वह स्वीकृत है तो वह अच्छा कार्य ही कर रही होगी और इस से उसे विमुक्त कर देने का विशेष कारण है । मैं जानना चाहूंगा कि माननीय सदस्य के मन शब्दों का क्या रूप है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे ऐसे रख सकते हैं "या सरकार द्वारा स्वीकृत या किसी ऐसे विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कोई अन्य शिक्षा संबंधी संस्था ।"

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नल्लोर) : मैं माननीय वित्त मंत्री के प्रथम संशोधन में संशोधन का प्रस्ताव करता हूं । उस के अधीन कोई व्यक्ति ऐसी धार्मिक संस्थाओं की भी सहायता नहीं कर सकता जो शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सहायता करती हैं । उदाहरण के लिए तिरुपथी देवस्थान की संस्था है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मूल संशोधन नकारात्मक है, यह सकारात्मक है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरा उत्तर यह है कि जो बात माननीय सदस्य के मन में है उस में पूर्त कार्यों को अलग कर देना चाहिये और एक पंजीबद्ध संस्था बनानी चाहिये जिस से इस खण्ड का लाभ प्राप्त हो सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि उस चिकित्सा संबंधी संस्था को धन दिया जाए जिसे तिरुपथी देवस्थान चला रहा है तो वह भाग (२) के लिए बाधा उत्पन्न नहीं करता ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह संशोधन अनावश्यक और अस्वीकार्य है ।

श्री तुलसीदास : मैं एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं । हम संभवतः उस को विधि अनुकूल कर रहे हैं जो पहले प्रशासकीय अनुदेशों द्वारा किया जा रहा था ।

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्य किस संशोधन की ओर निर्देश कर रहे हैं ?

श्री तुलसीदास : यह संशोधन ३३ है । वित्त मंत्री के संशोधन के अनुसार यह अर्थ है कि किसी विशेष धार्मिक सम्प्रदाय के हित के लिये नहीं होना चाहिये । परन्तु संविधान के अनुच्छेद ३० खण्ड २ में कहा गया है कि सरकार शिक्षा संबंधी संस्थाओं को अनुदान देते हुए भाषा अथवा धर्म संबंधी अल्प संख्यकों द्वारा प्रबंधित होने के आधार भेद भाव नहीं करेगी ।

मेरे विचार में यह भेदभाव अमरीका जैसे देशों में जहां राज्य शासन का धार्मिक आधार नहीं है, ऐसा भेद भाव नहीं है । हम केवल किसी व्यक्ति की विशेष निष्ठा के कारण उस द्वारा दिये गये दान को विमुक्ति क्यों न दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मूल अधिकार केवल शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं के विषय में है चाहे उन्हें धार्मिक अल्पसंख्यकों ने स्थापित किया हो ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : संविधान में कहा गया है कि विभिन्न सम्प्रदायों द्वारा प्रबंधित संस्थाओं के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा । उस का इस खण्ड के साथ कोई सम्बन्ध नहीं । यह खण्ड संविधान के अधीन ठीक है ।

श्री तुलसीदास : 'प्रबंधित' के अर्थ हैं, एक विशेष धार्मिक सम्प्रदाय प्रबन्ध कर रहा हो ।

मैंने संशोधन में यह प्रस्ताव भी रखा है कि मैं सीमा को १० प्रतिशत से घटा कर ५ प्रतिशत करने का विरोध करता हूं । यहां विशेष करदाताओं के सम्बन्ध में विरोधाभास है । ५००० रुपये आय वाले व्यक्ति को इस के अधीन विमुक्ति नहीं मिलती क्योंकि उसका ५ प्रतिशत २५० रुपये बनता है । यह न्यूनतम राशि है । यदि इस से कुछ अधिक हो तो विमुक्ति मिल सकती है । अमरीका में १५ प्रतिशत विमुक्ति है, आस्ट्रेलिया में इस से अधिक है, केनेडा में १० प्रतिशत है । मैं नहीं समझता कि यहां यह सीमा क्यों घटा दी गई है ।

२ १/२ लाख रुपये को कम कर १ लाख करने के सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव है कि यह १ १/२ लाख रुपया होना चाहिये । इस से हमें अधिक करदाता प्राप्त हो सकेंगे ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : निस्संदेह सरकार ने दृढ़ निश्चय कर लिया है । वह केवल पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, स्त्रियों और बच्चों के सम्बन्ध में विमुक्ति देना चाहती है । परन्तु मैं समझता हूं कि यह गलत ढंग है । हमारा देश इस दृष्टि से धर्म निरपेक्ष है कि कि यह किसी धर्म के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि यह देश धर्म विरोधी है । इसलिए कोई कारण नहीं कि सरकार ऐसा बुरा और बाधाजनक व्यवहार करे । अमरीका में दान के सम्बन्ध में कोई अपवाद नहीं सिवाए इस के वह दान समाज के हितों के विरुद्ध न हो । यदि सरकार यह कहती कि कोई व्यक्ति समाज के हितों के विरुद्ध दान देते हुए धर्म की आड़ लेगा तो बुरा होगा । यह बात समझ में आ सकती थी । यहां कई मंदिर, मठ और धर्मशालाएं हैं जो किसी व्यक्ति के हित के लिए नहीं । परन्तु उनका बहुत सार्वजनिक मूल्य है । उन्हें भी वैसा ही लाभ मिलना चाहिये । मेरे विचार में यह ठीक नहीं है और अधिकतर लोग इसे पसन्द नहीं करेंगे चाहे वे किसी भी सम्प्रदाय के हों ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस में लिखा है :

> "(२), जो किसी विशेष सम्प्रदाय के लाभ के लिए घोषित न की गई हो ।"

यह खण्ड प्रत्येक संस्था पर लागू होता है ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : संविधान में यह उपबन्ध है कि विशेष सम्प्रदायों के लिए भी शिक्षा संस्थायें हो सकती हैं । उन्हें सरकार विमुक्ति नहीं देगी ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : सच तो यह है कि यदि किसी मन्दिर को केवल धार्मिक काम के लिए चन्दा दिया जाय तो उस चन्दे पर धारा १५ ख लागू नहीं होगी परन्तु सरकार द्वारा स्वीकृत संस्थाओं को प्रस्तावित धारा १५-ख का लाभ हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुच्छेद ३० (१) के अधीन कोई भी सम्प्रदाय केवल अपने लिए ही शिक्षा संस्था खोल सकता है । परन्तु

[उपाध्यक्ष महोदय]

अनच्छेद ३० का खण्ड २ भी साथ ही पढ़ना चाहिए जिस के अनुसार कोई भेदभाव ऐसी संस्था में भी नहीं किया जा सकता ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : यही तो मैं कह रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि अनुच्छेद ३० का खण्ड (२) बिल्कुल अलग से लिया जाय । खण्ड (१) तथा (२) इकट्ठे पढ़े जाने चाहियें ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : मैं माननीय वित्त मंत्री से कहूंगा कि अनुच्छेद ३० (२) को पढ़ें ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मेरी बात का समर्थन भी इसी से होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस अनुच्छेद का खण्ड (१) भी साथ ही पढ़ें ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : सभी अल्पमतों को, उनका आधार धर्म हो चाहे न हो, अपनी पसन्द की संस्थायें स्थापित करने का अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए वे कह सकते हैं कि क्रिश्चियन कालिज केवल ईसाइयों के लिए है ।

श्री सी० डी० देशमुख : हमारा वास्ता केवल अल्पमतों से है और यहां धार्मिक सम्प्रदाय अल्पमत नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह धार्मिक अल्पमत भी हो सकता है ।

श्री सी० डी० देशमुख : सम्भव है ऐसा हो या न भी हो । इसलिए किसी अल्पमत के विरुद्ध भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे मित्रों का कहना तो यह है कि यह संशोधन इतना सामान्य है कि इससे उन संस्थाओं को भी विमुक्ति नहीं मिलती ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह इतना सामान्य है कि इसमें किसी धार्मिक सम्प्रदाय के विरुद्ध भेद भाव नहीं बरता जाता ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभी पर प्रतिबन्ध लगाता है ?

श्री सी० डी० देशमुख : जी हां, सब लोगों पर । इसलिए इस खण्ड का कोई प्रभाव नहीं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : हमारी राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार की नीति यह है कि वे ऐसी संस्थाओं को सहायता नहीं देतीं जो किसी एक ही सम्प्रदाय के लिए हों ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न का निर्णय नहीं कर सकता । यह निर्णय करना सदन का काम है कि अनुच्छेद ३० यहां लागू होता है या नहीं । इस के पक्ष में तथा विरुद्ध बातें कही गई हैं । इसलिए अब मैं यह संशोधन सदन के मतदान के लिए रखूंगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैंने उत्तर नहीं दिया है.....

उपाध्यक्ष महोदय : हम काफ़ी बहस कर चुके हैं । माननीय सदस्य और चर्चा करना चाहते हों तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु हम खण्ड ३ के उपखण्ड (ग) पर विचार कर रहे हैं । जो भी माननीय सदस्य, माननीय मंत्री के संशोधन के सम्बन्ध में कहना चाहते हों या कोई संशोधन रखना चाहते हों, ऐसा कर सकते हैं ।

श्री पी० टी० चाको—उठे ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह इस सम्बन्ध में है ?

श्री पी० टी० चाको : जी हां । इस में कहा गया है कि

पृष्ठ ३, पंक्ति १ में

"खण्ड (१)" के स्थान में "खण्ड (१) (१-क) और (२)" को आदिष्ट किया जाय ।

धारा ४ की उपधारा (३) के खण्ड (१) के अधीन कुछ सम्पत्तियों की आय विमुक्त है। यह विमुक्ति ऐसी सम्पत्ति की आय को है जो प्रन्यास के अधीन हो या विधि के अनुसार आभार के अधीन हों ।

परन्तु किसी संस्था की आय अन्य किसी प्रकार की सम्पत्ति से भी हो सकती है । इसलिए किसी संस्था की सारी आय आयकर अधिनियम की धारा ४ (३) (१) के अधीन नहीं आएगी । ऐसी संस्था की आय चन्दों से भी हो सकती है । चन्दे धारा ४ (३) (२) के अधीन आते हैं । इसलिए यह आवश्यक है कि चन्दे भी इस धारा के अधीन आएं । यदि कोई संस्था चन्दे लेती है तो इस की आय किसी अन्य सूत्र से भी हो सकती है । उस की आय धारा ४ (३) (१ क) के अधीन भी हो सकती है । मैं वही यहां जोड़ना चाहता हूं । सदन के विचाराधीन आयकर (संशोधन) विधेयक में इस भाग (१ क) को हटाने की बात है । मेरा निवेदन यह है कि भाग (२) भी खण्ड ३ (ग) (२) (१) में जोड़ दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे वित्त विधेयक की इस उपधारा के अधीन लाने का क्या उद्देश्य है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : स्थिति यह है । धारा १५ ख उपरोक्त धारा से भिन्न है । मेरे माननीय मित्र धारा ४ की बात सोच रहे हैं । धारा १५ ख को इस धारा से जो कि बिल्कुल ही अलग है, जोड़ने का कोई अर्थ नहीं है । यह धर्मार्थ संस्थाओं से सम्बद्ध नहीं बल्कि धर्मार्थ तथा अन्य संस्थाओं को चन्दे देने वाले व्यक्तियों से सम्बन्ध रखती है । नाम में किसी प्रकार की समानता होने के कारण से ही इस प्रश्न पर कुछ भ्रम रहा है । यह ऐसा मामला है जिसका लाभ औरों के अतिरिक्त धर्मार्थ संस्थाओं को भी मिलता है । इसलिए मेरे माननीय मित्र इस मामले की तह तक पहुंच गए हैं और धर्मार्थ संस्थाओं की आय सम्बन्धी उपधारा को भी जोड़ना चाहते हैं । इन दो धाराओं का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं ।

श्री पी० टी० चाको : मान लीजिए ऐसी संस्था की आय चन्दों से हो रही हो....

श्री अच्युतन (कोंगान्नूर) : हमारा वास्ता चन्दा देने वालों से है लेने वालों से नहीं ।

श्री पी० टी० चाको : प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा दिए गए चन्दे को विमुक्त किया जायगा या नहीं । प्रस्तुत स्थिति यह है कि चन्दा तभी विमुक्त होगा जबकि वह ऐसी संस्था को दिया गया हो जिस की आय प्रन्यास के अधीन या विधिगत आभार के अधीन सम्पत्ति से हो, अन्यथा नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : बात स्पष्ट है । धार्मिक संस्था पर कर नहीं लगता है । परन्तु प्रश्न यह है कि कर देने वाला कोई व्यक्ति किसी धार्मिक संस्था को चन्दा दे तो वह कर-मुक्त होगा या नहीं ।

आयकर अधिनियम के अधीन, धार्मिक संस्था, चन्दे चाहे वह किसी विशेष सम्प्रदाय के लिए ही क्यों न हों, पर कर नहीं लग सकता । वित्त विधेयक में यह व्यवस्था की गयी है कि यदि चन्दा किसी सम्प्रदाय विशेष के लिए दिया गया हो तो उसे करमुक्त न किया जाय ।

श्री पी० टी० चाको : मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस पर प्रकाश डालें।

श्री सी० डी० देशमुख : इस की कोई आवश्यकता नहीं। धारा ४ (३) (२) को सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

खण्ड ३ (ग) (२) (१) में सारे मामले आ जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा कहना है कि भाग (१) क्यों रहे ? यदि मुझ द्वारा किया गया निर्वचन ठीक है तो धर्मार्थ संस्था की किसी प्रकार की आय पर भी कर नहीं लिया जा सकता। यहां प्रश्न यह है कि चन्दा देने वाले को कर मुक्त किया जाय। यही बात है तो भाग (१) (२) और (३) सभी अनावश्यक हैं।

श्री पी० टी० चाको : तो ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी बात है तो ये सारे भाग रहें।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : आयकर (संशोधन) विधेयक के अधीन किसी धर्मार्थ संस्था द्वारा किए गए व्यापार पर आयकर लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तो हम प्रस्तुत अधिनियम की ही बात कर सकते हैं।

श्री पी० टी० चाको : यह खण्ड प्रस्तुत रूप में ऐसी संस्था पर लागू होता है जिसकी आय केवल न्यायाधीन या विधिगत आभार के अधीन सम्पत्ति से ही होती हो। परन्तु ऐसी संस्था की आय के स्रोत और भी हो सकते हैं।

श्री बंसल : खंड ३ (ग) का उपखंड (२) धर्मार्थ कार्यों की परिभाषा करता है। धर्मार्थ संस्थाओं की विशेषता बताने के लिए ही उसे बनाया गया है। किन्तु मैं श्री चाको से इस बात में सहमत हूं कि यह पूर्ण नहीं है। अतएव मैं निवेदन करूंगा कि आयकर आधनियम की धारा १५ (ख) की स्थिति स्वीकार की जाय जिसमें स्पष्ट किया गया है

> "इस धारा में 'धार्मिक कार्यों' से अभिप्राय निर्धनों की सहायता, शिक्षा, चिकित्सा सहायता तथा जनसाधारण के उपयोग के उद्देश्य को पूरा करने से है।"

माननीय वित्त मंत्री द्वारा संशोधित भाग (२), (३) तथा (४) धार्मिक कार्यों के लिए सीमा निर्धारित करने की स्थिति का काम करेंगे। अधिनियम में धार्मिक कार्यों की परिभाषा दो स्थानों पर की गई है उस परिभाषा को उपखंड के स्पष्टीकरण के तौर पर रख सकते हैं।

(२) अर्थात्, व्याख्या—"इस धारा में धार्मिक कार्यों का अभिप्राय यह होगा कि ....." तदोपरांत ये सीमा निर्धारित करने की स्थितियां आयेंगी।

श्री श्यामनन्दन सहाय : प्रस्तुत विधेयक में एक उपखंड है—"जो किसी विशेष समुदाय के लाभ के लिए बनाई गई न कही गई हो।" वित्त मंत्री के संशोधन में लिखा है कि :—

> "जो किसी विशेष धार्मिक समुदाय के लाभ के लिए बनाई गई न कही गई हो।"

मेरा निवेदन है कि 'धार्मिक' शब्द के जोड़ देने से प्रस्तुत विधेयक का कार्यक्षेत्र बढ़ जाता है और मेरे विचार से संशोधन के रूप में इसकी अनुमति न दी जाय। प्रस्तुत विधेयक किसी विशेष समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए है। किन्तु जब आप कहते हैं कि विशेष धार्मिक समुदाय से तो विधेयक का उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र बढ़ जाता है, और ऐसी दशा में मैं तो नहीं समझता कि यह संशोधन का विषय है। विधेयक को प्रवर समिति को भी नहीं

सौंपा गया है। इसलिए "धार्मिक" शब्द से होने वाली सभी पेचीदियों पर विचार करने का कोई अवसर नहीं मिला। अतएव मैं न केवल सदन के विचारार्थ ही अपितु विशेष रूप से आपके विचारार्थ निवेदन करता हूं कि क्या 'धार्मिक' शब्द जोड़ देने से प्रस्तुत विधेयक का कार्यक्षेत्र बढ़ जाता है और इसका उद्देश्य बदल जाता है अथवा नहीं ? सम्भवतः माननीय वित्त मंत्री ने भी इस विशेष विषय के बारे में कुछ नहीं कहा है। किन्तु 'धार्मिक' शब्द बढ़ाने में मुझे तो कोई तुक नजर नहीं आती। फिर यदि हमारा विचार यह है कि 'हमारा लौकिक राज्य है' तो इस दान के कार्यक्षत्र को किसी विशेष धर्म के लिए हम सीमित नहीं करते।

यदि हम यह छूट दे देते हैं तो इस छूट का लाभ सभी धार्मिक समुदाय उठायेंगे। अतएव इस छूट की आज्ञा देना धर्म निरपेक्षवाद की नीति के अनुसार है। मैं यह नहीं जानता कि माननीय वित्त मंत्री को विभिन्न प्रकार के धार्मिक न्यासों एवं धार्मिक दानों का व्यक्तिगत अनुभव है अथवा नहीं किन्तु जहां तक मैं जानता हूं मैं कह सकता हूं कि १०० में से ९९ में ९० प्रतिशत धार्मिक न्यास, चाहे मंदिरों को ही दिये गय क्यों न हों सार्वजनिक उपयोग के कार्य आते हैं जैसे निधनों को सहायता शिक्षा, धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाये गये स्कूल, चिकित्सा सहायता आदि। अब कठिनाई यह है कि यदि 'धार्मिक' शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका दूसरा ही अर्थ निकलेगा और न्यास के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता निर्धनों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधायें, उपलब्धियां, सहायता, बीमार, तथा अशिक्षितों को मिलने वाली सभी सुविधायें आदि देने से इन्कार कर दिया जायगा। यदि 'धर्म' शब्द नहीं बढ़ाया जाता तो मुझे विश्वास है कि न तो सरकार ही और न माननीय वित्त मंत्री ही का विचार इन लाभ पाने वाले व्यक्तियों को सुविधाओं से वंचित करने का है।

मैं अनुभव करता हूं कि इस मामले पर यह सदन तथा सरकार दोनों ही गम्भीरता से विचार करें। मैं तो नहीं समझता कि यह धर्म किसी को लाभ भी पहुंचावेगा। भूतकाल में भी धर्म को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किये गये हैं। किन्तु उनको सफलता न मिल सकी। मैं नहीं समझता कि माननीय वित्त मंत्री को इसमें कहां तक सफलता मिलेगी।

मैं ऐसा इसलिए नहीं कहता कि इससे किसी विशेष धार्मिक समुदायों को अथवा धार्मिक न्यासों को लाभ पहुंचेगा अपितु इससे निर्धन व्यक्तियों को जिन्हें कि सहायता की अत्यधिक आवश्यकता है उनको अधिक लाभ पहुंचेगा। मैं नहीं जानता कि सरकार ने विभिन्न प्रकार के न्यासों के बारे में कोई छानबीन भी की है। यदि जांच की होती तो स बात का पता चल जाता कि धन को वास्तव में ही गंवा दिया जाता है अथवा जनसाधारण के लाभ के लिए प्रयोग में लाया जाता है ? ऐसा न करने पर, मैं तो नहीं समझता कि इस दशा में इस संशोधन में 'धार्मिक' शब्द बढ़ाना उचित है।

बहुत से राज्यों में पीछे इन धार्मिक तथा दान से चलने वाली संस्थाओं को सरकारी समिति के नियन्त्रण में लाने के लिये विधान भी पारित कर दिये गये हैं। इन न्यासों के खर्चे पर कुछ अंशों में स्थानीय सरकारों द्वारा नियंत्रण एवं रोक लगा दी है। अतएव ऐसे भय की कोई बात नहीं है कि दान से चलने वाले न्यासों में प्राप्य धन को बुरी तरह खर्च किया जायगा।

अतएव माननीय वित्त मंत्री से मेरा निवेदन है कि सावधानी पूर्वक इस पर विचार करें। मेरे विचार से वित्त विधेयक के इस खंड के अन्तर्गत धार्मिक संस्थाओं को प्राप्त

[श्री श्यामनन्दन सहाय]

होने वाले लाभों को प्राप्त करने से मुक्ति देना आत्महतक, अराजनैतिक एवं गलत होगा।

श्री सी० डी० देशमुख : जहां तक धार्मिक संस्थाओं का सम्बन्ध है मेरा विचार है कि ये आपत्तियां मिथ्याबोध पर निर्धारित हैं। प्रस्ताव में विचार करने वाले वाद विवाद के समय मैंने अपने भाषण में बताया था कि यह नया नहीं है, वर्तमान धारा १५ ख का हमारा प्रशासन इसी विचार धारा पर है। यदि इसका लक्ष्य किसी धार्मिक संस्था के लाभ से था तो धारा १५ ख के कार्यों के लिए उन दानों का अनुमोदन नहीं किया गया था। अतएव सर्वप्रथम मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई नया परिवर्तन नहीं किया गया है।

दूसरी बात यह है कि धारा ४ में भी धार्मिक कार्यों से अभिप्राय निर्धनों की सहायता, शिक्षा, चिकित्सा सहायता तथा जन-साधारण के उपयोग के उद्देश्य को पूरा करने से है किन्तु उपखंड १ (क) अथवा २ में जो बातें कही गई हैं उनमें से कोई भी वैयक्तिक धर्मार्थ न्यासों के आय के उस भाग को इस अधिनियम के उपबन्धों से मुक्त नहीं करेगी जो सार्वजनिक लाभ के लिए नहीं व्यय किया जाता है।

दूसरे शब्दों में यदि आय को किसी विशेष समुदाय के लाभार्थ ही निर्धारित किया जाय तो धारा ४ के अन्तर्गत दी गई छूट उसे नहीं मिलती। धारा १५ ख के बारे में अब हम जो कुछ कर रहे हैं वह इसके अनुरूप है।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु इसमें भाग (१) क्यों है जबकि आय को धारा ४ की उपधारा (३) के खंड (१) के अन्तर्गत मुक्त कर दिया गया है।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं तो धार्मिक विषय की बात कर रहा हूं न कि भाग (i) और (ii) को सम्मिलित करने के बारे में।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह उस अनुच्छेद के बारे में है जो अभी पढ़ा गया है। जैसा कि मैंने निवेदन किया था मेरे विचार में संविधान का यह अनुच्छेद तो किसी प्रकार लागू ही नहीं होता। हम अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कोई मतभेद नहीं कर रहे हैं, हम सभी धार्मिक समुदायों के साथ एक सा बर्ताव कर रहे हैं सभी के साथ निष्पक्षता का बर्ताव है। ऐसा होने पर मतभेद का तो कोई प्रश्न नहीं है। अतएव इस अनुच्छेद के खंड (२) की व्याख्या करना मेरे लिए आवश्यक है। जब से यह प्रश्न उठा है मैं समझता हूं कि प्रबन्ध के प्रश्न में ध्यान देना चाहिए न कि लाभ के सम्बन्ध में। यहां पर हम उन समुदायों के बारे में जिनको किसी दान एवं धर्मार्थ से लाभ पहुंचता है, बातचीत कर रहे हैं। यह केवल प्रबन्ध का ही प्रश्न नहीं है। वाद विवाद के दौरान में जैसा कि आप देखेंगे कि यदि कोई संस्था धार्मिक समुदाय द्वारा चलाई जाती है और उससे सभी व्यक्ति बिना किसी मतभेद के लाभ उठाते हैं तो इस प्रकार की संस्थाओं को दिये जाने वाला दान बाधित नहीं किया जायगा। मान लीजिए कोई हाई स्कूल है अथवा कुष्ट व्यक्तियों के लिए कोई शरण स्थान है तो इन संस्थाओं को जो कुछ भी दान दिया जायगा उसे बाधित नहीं किया जायगा। अतएव धर्म निरपेक्षवाद के नाम पर हम कोई नया सिद्धान्त चालू नहीं कर रहे हैं। हम तो उन उपबन्धों को जो कि पहिले से ही चले आ रहे हैं, जो प्रशासन

की नीति के रूप में जारी हैं और जो आजकल लागू हैं उन्हीं को दूसरे रूप में दुहरा रहे हैं।

दूसरा प्रश्न वह है जो श्री चाको ने उठाया है। मैं समझता हूं कि वह ठीक है। अर्थात् जब हम एकवाद धार्मिक संस्था कहते हैं तब या तो हमें ऐसा करना चाहिए जैसा कि श्री बंसल ने सुझाया है अर्थात् धार्मिक कार्यों की परिभाषा पर ही निर्भर रहें, अथवा हम इसको महत्व देना चाहते हैं तो इस प्रकार से महत्व दें कि संस्थाओं में किसी प्रकार का मतभेद न हो।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार मैं समझता हूं कि भाग (i) का सम्बन्ध उस महत्वपूर्ण एवं निश्चित संस्था से है जिसके साथ कि कुछ सम्पत्ति लगी है। दूसरा बड़ी धुंधली सी स्थिति में है जिसके बारे में कोई भी निश्चित नहीं है। इस प्रकार की संस्थाओं को दिये जाने वाले दान महत्व रखें या न रखें। सरकार उन संस्थाओं के बारे में जो आत्मनिर्भर हैं अथवा जो नहीं हैं उनका विभाजन कर देना चाहती है।

श्री सी० डी० देशमुख : उनको पंजीबद्ध करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : संस्थाओं के पंजीयन कराने के अधिनियम के अन्तर्गत सभी कुछ पंजीबद्ध हो सकता है। मैंने सोचा था कि प्रस्तावित उपधाराएं (१) (क) तथा (२) इसलिए जोड़ दी गई हैं कि उन मामलों में इसकी प्रत्याभूति एवं निश्चयता नहीं है कि ये संस्थायें इतनी स्थायी हो गई हैं कि वे विमुक्ति की अधिकारी हैं।

श्री पी० टी० चाको : उपधारा (१) (क) तथा (२) में हवाला आय का दिया गया है न कि संस्थाओं का।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। यह किसी भी संस्था तथा कोष पर लागू है जो कि धर्मार्थ कार्यों के लिए कर लगने वाले क्षेत्र में स्थित है, और जिसकी आय मुक्त कर दी जाती है। इसकी परिभाषा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह धार्मिक संस्था क्या है तथा वह दान किस लिए दिया गया है।

श्री पी० टी० चाको : भाग (१) में इतना ही है कि धारा ४ की उपधारा ३ के उपखंड (i) के अन्तर्गत जिसकी आय मुक्त है। केवल वे संस्थायें ही जिनकी आय न्यास के अधीन सम्पत्तियों से ही होती है वे भाग (i) के अन्तर्गत आती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां। सरकार उन सभी संस्थाओं को मान्यता नहीं देना चाहती जो केवल दान पर ही निर्भर हैं। सरकार केवल महत्वपूर्ण संस्थाओं को ही मान्यता देगी। वे संस्थायें जो एक विशेष श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं, जिनका कुछ स्थायित्व है, जैसे कि शिक्षण संस्थायें, वे उनको मान्यता देने के लिए तैयार हैं।

डा० सी० डी० देशमुख : तो फिर हमारे लिए अच्छी बात यह होगी कि इस वर्ष में उठाये गये प्रश्नों पर विचार किया जाय और अनुभव से ज्ञात होता है कि कोई ऐसी अधिकारी संस्था इस नाते से रह गई है कि हमने केवल एक श्रेणी विशेष के सम्बन्ध किया है तो उसमें संशोधन करना हमारे लिए सम्भव है।

डा० एस० पी० मुकर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि जहां तक धार्मिक संस्थाओं के मिलाने का सम्बन्ध है उनमें क्या कोई नया परिवर्तन किया गया है? अब तक तो यह हो रहा था कि वे प्रशासनीय विनिश्चय ले रहे थे। यह पहिला ही अवसर है जबकि यह मामला विधान-मंडल के सामने आया है! क्या यह ठीक है?

श्री सी० डी० देशमुख : धर्मार्थ कार्यों की परिभाषा अधिनियम का ही एक भाग है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह धारा ४ में है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य ने कहा है कि मतभेद का प्रश्न सदैव से ही प्रशासनीय स्वविवेक का विषय रहा है क्या अब इसे दूर किया जायगा ? यह तो संस्थाओं के लिये स्पष्ट है जो कि इसमें सम्मिलित होंगी। यह बात माननीय उपाध्यक्ष ने स्पष्ट कर दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : धार्मिक संस्थाओं के बारे में कोई प्रतिबन्ध लगाने का विचार माननीय मंत्री का नहीं है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मान लीजिए कि एक संस्था है जिसका प्रबन्ध केवल जैनों द्वारा किया जाता है किन्तु वह समस्त समुदाय के लिये खुली है तब उस संस्था को लाभ होगा; और एक संस्था ऐसी है जो केवल जैनों के लाभ ही के लिये है, तो उस संस्था को लाभ नहीं होगा।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : यदि वह एक धार्मिक कार्य हो, तो उस को सम्मिलित किया जा सकता है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हो सकता है वह एक धार्मिक कार्य न हो।

उपाध्यक्ष महोदय : वह जनता के लिए खुला हुआ है। उन्हें एक सूचना पट लगाना है।

श्री बंसल : कुछ ही मिनट पूर्व वित्त मंत्री ने यह स्वीकार किया था कि जो कुछ श्री चाको ने कहा था वह सही था। पता नहीं पांच मिनट में क्या हो गया ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं ने कहा था कि वह ठीक कह रहे थे, लेकिन मैं ने यह नहीं कहा था कि मैं उन के संशोधन को स्वीकार करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि कुछ संस्थायें अपवर्जित की जायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : वे संदिग्ध संस्थायें हैं। अब मैं माननीय मंत्री द्वारा स्वीकृत उन के प्रथम संशोधन पर दो संशोधनों को रखूंगा।

प्रश्न यह है कि :

श्री सी० डी० देशमुख द्वारा प्रस्तुत संशोधन में, भाग (५) के बाद निम्न शब्द आदिष्ट किये जायें :

"Explanation :— An institution or fund established for the benefit of scheduled castes, backward classes, scheduled tribes or of women and children shall not be deemed to be an institution or fund expressed to be for the benefit of a religious community within the meaning of clause (ii)."

["व्याख्या:—अनुसूचित जातियों, पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित आदिम जातियों या स्त्रियों और बच्चों के लाभ के लिये स्थापित कोई संस्था अथवा निधि, एक ऐसी संस्था या निधि नहीं समझी जायेगी जो खण्ड (२) के अर्थ में किसी धार्मिक समुदाय के लाभ के लिये बनाई गई हो।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या इन समुदायों का कोई धर्म नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को सरकार तय करेगी। अब हम दूसरे संशोधन पर आते हैं। यह संशोधन उपखण्ड (३) के सम्बन्ध में है या उपखण्ड (४) के सम्बन्ध में ? मेरे विचार से यह उपखण्ड (४) के साथ ठीक बैठता है।

श्री सी० डी० देशमुख : आप विधेयक में उपखण्ड (३) रख रहे हैं। मैं ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उस से वही उपखण्ड (३),

उपखण्ड (४) हो गया है और यह उसी संशोधन का एक संशोधन है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : आप "शिक्षा संस्था" क्यों कहते हैं ? क्या आप "सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी संस्था" नहीं कह सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस का सम्बन्ध केवल शिक्षा संस्थाओं से है, चाहे वे किसी प्रकार की शिक्षा क्यों न देती हों । संशोधन को मैं मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि :

श्री सी० डी० देशमुख द्वारा प्रस्तुत संशोधन में भाग (४) में

For "or any other educational institution recognised by, or affiliated to, any such university" substitute :

"or any other educational institution recognised by Government or by a university or is affiliated to any university."

["या ऐसे किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा उस से सम्बद्ध अन्य कोई शिक्षा संस्था" के स्थान पर निम्न शब्द आदिष्ट किये जायें :

"या सरकार अथवा एक विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अन्य कोई शिक्षा संस्था ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम श्री तुलसीदास किलाचन्द के संशोधन पर आते हैं । क्या इस संशोधन को दृष्टि में रखते हुए, वह अवरुद्ध नहीं है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे केवल इतना ही कहना है कि मुझे उन का सुझाव स्वीकार्य नहीं है । अब हम इन दानों के क्षेत्र को विस्तृत कर रहे हैं और इसीलिये हमने सीमाओं को घटाना उचित समझा । मैं समझता हूं कि एक मामले में श्री तुलसीदास किलाचन्द ने सही नहीं कहा, क्योंकि इन दानों के सम्बन्ध में वर्तमान सीमा भी १/२० है न कि १/१० ।

श्री तुलसीदास : वह वैयक्तिक दानों के लिये है ।

श्री सी० डी० देशमुख : वह सारी चीज़ को बदलना चाहते हैं । कम्पनियों के मामले में वर्तमान सीमा १/२० है । चूंकि इस से राजस्व की काफ़ी हानि होगी, अतः मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधित रूप में वित्त मंत्री का संशोधन रखूंगा ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३ में,

पंक्ति १ से १४ के स्थान पर निम्न शब्द आदिष्ट किये जायें :

"(i) the income whereof is exempt under clause (i) of sub-section (3) of section 4,

(ii) which is not expressed to be for the benefit of any particular religious community,

(iii) which maintains regular accounts of its receipts and expenditure, and

(iv) which is either constituted as a public charitable trust or is registered under the Societies Registration Act, 1860 (XXI of 1860), or under section 26 of the Indian Companies Act, 1913 (VII of 1913), or is a University

[उपाध्यक्ष महोदय]

established by law or any other educational institution recognised by Government or by a university or is affiliated to any university, or

(v) which is an institution financed wholly or in part by the Government or a local authority.

Explanation :— An institution or fund established for the benefit of scheduled castes, backward classes, scheduled tribes or of women and children shall not be deemed to be an institution or fund expressed to be for the benefit of a religious community within the meaning of the clause (ii)"

["(१) जिस की आयधारा ४ की उपधारा (३) के खण्ड (झ) के अधीन विमुक्त हो,

(२) जो कि किसी सम्प्रदाय विशेष के हित के लिये प्रख्यापित न हो,

(३) जो अपनी आय और व्यय का नियमित लेखा रखती हो, और

(४) जो या तो एक लोक पूर्त न्यास के रूप में संगठित की गई हो अथवा संस्था पंजीयन अधिनियम, १८६० (१८६० का २१), या भारतीय कम्पनियों के अधिनियम, १९१३ (१९१३ का ७), की धारा २६ के आधीन पंजीकृत हो, अथवा जो विधि के द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय हो या सरकार अथवा एक विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य कोई शिक्षा संस्था हो या जो किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो, या

(५) जो सरकार अथवा एक स्थानीय प्राधिकार द्वारा सम्पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्त पोषित एक संस्था हो ।

व्याख्या :—अनुसूचित जातियों, पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित आदिम-जातियों या स्त्रियों और बच्चों के लाभ के लिये स्थापित कोई संस्था अथवा निधि, एक ऐसी संस्था या निधि नहीं समझी जायेगी जो खण्ड (२) के अर्थ में किसी धार्मिक समुदाय के लाभ के लिये बनाई गई हो ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : पंक्ति १ से १४ तक संशोधित की जा चुकी हैं । अतः श्री तुलसीदास किलाचन्द के संशोधन का वह भाग अवरुद्ध है । दूसरे भाग पर, जिस में पंक्ति ३६ से ५३ की चर्चा है , बाद में विचार किया जायेगा क्योंकि उस का सम्बन्ध उपधारा (१) से है और हम उपधारा (२) के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि दूसरी बातों में कोई अन्तर नहीं है ।

श्री तुलसीदास : अन्तर है । १/२० के बजाय मेरा सुझाव १/१० का है । यह (१) (ख) में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह धर्मार्थ संस्थाओं पर भी लागू होता है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : एक अधिकतम सीमा निश्चित है । वह उस अधिकतम सीमा को बदलना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह अवरुद्ध है क्योंकि राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है ।

श्री के० के० बसु : श्रीमान्, यह विमुक्ति है । यह तो छूट देना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा, इस पर हम बाद में विचार करेंगे ।

श्री पी० टी० चाको : श्रीमान्, आप के स्पष्टीकरण के बाद भी मैं अपने संशोधन पर ज़ोर देना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा । दूसरा संशोधन माननीय मंत्री का है ।

श्री सी० डी० देशमख : मेरे दूसरे संशोधन का उद्देश्य इस सम्बन्ध में शंकाओं को दूर करना है कि पहली अप्रैल १९५३ से पूर्व अनुमोदित संस्थाओं को दिये गये दान धारा १५ ख के उपबन्धों से शासित नहीं होंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३ में,

लाइन १४ के उपरांत निम्न शब्द निविष्ट किये जायें :

"(2A) For the removal of doubts, it is hereby declared that in respect of sums paid as donations on or after 1st day of April, 1953, the provisions of sub-sections (1) and (2) shall apply as if the amendments made by clause (c) of section 3 of the Finance Act, 1953, had not been made."

["(२क) शंकाओं को दूर करने के लिये यहां पर यह घोषित किया जाता है कि पहली अप्रैल १९५३ को या उस के बाद दानों के रूप में दी गई राशियों के सम्बन्ध में उपधारा (१) और (२) के उपबन्ध लागू होंगे मानो वित्त अधिनियम १९५३ की धारा ३ के खण्ड (ग) द्वारा किये गये संशोधन नहीं किये गये थे ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरा अगला संशोधन उपखण्ड (ग) के सम्बन्ध में है । उस का मुख्य उद्देश्य स्पष्टीकरण करना है--यह बात स्पष्ट करना कि यह उपबन्ध सट्टे से संबंधित है, न कि एक पृथक भविष्य पणन से । कहीं यह अर्थ न लगाया जाये कि प्रस्तावित रोक थाम एक पृथक भविष्य पणन में हुई हानि पर ही लागू होती है, इस संभावना को अपवर्जित करने के लिये यह आवश्यक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे सामने कठिनाई यह है कि सरकार द्वारा बहुत से संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं ।

११ म० पू०

यदि इस समय मैं मुखबन्ध लागू करता हूं तो सारे संशोधन, जिन में सरकारी संशोधन भी सम्मिलित हैं, समाप्त हो जायेंगे । यदि सरकार इस को बहुत महत्व देती हो तो, मुझे समय बढ़ाना पड़ेगा ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: श्रीमान्, यह स्वाभाविक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस का तो यह अर्थ हुआ कि इस रफ्तार से सारा दिन इसी में समाप्त हो जायेगा और चाय विधेयक को किसी दूसरे दिन के लिये उठा रखना होगा । मेरा अनुमान है कि सारे संशोधन सवा बजे तक समाप्त हो जायेंगे । तृतीय वाचन अपराह्न के लिये उठा रखा जा सकता है और उस के बाद हम चाय विधेयक को लेंगे । सवा बजे हम सभी खण्डों पर मुखबन्ध लागू करेंगे । अपराह्न में एक घंटे के लिये हम तृतीय वाचन करेंगे और उस के बाद एक घंटे के लिये चाय विधेयक ।

श्री सी० डी० देशमुख: मेरे विचार से यदि मैं अपने चतुर्थ संशोधन की भी चर्चा कर दूं तो आसानी होगी । उन दोनों का उद्देश्य भविष्य पणन सम्बन्धी उपबन्धों को उदार बनाना है ।

इस दूसरे संशोधन का उद्देश्य सट्टों की श्रेणी से, व्यवसायियों तथा स्टाकों और

[श्री सी० डी० देशमुख]

शेयरों में पूंजी लगाने वालों के बीच तथा वायदा बाजारों और श्रेष्ठ चत्वरों के सदस्यों के बीच हुए द्वैध संरक्षण सौदों को, उन की साधारण व्यापारिक क्रम में होने वाली हानि से बचाने के लिये, अपवर्जित करना है। ऐसा इसलिये आवश्यक है ताकि साधारण व्यापारिक क्रम में हुए द्वैध संरक्षण सौदों के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ न हो।

मैं इस अवसर पर इस विशेष अनुबन्ध के कार्य-क्षेत्र को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यह सट्टों के विरुद्ध नहीं है। यहां हम इस बात पर विचार नहीं कर रहे हैं कि वे अच्छे हैं या नहीं, यद्यपि यह निश्चित है कि कुछ प्रकार के सट्टे भावों के स्थायित्व तथा अर्थ-विज्ञों द्वारा मान्य अन्य उद्देश्यों के लिये आवश्यक हैं। हम हानियों के क्रय या विक्रय अर्थात् काल्पनिक सौदों को बचाना चाहते थे। लेकिन श्रेष्ठ चत्वरों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने के बाद भी हम इस परिणाम पर पहुंचे कि विधि के प्रयोजनों के लिये इन विशेष सौदों की परिभाषा किसी सीधे तरीके से नहीं की जा सकती थी। अतः जिस चीज़ को हम हानि नहीं पहुंचाना चाहते, उस को अपवर्जित करने का ढंग हम ने अपनाया है: विधेयक के प्रारूप में, हम ने सामान्य द्वैध संरक्षण सौदों को, उदाहरणार्थ एक मिल रुई खरीदती है और कपड़ा बेचती है, अपवर्जित कर दिया है। द्वैध संरक्षण सौदों के अन्य कई प्रकार भी हैं और व्यापार तथा व्यवसाय के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि वे भी वैध हैं। एक प्रकार के सौदे तो वही हैं जिन की मैं ने अभी चर्चा की है। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति, उस के अधिकार में जो रुक्के हैं उन में किसी प्रकार की हानि होने से बचना चाहता है, लेकिन वह ऐसे कुछ अन्य रुक्के बेच देता है जिन से हानि होने की संभावना होती है। इस प्रकार के व्यवहार की रक्षा करना इस का उद्देश्य है। दूसरा वह है जहां दलाल तथा अन्य ऐसा काम करने वाले लोग होते हैं। उन के साधारण सौदे ऐसे सौदे नहीं होते हैं जिन्हें हम बचाना चाहते हैं, अर्थात् हानियों का क्रय और विक्रय।

मेरे दोनों संशोधनों का यही सामान्य उद्देश्य है।

उस के उपरान्त श्री तुलसीदास ने अपना एक संशोधन पृष्ठ ३, पंक्ति १५ से ४२ के सम्बन्ध में, प्रस्तुत किया।

श्री तुलसीदास: मेरे विचार से भारतीय आय कर अधिनियम की धारा २४ के सम्बन्ध में प्रस्तावित यह संशोधन, अपने संशोधित रूप में भी अनियमित घोषित कर दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस से हम आय कर विधि के मूल सिद्धान्तों में परिवर्तन कर रहे हैं। अतः मेरे विचार से यह संशोधन उचित नहीं है। इस से उन लोगों को भी, जो सट्टों का दुरुपयोग करते हैं, एक वैध आधार मिल जायेगा।

सट्टों में तीन प्रकार के करदाता होते हैं। एक तो सट्टेबाज़ होता है। इस संशोधन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे प्रकार का करदाता वह है जो वास्तविक व्यवसाय में द्वैध संरक्षण सौदा करता है। यद्यपि इस खण्ड में द्वैध संरक्षण उपबन्धित है, फिर भी इस प्रकार के करदाता को इस से हानि पहुंचेगी। मैं भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं तो उस को रोकना चाहता हूं। कर न देने वालों को पकड़ने के लिये आयकर विभाग को काफ़ी शक्तियां प्राप्त हैं। यदि ऐसा करने के लिये उन के पास आवश्यक साधन नहीं है, तो उन को अपने शासन यंत्र में सुधार करना चाहिये। इस प्रकार से करदाताओं के बीच भेदभाव करना गलत है।

मेरा सुझाव यह है कि जैसा अधिक लाभ कर अधिनियम में उपबन्धित था, उसी के समान एक निर्देशक मण्डल बनाया जाना चाहिये और आवश्यकता पड़ने पर कोई भी आयकर पदाधिकारी इस मण्डल से सहायता ले सकता है । यदि सरकार ऐसा नहीं कर सकती और इसीलिये वह सारे आयकर अधिनियम को बदलना चाहती है, तो मेरे विचार से यह बहुत अनुचित है और इसलिये यह परिवर्तन वांछनीय नहीं है । हमें मालूम हुआ है कि आयकर जांच आयोग ने भी एक गुप्त प्रतिवेदन में सरकार से यह सिफ़ारिश की थी ।

[श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन अध्यक्ष-पद पर आसीन हुईं]

मैं वित्त मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि उस पृथक् प्रतिवेदन में आयोग ने भी यह सिफ़ारिश की थी कि यदि साधारण आय में से सट्टे में होने वाली हानियां नहीं घटाई जाती हैं, तो करदाताओं की अन्य आय में सट्टे में होने वाले लाभ नहीं जोड़ना चाहिये ।

श्री सी० डी० देशमुख: यह एक गुप्त प्रतिवेदन नहीं है । इस का अभिलेख है ।

श्री तुलसीदास : जनता को यह प्रकाशित प्रतिवेदन के रूप में नहीं दी गई है ।

माननीय मंत्री का संशोधन विभिन्न श्रेणी के करदाताओं में भेदभाव करता है ।

अभी हाल ही में हम ने वायदा बाजारों को नियंत्रित तथा नियमित करने के लिये एक अधिनियम पारित किया है । देश में वायदा बाजारों की उपयोगिता को हम देख चुके हैं । मेरे विचार से माननीय मंत्री के संशोधन से आयकर अधिनियम के मूल उपबन्धों में जो परिवर्तन होगा, उस से वायदा बाजारों के कार्यसंचालन पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा ।

माननीय मंत्री ने अपने भाषण के प्रारम्भ में कुछ प्रशासकीय अनुदेशों की चर्चा की थी । पर मेरे विचार से इन अनुदेशों से वास्तव में कोई सहायता नहीं मिल सकती है । इन के होते हुए भी व्यक्तियों पर कर लगा दिया जाता है । यदि वह अपील करना चाहता है या न्यायालय में जाना चाहता है, तो ये प्रशासकीय अनुदेश उसकी कोई सहायता नहीं करते । अतः मेरे विचार से विशेष रूप से धारा २३ क के सम्बन्ध में एक संशोधन प्रस्तुत किया जाना चाहिये । वित्त मंत्री का इन प्रशासकीय अनुदेशों के पीछे जो भी कुछ विचार हो, उस को एक संशोधन के रूप में होना चाहिये । इस संशोधन से करदाताओं को भारी हानि पहुंचेगी । मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इन बातों पर विचार करेंगे ।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौर-पाली) : मैं ने और श्री तुलसीदास ने जो प्रस्ताव रखे हैं यदि उन के अनुसार वर्तमान संशोधन में परिवर्तन नहीं किया गया तो असली व्यापारियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । उक्त संशोधनों को रखते समय सरकार को अगाऊ व्यापार के संचलन के विषय में अपनी मंशा प्रकट कर देना चाहिये था । वित्त मंत्री को यह ज्ञात होगा कि व्यापारियों का एक वृहद् निकाय है---वह कपड़े का व्यवसाय करते हों अथवा किसी अन्य वस्तु का---जो विभिन्न अगाऊ श्रेष्ठि चत्वरों में सट्टेबाज़ी करते हैं । यदि कपड़ा व्यापारी द्वारा अन्य व्यवसाय में प्राप्त लाभ को सट्टे के सौदे में हानि के रूप में रखने की अनुमति नहीं दी गई तो अगाऊ सौदे पर विपरीत परिणाम होगा ।

सरकार को नीति का तात्पर्य स्पष्ट कर देना चाहिय कि क्या उन की इच्छा श्रेष्ठि चत्वरों के संचलन को सट्टेबाजों तक ही नियंत्रित करना है क्योंकि वतमान सशोधन

[श्री जी० डी० सोमानी]

से उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कर चुकाने में टालमटूली का अन्त करने के लिये जो भी पूर्वोपाय किये जा रहे हैं उन के विषय में किसी को आपत्ति नहीं है किन्तु इन सब संशोधनों को रखते समय हमें यह देखना है कि सामान्य व्यापार को इस से कोई हानि न हो।

उद्योग के विषय में बोलते समय मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा। उन के संशोधन में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये, सूती वस्त्र के मिलमालिक की हैसियत से मैं अगाऊ बाजार में हानि से बचने के लिये नहीं किन्तु कपास के मूल्य में वृद्धि की संभावना से ५०० गांठें खरीदूं तो इन संशोधन का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : 'भविष्य में मूल्य का चढ़ाव-उतार' यहां पर है।

श्री जी० डी० सोमानी : उपबन्ध में कहा है : "उस के द्वारा निर्मित वस्तुओं को यथार्थ रूप से पहुंचाने की संविदाओं के सम्बन्ध में भविष्य में मूल्यों के चढ़ाव-उतार के फलस्वरूप होने वाली हानि से बचने के लिये।" यदि आज मैं कपास के मूल्य में वृद्धि की प्रत्याशा करूं तो यह निर्मित वस्तुओं सम्बन्धी किसी हानि से बचने के लिए नहीं होगा, सूती वस्त्र के मिल मालिक की दृष्टि से साधारणतः मुझे कपास के मूल्य में वृद्धि की प्रत्याशा रहती है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह द्वैध संरक्षण नहीं है, यह वास्तविक सौदा है।

श्री जी० डी० सोमानी : इस से वर्तमान उपबन्ध की पूर्ति नहीं होती है। आयकर पदाधिकारी के लिये यह सन्तोषप्रद सिद्ध होना चाहिये कि कपास की खरीद वस्तुओं के वास्तविक रूप से पहुंचाने की संविदाओं के सम्बन्ध में भविष्य में मूल्यों के चढ़ाव उतार के फलस्वरूप होने वाली हानि से बचने के लिये की गई है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न पर अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है। असली प्राथमिक लेन देन प्रस्तुत उपबन्ध के अन्तर्गत नहीं आयेंगे। उस सौदे को ढांपने के लिये उसके पश्चात किये जाने वाले सौदे ही सट्टा हो सकते हैं और वित्त मंत्री द्वारा रखे गये संशोधन के उपबन्ध में इन्हीं सौदों को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया गया है। कोई भी हानि अथवा लाभ सट्टा नहीं है। किसी विशिष्ट सौदे को द्वैध संरक्षित करने पर ही सट्टे का तत्व उस में आता है। अब वह भी इस में आ जाता है।

श्री जी० डी० सोमानी : यही बात दलाली के सम्बन्ध में है। दलाली आवश्यक रूप में हानि से बचने के लिये ही नहीं की जाती है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वह भी इस में सम्मिलित है। कठिनाई यह है कि मेरे माननीय मित्र वित्त मंत्री महोदय द्वारा रखे गये संशोधन की ओर निर्देश किये बगैर अपने ही संशोधन पर अड़े हुए हैं। उस में लगभग सम्पूर्ण बातें आ जाती हैं। भाग (क) उन सौदों से सम्बन्धित है जहां द्वैत संरक्षण है। भाग (ग) उन सौदों के सम्बन्ध में है जो वायदा बाजार के सदस्य द्वारा किये गये हैं। यदि कोई व्यक्ति भाग (ग) में नहीं आता है और वायदा बाजार से अलग है तो भाग (क) में यह स्थिति आ जाती है। मेरा विचार है कि इन संशोधनों पर उचित ध्यान दिये बिना ही माननीय सदस्य पहले के उस विचार पर दृढ़ है कि उक्त सौदे उस में नहीं हैं।

श्री जी० डी० सोमानी : मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि यदि मैं ने जो संशोधन

रखा है उसे स्वीकृत कर लिया गया तो क्या सरकार का उद्देश्य पूरा नहीं होगा ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वह पूरा हो सकता है किन्तु सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उस का स्वयं का संशोधन अधिक व्यापक है ।

श्री धूलेकर (जिला झांसी--दक्षिण) : लेकिन इस से आप को लाभ नहीं होगा ।

श्री जी० डी० सोमानी : इस में लाभ का प्रश्न नहीं है । वर्तमान समय में हानि अथवा लाभ को खरीदने की जो दुष्प्रवृत्ति चल रही है यदि आप उस का अंत करना चाहते हैं तो जो संशोधन मैं ने रखा है वह स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करता है कि लाभ को कम करने की नीयत से किये गये व्यापार पर वर्तमान उपशाखा की दृष्टि से विचार नहीं किया जायगा । माननीय वित्त मंत्री द्वारा रखा गया संशोधन अनेक प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न करता है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे अधिक नहीं कहना है । माननीय सदस्य और श्री तुलसीदास किलाचन्द ने मुझ से एक विशेष खण्ड पर चर्चा करने के लिये कहा था । मैं ने उन से समय तय कर लिया था । मेरा विश्वास है कि हम ने उक्त सज्जनों के साथ एक घंटे तक बातचीत की थी । अब उन के लिये यह कहना अनुचित है कि इस पर सावधानी पूर्वक विचार नहीं किया गया है । उपरवर्णित महानुभावों के साथ ही नहीं दो श्रेष्ठि चत्वरों के अध्यक्ष महोदयों के साथ की गई विशद चर्चा के बाद मुझे यह विश्वास हो गया है कि हम ने जो उपबंध प्रस्तावित किये हैं उन से समस्त युक्तिसंगत मामलों की पूर्ति हो जाती है तथा यत्र तत्र प्रारूपण कर हम उस नाजुक मामले को और अधिक जटिल बना लेंगे । जहां तक मुझे मालूम है हाल के उक्त संशोधन में किसी भी व्यापार के वैध पहलू के आधार पर किये गये समस्त सम्भव सौदे आ जाते हैं ।

एक और विषय माननीय सदस्य ने रखा है कि यदि दलालों अथवा आढ़तियों को अलग कर दिया जाय तो उस का उद्देश्य पूरा नहीं होगा । श्रेष्ठि चत्वर के अध्यक्ष द्वारा मुझे इस बात का आश्वासन दिया गया है कि ऐसा नहीं होगा और जिस रीति से हिसाब रखे जायेंगे उन से उक्त सौदों को निश्चित रूप से मालूम कर लिया जायगा । उन्हों ने कपास की खरीदी के सम्बन्ध में एक प्रश्न और उठाया था । मैं उन्हें यह आश्वासन दिला सकता हू कि जिस तरह की खरीद का उन्हों ने उल्लेख किया है उस में वर्तमान संशोधन के फलस्वरूप किसी ध्वंस की सृष्टि नहीं होती ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय मंत्री के तृतीय और चतुर्थ संशोधन प्रस्तुत हो कर स्वीकृत कर लिये गये ।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे पांचवें संशोधन का उद्देश्य है कि लाभांश की रियायतें २८ फरवरी के पश्चात् स्थापित होने वाले समवायों के स्थान पर ३१ मार्च १९५२ के पश्चात् स्थापित हुए समवायों पर लागू की जायें । ३१ मार्च, १९५२ के पश्चात् स्थापित समवायों द्वारा अभी उत्पादन प्रारम्भ करने की संभावना नहीं है और न उन्हों ने प्रार्थित पूंजी चुकाई है अतः वे नवीन समवायों की भांति ही हैं और इसलिये मेरा विचार है कि रियायत उन पर भी लागू की जाना आवश्यक है ।

अध्यक्ष महोदय ने माननीय वित्त मंत्री का पांचवा संशोधन प्रस्तुत किया जो स्वीकृत कर लिया गया ।

श्री के० के० बसु : मैं प्रस्ताव रखता हूं :

[श्री के० के० बसु]

पृष्ठ ४, पंक्ति ३६ के स्थान पर आदिष्ट कीजिये :

"यदि राष्ट्रीय उद्योग किसी क्षेत्र विशेष में पहले से ही संचलित है तो जब तक केन्द्रीय सरकार को यह संतोष हो जाता है कि पूंजी विनियोग से राष्ट्रीय उद्योगों पर विपरीत प्रभाव नहीं होगा, विदेशी पूंजी और व्यवसाय की स्थापना और इस तरह के उद्योगों में नये सिरे से पूंजी लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।"

पृष्ठ ४, पंक्ति ४२ के स्थान पर आदिष्ट कीजिये :

"(३) वित्त वर्ष समाप्त होने के तुरन्त बाद ही प्रति वर्ष सब विमुक्तियां सदन पटल पर रखी जानी चाहिये ।"

इन संशोधनों को रखते समय मैं बहुत थोड़े शब्दों में इन पर जोर देना चाहता हूं । पिछले दिनों में हम ने देखा कि सरकार ने नवीन विदेशी पूंजी विनियोग की अनुमति दी है । लीवर ब्रादर्स के आंकड़ों से विदित है कि कि वे हमारे साबुन उपभोग का पचास प्रतिशत उत्पादन करते हैं और नवीन पूंजी लगाने पर जिस की अनुमति सरकार ने दे दी है, वे देश की आवश्यकता का ६५ से ६६ प्रतिशत साबुन उत्पादन कर सकेंगे । परिणामस्वरूप हमारे राष्ट्रीय उद्योग क्रमशः लुप्त होते जा रहे हैं ।

यही बात फाउन्टेनपेन की स्याही के विषय में है । मुझे नहीं मालूम कि सरकार ने चाकलेट कारखाने के स्थापन की अनुमति दे दी है । जब कि योजना आयोग ने यह स्वीकार किया है कि उन्हीं क्षेत्रों में विदेशी पूंजी लगाना चाहिये जहां हमारे देश में उद्योग नहीं हैं ।

परन्तु दुर्भाग्यवश आज हम देखते हैं कि उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में भी हम विदेशी पूंजी को आने दे रहे हैं । मेरे पहले संशोधन का उद्देष्य सरकार पर इस बात को देखने के लिये जोर देना है कि जब कभी नये उद्योगों को विकसित करने या स्थापित करने का प्रस्ताव हो तो हमारे राष्ट्रीय उद्योगों पर जो यहां पहले से स्थापित हैं, प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

मेरे दूसरे संशोधन द्वारा मैं यह कहना चाहता हूं कि हम संसद् के सदस्य, अनुभव करते हैं कि ऐसी छट सदन के समक्ष रखी जानी चाहिये ताकि हमें मालूम होता रहे कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ।

श्री जी० डी० सोमानी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ४ में पंक्ति ३१ के बाद "(11) Ferro-Manganese" ["(११) फैरो-मैंगनीज़"] आदिष्ट किया जाये ।

अपने संशोधन द्वारा मैं फैरो-मैंगनीज़ उद्योग को भी सूची में शामिल करवाना चाहता हूं । जहां तक नये उपक्रमों को इस छट के देने का सम्बन्ध है, मैं केवल इतना कहूंगा कि इस से कोई विशेष सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि नये उपक्रमों में कुछ वर्षों तक तो कोई लाभ होता ही नहीं, परन्तु यदि वर्तमान उद्योगों को भी यह छट दी गई होती तो इस से उन्हें वास्तव में प्रोत्साहन मिलता । इसे केवल नये उद्योगों तक सीमित रखने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : श्री सोमानी ने अभी जो सुझाव रखा, उस के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे लिये वर्तमान उद्योगों को भी ये रियायतें देना संभव नहीं

क्योंकि इस से आमदनी का बहुत काफी नुक्सान होगा। प्रोत्साहन तो नये उपक्रमों को चाहिये; जो चीज पहले से है उसे प्रोत्साहन की क्या आवश्यकता है ।

फैरो-मैंगनीज़ को शामिल करने का जहां तक सम्बन्ध है, हम ने आम तौर से उन्हीं उद्योगों को शामिल किया है जो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की अनुसूची में शामिल हैं; यदि हम इस सिद्धान्त से काम न लें तो एक उद्योग और दूसरे उद्योग में विभेद करना बड़ा कठिन होगा। इस समय हम समझते हैं कि फैरो-मैंगनीज़ को शामिल करने के लिये सूची में विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः मैं माननीय सदस्य के संशोधन को मानने में असमर्थ हूं ।

जहां तक श्री बसु के दो संशोधनों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि उन्हों ने जो कहा है वह ठीक है परन्तु जिस तरीके से वह इसे करवाना चाहते हैं उसे मैं ठीक नहीं समझता। कानून बना कर इन चीजों को नहीं किया जा सकता। ये मामले ऐसे हैं जिन्हें वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के पूंजी नियंत्रक को नये उद्योगों को लाइसेंस देते समय ध्यान में रखना होता है। मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूं कि जो बातें उन्हों ने कही हैं उन्हें विदेशी पूंजी स्वीकार करते समय ध्यान में रखा जायेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उन के संशोधन को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं ।

इसी तरह, उन के दूसरे संशोधन के बारे में यह चीज है कि जब प्रस्तावित उपधारा (१) व (२) में दी गई शर्तें पूरी हो जाती हैं तो संबंधित उद्योग छूट पाने का अधिकारी हो जाता है और सरकार द्वारा या आयकर विभाग द्वारा इस के लिये कोई खास व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता नहीं। इसलिये माननीय सदस्य जो चीज चाहते हैं वह कानून के संशोधन से पूरा नहीं हो सकती। हां, यदि वह इस के लिये बहुत उत्सुक हैं तो मैं हर वर्ष के अन्त में उन फर्मों के बारे में जिन्हें छूट दी गई हो सूचना इकट्ठी करने की और उसे सदन पटल पर रखने की कोशिश करूंगा ।

श्री के० के० बसु : माननीय मंत्री द्वारा दिलाये गये विश्वास को ध्यान में रखते हुए मैं अपने संशोधनों पर आग्रह नहीं करता ।

श्री जी० डी० सोमानी: मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता ।

सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिये गये ।

सभापति महोदय : प्रश्न है :

"कि खंड ३ संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनाया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ४—(१९३४ के अधिनियम ३२ में संशोधन)

संशोधन किया गया : पृष्ठ ४, पंक्ति ४३ में "The Indian Tariff Act" [भारतीय तटकर अधिनियम] से पहले "With effect from the 28th day of February, 1953" [फरवरी १९५३ के २८वें दिन से] आदिष्ट किया जाये ।

—[श्री सी० डी० देशमुख]

श्री के० के० बसु : मैं खंड ३ के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं ।

यह खंड भारतीय तटकर अधियिनयम के उन उपबन्धों के बारे में है जिन का सम्बन्ध

[श्री के० के० बसु]

आयात किये गये माल पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के शुल्कों से है । यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि आज भी—वर्ष १९५३ में भी हम से कहा जा रहा है कि हम सम्राजीय रियायतों को, जो पिछले २० वर्ष से चली आ रही हैं, जारी रखने के बारे में अपनी स्वीकृति दें । हमारे मंत्रीगण ब्रिटिश राष्ट्र मंडल में भारत के रहे चले आने से होने वाले फायदों का अक्सर जिक्र करते रहते हैं । परन्तु इन देशों के साथ होने वाले आयात व निर्यात के आंकड़े देखने से हमें पता लग सकता है कि राष्ट्रमंडल के ये देश, विशेषत: इंग्लैंड, दूसरे देश को किसी तरह का लाभ पहुंचाने या उस की भलाई को दृष्टि में रख कर माल नहीं खरीदते । जब वे देखेंगे कि भारतीय माल सस्ता और अच्छा है तभी हम से माल खरीदेंगे । जहां तक मशीनों आदि का सम्बन्ध है, मैं नहीं कह सकता कि ब्रिटेन हमें यह चीजें कहां तक दे सकता है । हाल ही के अभिलेखों को देखने से पता चलता है कि हमें उस से कोई विशेष सहायता नहीं मिली है । अत: हम समझते हैं कि इन रियायतों को जारी रखने से कोई लाभ नहीं और इन्हें तुरन्त खत्म कर दिया जाना चाहिये । क्या जरूरत है कि यह आर्थिक प्रभुत्व अब तक चलता रहा और हमारा देश हानि उठाता रहे ?

श्री मूल चंद दुबे : (जिला फर्रुखाबाद—उत्तर) : मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान उस सिद्धान्त की ओर दिलाना चाहता हूं जिस के आधार पर भारत से निर्यात की जाने वाली कुछ चीजों पर निर्यात शुल्क लगाया जाता है । मैं उस छींट का जिक्र कर रहा हूं जिसे यहां से इंग्लैंड, अमरीका, आस्ट्रेलिया आदि देशों को भेजा जाता है । 'टेपेस्ट्रीज' यानी परदों के तथा फर्नीचर पर चढ़ाने के कपड़ों पर कोई निर्यात शुल्क नहीं लगाया जाता जब कि मेज पोशों पर मूल्यानुसार दस प्रतिशत तक शुल्क लगाया जा सकता है । मैं नहीं जानता कि मेजपोशों पर लिया जाने वाला यह शुल्क किस सिद्धान्त पर आधारित है । जहां तक मैं समझता हूं 'टेपेस्ट्रीज' शब्द में मेज़पोश भी आ सकते हैं । मेरे खयाल में इन दोनों के आकार में जो अन्तर है उसी के कारण माननीय वित्त मंत्री इन में विभेद कर रहे मालूम होते हैं । 'टेपेस्ट्रीज़' को शुल्क से मुक्त करने के कारण बहुत से व्यापारी इस का अनुचित लाभ उठा रहे हैं और देश को नुक्सान पहुंचा रहे हैं । मेरा सुझाव है कि सरकार इस विषय पर फिर से विचार करे । छींट बाहर भेजने से हम बहुत सी विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं, यदि इन चीजों के निर्यात पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये जायेंगे तो हमारे लिये बहुत कठिनाई खड़ी हो जायेगी । मैं आशा करता हूं कि मननीय मंत्री इस ओर ध्यान देंगे ।

श्री सी० डी० देशमख : अन्तिम वक्ता ने जिस बात का जिक्र किया, उस बारे में मैं सिर्फ पूरी पूरी बात की जांच करवा सकता हूं । अनुसूची में जो दर पहले से हैं उन के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता ।

माननीय सदस्य श्री बसु ने जो बात कही वह बार बार हमारे सामने आती है । मैं समझता हूं कि मेरे माननीय कार्यबन्धु ने कई बार यह बताया है कि जो कुछ रियायतें इस समय हैं वे क्यों जारी रखी जा रही हैं । इस बारे में सामान्य स्थिति इस प्रकार है । १९३९ में भारत में और इंग्लैंड व ब्रिटिश उपनिवेशों में दस प्रतिशत रियायत की गुंजाइश देने के बारे में एक समझौता हुआ था । इस समझौते की जगह तटकर तथा व्यापार पर सामान्य समझौता हुआ जिस के अनुसार कुछ फायदों के बदले में हम इंगलैंड की पूर्व सहमति से गुंजाइश को मूल्यानुसार दस प्रतिशत से छ: प्रतिशत कर देने के लिये

तैयार हो गये थे। इसलिये, इस समय स्थिति यह है कि जब तक भारत इस व्यापार समझौते में हिस्सा लेता रहेगा तब तक हमें इंग्लैंड तथा उपनिवेशों के पक्ष में ६ प्रतिशत की गुंजाइश रखनी ही होगी और प्रामाणिक दर किसी भी हालत में ६ प्रतिशत से कम नहीं की जा सकती। मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि हम इस प्रश्न पर बराबर विचार कर रहे हैं कि हमें इन्हें जारी रखना चाहिये या नहीं और क्या इस समझौते से हमारे लिये कुछ फायदे बचे हैं। तो इस मामले पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय बराबर सोच विचार कर रहा है। मैं समझता हूं कि इस का बहुत कुछ महत्व खत्म हो चुका है, आगे चल कर हमारे लिये किसी उचित समझौते के बाद इस सूची को काफी हद तक कम करना संभव हो सकेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ४ संशोधित रूप में इस विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ४ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ५ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ६—(कुछ केंद्रीय उत्पादन शुल्कों में संशोधन

श्री जो० डी० सोमानी: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ५,

(१) पंक्ति २२ में, "और तीन पाई" को निकाल दिया जाये,

(२) पंक्ति २२ और २३ में, "एक आना और तीन पाई" के स्थान पर "साढ़े सात पाई" आदिष्ट कर दिया जाये।

जिस तरीके से फाइन तथा सुपरफाइन कपड़े पर उत्पादन शुल्क में संशोधन किया गया है, वह माननीय वित्त मंत्री के उस वक्तव्य के अनुकूल नहीं है, जो उन्होंने अपने आय-व्ययक भाषण में दिया था। उस समय उन्हों ने कहा था कि यह संशोधन केवल कुछ प्रशासनीय कठिनाइयों को दूर करने के लिये किया जा रहा है। किन्तु बाद में संशोधन का प्रभाव पड़ने पर हम ने अनुभव किया कि यह प्रशासनीय कठिनाइयों को हल करने के लिये केवल शुल्कों का पुनः समायोजन नहीं है बल्कि फाइन तथा सुपरफाइन कपड़े पर शुल्क की दरों में अत्याधिक वृद्धि है। पुनः समायोजन के नाम से शुल्कों में औसतन कम से कम १०० प्रतिशत वृद्धि की गई है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री स्पष्ट करें कि यह कैसे हुआ।

इस मामले के गुणावगुण के सम्बन्ध में केवल यह कहना चाहता हूं कि यदि वित्त मंत्री ने, इन शुल्कों पर आग्रह किया, तो इस का परिणाम यह होगा कि फाइन कपड़े के उत्पादन में बहुत कमी हो जायेगी। इस से उद्योग और उपभोक्ताओं को अत्यधिक हानि पहुंचेगी। मैं माननीय वित्त मंत्री को बतलाना चाहूंगा कि संशोधित शुल्क के आरोपण के बाद फाइन माल के उठाने में बहुत कमी हुई है। इस वर्ष इस शुल्क से जो आय होगी वह पिछले वर्ष की आय से बहुत अधिक तो नहीं होगी। किन्तु उत्पादन में कमी अवश्य होगी और देश को हानि पहुंचेगी, क्योंकि १५ पाई का शुल्क ६ आना गज से १/४ आना गज वाले सब प्रकार के फाइन कपड़े पर लगेगा, जिस का उपभोग गरीब लोग ही करते हैं। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री के विभाग ने उन्हें ठीक परामर्श नहीं दिया। मैं अब भी उन से कहूंगा कि वे इस मामले पर पुनर्विचार करें।

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री मुरारका (गंगानगर-झुंझनू) : फाइन कपड़े पर शुल्क की वर्तमान दर ५ प्रतिशत है और सुपरफाइन पर २० प्रतिशत किन्तु मैं नये प्रस्ताव के अनुसार फाइन पर एक आना तीन पाई प्रति गज शुल्क लगेगा और सुपरफाइन पर तीन आना तीन पाई । क्या मैं जान सकता हूं कि इस का कारण क्या है कि फाइन कपड़े पर तो शुल्क बढ़ा दिया गया है, किन्तु सुपर-फाइन पर घटा दिया गया है । फाइन प्रकारों का उपयोग गरीब लोग करते हैं और सुपरफाइन का अमीर लोग । इस वर्ष शुल्क से १५ करोड़ रुपया इकट्ठा किया जायगा । गत वर्ष १२ करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था । मैं यह जानना चाहता हूं कि सुपरफाइन कपड़े पर शुल्क कम क्यों किया गया है, जब कि फाइन कपड़े का वार्षिक उत्पादन १५० करोड़ गज है और सुपरफाइन का केवल ५० करोड़ गज ?

चौ० रनबीर सिंह (रोहतक) : मेरे दोस्त सोमानी जी ने अभी एक प्वाइंट रेज किया कि रीएडजस्टमेंट (पुनःसमायोजन) के बजाय फाइन और सुपरफाइन कपड़े पर कुछ टैक्स फालतू लगाया जा रहा है । मेरी अर्ज है कि वैसे तो यह रीएडजस्टमेंट ही है, लेकिन अगर वह इस को वैसा समझते हैं तो उन को यह भी समझना चाहिये कि देश के अन्दर जिस वक्त यह इंडस्ट्रीज लगी थीं उस वक्त कंजूमर्स (उपभोक्ताओं) को काफी से ज्यादा कुर्बानी करनी पड़ी और उस वक्त टैक्स तक लगाये गये । अब जैसा कि अहिंसात्मक ढंग से हम हिन्दुस्तान के अन्दर समाजवादी निजाम कायम करना चाहते हैं तो इस तरह के ढंग और तरीके अख्तियार करने होंगे और इन बातों के मुताल्लिक गिला करने से काम नहीं चलेगा ।

हम को यह समझ कर चलना होगा कि जो थोड़े बहुत प्रिविलेज (विशेषाधिकार) हैं, जो तरक्की पा गये, और आगे चले गये, उन को छोड़ कर जो पिछड़े हुए हैं, जैसे काटेज इंडस्ट्री है, उन को आगे बढ़ाना है । उन को आगे बढ़ाने के लिये हमें टैक्स देना होगा, जिस तरह दूसरी इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिये कन्जूमर्स ने टैक्स दिया था पंजाब के अन्दर भाखड़ा डैम से बिजली पैदा होगी और बिजली से हम काटेज इंडस्ट्रीज की तरक्की कर सकेंगे । लेकिन वह तभी जब कि बड़ी मिलों पर कर बढ़वा दिया जायेगा । और यह बढ़ावा तभी दिया जा सकता है, जब कि सुपरफाइन और फाइन कपड़े पर हम कोई फालतू टैक्स लगायें और उस रुपये से हम काटेज इन्डस्ट्री की मदद करें । टैक्स इसलिये लगायें कि वह काटेज इंडस्ट्री का मुकाबला न कर सकें । यह करना जरूरी है ।

श्री सी० डी० देशमुख : श्री सोमानी ने मेरे वक्तव्य को ठीक तरह से नहीं समझा । उन का यह अनुमान कि १९५३-५४ में कपड़े से आय में $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी, १९५२-५३ की आय के सरकारी प्राक्कलित आंकड़ों पर आधारित है । किन्तु मेरी दृष्टि में वह आय थी, जो कि साधारण वर्षों में कपड़े पर लगाये गये उत्पादन शुल्क से होती है और जो कि १६ करोड़ रुपये से १७ करोड़ रुपये तक होती है । १९५२-५३ इस दृष्टि से एक असाधारण वर्ष था, जिस में फरवरी-मई मासों में कपड़े का बाजार गिर गया था और सरकार ने उद्योग को नया जीवन देने के लिये बहुत सहायता दी थी । १९५३-५४ में मैं ने कपड़े पर लगाये गये शुल्क से १५ करोड़ रुपये की आय प्राप्त करने की व्यवस्था की है और मुझे आशा है कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे ।

१९५२ की अन्तिम तिमाही में प्रचलित औसत विक्रयमूल्यों और सुपरफाइन कपड़े की चार प्रकारों के वास्तविक उत्पादन के आधार पर विधेयक में प्रस्थापित शुल्कों का करानुपात यह है : फाइन ७ से ९ प्रतिशत, सुपरफाइन १९ से २३ प्रतिशत । इन की तुलना वित्त विधेयक के पुरःस्थापन से पहले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में निर्धारित मूल्यानुसार करानुपातों से की जा सकती है जो कि इस प्रकार है: फाइन की सब किसमों पर पांच प्रतिशत; सुपरफाइन की सब किस्मों पर २० प्रतिशत । अतः वृद्धि उतनी नहीं है जितनी कि माननीय सदस्य ने बतलाई है ।

श्री मुरारका ने पूछा है कि फाइन कपड़े पर और सुपरफाइन कपड़े पर करानुपात में जो अन्तर है, वह क्यों घटा दिया गया है। पहला कारण यह है कि पिछले साल की मन्दी के कारण सुपरफाइन कपड़े के उत्पादन में फाइन कपड़े के उत्पादन की अपेक्षा अत्यधिक कमी हुई है और सुपरफाइन कपड़े के मूल्यों की अपेक्षा, फाइन कपड़े के मूल्य भी अधिक स्थिर रहे हैं । इस के अतिरिक्त जून-अगस्त, १९५२ की अवधि में प्रत्येक किसम के कपड़े के शुल्क से पूर्व के औसत मूल्य लगभग एक जितने थे, अर्थात् १३ आने ७ पाई से १-१-४ पाई प्रति गज़ । फाइन और सुपरफाइन कपड़े के मूल्य लगभग बराबर थे । उस के बाद फाइन कपड़े के मूल्य और बढ़ गये हैं । यह बात सुपरफाइन कपड़े के बारे में नहीं कही जा सकती ।

श्री सोमानी ने कहा है कि इन शुल्कों से व्यापार पर कुप्रभाव पड़ रहा है। मेरी जानकारी यह है कि जहां तक अन्तर्देशीय व्यापार का सम्बन्ध है, यह काफी तेज है । यदि कोई कमी हुई भी है, तो वह निर्यात की मांग के सम्बन्ध में है । इस निर्यात माँग पर इन शुल्कों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । अतः मैं सन्तुष्ट हूं कि हमारी प्रस्थापना युक्तियुक्त है और इस से खज़ाने को पिछले औसत आय से अधिक आय नहीं होगी ।

सभापति महोदय : क्या श्री सोमानी अपने संशोधन पर आग्रह करते हैं ?

श्री जी० डी० सोमानी : जी नहीं । मैं इसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

संशोधन वापस ले लिया गया ।

खंड ६ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ७ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ८—(नमक शुल्क को हटाना)

श्री पी० टी० चाको : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ५ पंक्ति ३१ में "सम्मिलित करने" के स्थान पर "छोड़ने" आदिष्ट किया जाये ।

सभापति महोदय प्रश्न यह है कि :

"खंड ८ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ८ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ९—(अन्तर्देशीय डाक की दरें)

श्री के० के० बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ५ में

(१) (१) पंक्ति ३६ से ३९ को खारिज कर दिया जाये ।

[श्री के० के० बसु]

(२) पंक्ति ४० में, "(२)" के स्थान पर "(१)" आदिष्ट किया जाये ।

(२) पृष्ठ ५ पंक्ति ४२ में "आठ आना" के स्थान पर "साढ़े छः आना" आदिष्ट किया जाये

मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वह यह है । हमारे विशाल देश में, नगरों से बहुत से पैकेट ग्रामीण क्षेत्रों में भेजे जाते हैं । जनसाधारण को पुस्तकों या दवाइयों के पैकेट भेजने पड़ते हैं । यह आवश्यक है कि सरकार उन पर अधिक कर न लगाये, क्योंकि अन्त में इस का भार उपभोक्ता पर पड़ता है केन्द्रीय और राज्य सरकारों के आय-व्ययकों में शिक्षा सम्बन्धी और अन्य सामाजिक सेवा कार्यों के लिये बहुत कम व्यवस्था की जाती है । इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार को संसद् से डाक की दरों को बढ़ाने की मंजूरी देने के लिये नहीं कहना चाहिये ।

मैं साधारण व्यापारियों की दृष्टि से एक और बात पर भी ज़ोर देना चाहता हूं । मध्यम वर्ग के बहुत से साधारण व्यापारियों को, जिन की अधिक संख्या भारतीयों की है, नमूने के पैकटों को डाक द्वारा भेजना पड़ता है । अतएव मैं अनुरोध करता हूं कि हमें जनसाधारण तथा साधारण व्यापारियों पर कर लगाने की बजाय उन वस्तुओं पर कर को बढ़ा देना चाहिये जो अधिक कर के बोझ को सहन कर सकती हैं ।

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुए :

(१) पृष्ठ ५ में,

(अ) ३६ से ३९ तक की पंक्तियों को निकाल दिया जाय ।

(आ) पंक्ति ४० में (२) के स्थान पर (१) लिखिये ।

(२) पृष्ठ ५, पंक्ति ४२ में,

"८ आने" के स्थान पर "साढ़े ६ आने" शब्द आदिष्ट किए जायें ।

श्री नम्बियार : मैं पूरे ज़ोर से कहना चाहता हूं कि दर को बढ़ाने की यह बात बहुत निन्दनीय है तथा जनता इसके विरोध में है । कोई कारण नहीं कि 'बुक पोस्ट' की दर को इस प्रकार से बढ़ा दिया जाय । यह कर मध्यम वर्ग पर लगेगा जिस पर मज़दूरी के कम हो जाने, छंटनी तथा युद्धोपरान्त मन्दी का पहले से ही बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है । सरकार से मेरी अपील है कि वह इस विचार को छोड़ दे ।

दूसरी बात पैकटों के सम्बन्ध में है । व्यापारिक हितों आदि द्वारा की गई टिप्पणियों को दृष्टि में रखते हुए मैं कह सकता हूं कि वे सभी लोग एक-स्वर हो कर इस का विरोध करते हैं । इस स्रोत से कोई बहुत अधिक धन भी प्राप्त नहीं होगा । माननीय मंत्री मध्यम वर्ग पर जो पहले ही करों के बोझ तले दबा जा रहा है, और अधिक बोझ क्यों डाल रहे हैं ? मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि वह श्री बसु के संशोधन को स्वीकार कर लें ।

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं समझता हूं कि पैकटों तथा बुक-पोस्ट की दर की वृद्धि के बारे में स्थिति को अच्छी प्रकार से नहीं समझा गया है । सम्भवतः माननीय सदस्य ने यह समझा है कि ये वस्तुएं ग्राम्य क्षेत्रों को जाती हैं तथा जन साधारण के काम की हैं । मेरा निवेदन है कि नमूने के पैकट तथा 'पैटर्न' बड़े बड़े निर्माताओं द्वारा भेजे जाते हैं जिन्हें डाक के बोझ को सहन करना पड़ता है । कोई कारण नहीं कि माननीय सदस्य एक ऐसे विभाग के विषय में जिसे वह

व्यापारिक आधार पर चलाना चाहते हैं, अब यह इच्छा करें कि बड़े व्यापारियों से रियायत कर के उस का बोझ जनसाधारण पर डाल दिया जाय ।

मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिये यह बतलाना चाहता हूं कि विभाग को पंजीबद्ध न किए गए प्रत्येक पैकट पर ८·४ पाई, पंजीबद्ध किए गए पैकट पर ६ आने ७·५ पाई तथा वी० पी० पैकट पर १२ आने तथा ४·३ पाई की हानि को उठाना पड़ता है तथा इन परडकुल हानि का अनुमान क्रमश: ५९·७ लाख रुपये, १८·२ लाख रुपये तथा १५·४ लाख रुपये है ।

अतएव ग्राम्य क्षेत्रों में जनसाधारण को डाक सम्बन्धी सुविधाओं के उपलब्ध करने के लिये यह आवश्यक है कि इस विभाग को इन वस्तुओं पर बहुत अधिक हानि न होने दें तथा यथासम्भव करों के बोझ को एक समान बनायें ।

कहा गया है कि साधारण पुस्तक विक्रेताओं पर प्रभाव पड़ा है तथा कि इन विक्रेताओं के लिए दूर के स्थानों पर पुस्तकों का भेजना कठिन हो जायगा । आम लोग जानते हैं कि बड़ी संख्या में पुस्तकों को रेल पार्सल द्वारा ही भेजा जाता है । स्थानीय रूप से वे बाज़ार में मिल सकती हैं तथा डाक से भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता है । डाक द्वारा केवल थोड़ी संख्या में ही उन्हें भेजा जाता है । इस प्रकार से बोझ पुस्तक-विक्रेता पर ही नहीं बल्कि खरीददार पर भी पड़ता है ।

श्री नम्बियार ने दर की वृद्धि को इसलिए भी निन्दनीय बताया है कि इस से आम तथा बड़े बड़े व्यापारियों पर बोझ पड़ेगा । मुझे आश्चर्य है कि उन में यह परिवर्तन कैसे हो गया जैसा कि मैं ने बताया, वस्तुत: यह बोझ छोटे पुस्तक विक्रेताओं पर नहीं पड़ेगा । सम्भवत: माननीय सदस्य के मन में वह निवेदनपत्र है जिसे प्रचालित किया गया है । यही निवेदन-पत्र विधि की पुस्तकों की विक्रेता एक फर्म से भी प्राप्त हुआ है । अब विधि की पुस्तकों का प्राय: जनसाधारण तथा मज़दूरों आदि द्वारा प्रयोग नहीं होता । उन का प्रयोग तो वकील तथा मुकदमों में उलझी हुई जनता करती है । उन का सम्बन्ध भी एक विशेष श्रेणी से होता है जिस का अपना निहित स्वार्थ होता है । अत: यह बोझ भी जन साधारण पर नहीं पड़ेगा ।

हम ने हानि को इस वृद्धि द्वारा कम करने का प्रयास किया है, परन्तु इस से पूर्ण हानि को पूरा नहीं किया जा सकेगा । डाक की दरों में प्रस्तावित वृद्धि से हानि के केवल ४० या ५० प्रतिशत भाग को ही पूरा किया जा सकेगा ।

अतएव मैं श्री बसु के संशोधन का विरोध करता हूं ।

इस के बाद संशोधनों पर सदन का मत लिया गया तथा संशोधन अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न है कि--

"खंड ९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ९ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

प्रथम अनुसूची

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

पृष्ठ १३, पंक्ति १०, पृष्ठ भाग ५ म "७५" के स्थान पर "६५" को आदिष्ट किया जाय ।

[श्री सी० डी० देशमख]

इस संशोधन का आशय छपाई की एक ग़लती को दूर करना है । यह आंकड़ा ६५ होना चाहिये तथा ७५ नहीं ।

सभापति महोदय : प्रश्न है कि पृष्ठ १३, पंक्ति १०, पृष्ठ भाग ५ में "७५" के स्थान पर "६५" को आदिष्ट किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न है कि :

"प्रथम अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रथम अनुसूची को संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया ।

द्वितीय अनुसूची

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ १७

(१) पंक्ति ८ में

"४८(१)" के बाद "४८(३)" तथा

(२) पंक्ति ९ में

"५९(४)" के बाद "५९(५)" को आदिष्ट किया जाय ।

मुझे खेद है कि इन दो मदों को भूल से छोड़ दिया गया है । इन मदों से, जिन्हें इस अनुसूची में होना चाहिये, कोई अधिभार नहीं पड़ेगा ।

सभापति महोदय : प्रश्न है कि

पृष्ठ १७

(१) पंक्ति ८ में

"४८(१)" के बाद "४८(३)" तथा

(२) पंक्ति ९ में

"५९(४)" के बाद ५९(५)" को आदिष्ट किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न है कि

"द्वितीय अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

द्वितीय अनुसूची को संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया ।

तृतीय अनुसूची

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १७, पंक्ति १६ में

"२७(४)" को निकाल दिया जाय ।

इस मद को पहले के वित्त अधिनियम से लिया गया था तथा मुझे खेद है कि वहां यह भूलवश छप गई थी । यह मद द्वितीय अनुसूची में मौजूद है तथा इस से कोई अधिभार नहीं पड़ता, अतएव इसे तृतीय अनुसूची में नहीं रखा जा सकता ।

सभापति महोदय : प्रश्न है कि :

पृष्ठ १७, पंक्ति १६ में

"२७(४)" को निकाल दिया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न है कि :

तृतीय अनुसूची को संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना लिया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

तृतीय अनुसूची को संशोधित रूप म विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड १, विधेयक के नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बना लिए गए ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित कर दिया जाय ।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्रीगिडवानी (थाना) : माननीय वित्त मत्री ने गुरुवार को बहस का उत्तर देते समय यह व्यक्त किया था कि सरकार के राजस्व से क्षतिपूर्ति चुकाने का सिद्धान्त सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है । इस संबंध में विस्तार में न जा कर मैं सरकार द्वारा आयोजित दो सम्मेलनों की ओर निर्देश करूंगा । इनमें से एक १९४९ में स्वर्गीय श्री गोपालस्वामी अय्यंगार की अध्यक्षता में हुई थी जब कि श्री मोहनलाल सक्सेना मंत्री थे । इस सम्मेलन में श्री अय्यंगार ने कहा था :

"कौन कहता है कि क्षतिपूर्ति नहीं दी जायगी ? क्षतिपूर्ति दी जायगी । यहआंशिक नकदी, आंशिक जिन्स के रूप में और आंशिक किन्हीं प्रकार के बन्धक पत्रों के रूप में दी जायगी । "

इसके पश्चात दावा अधिनियम पारित किया गया, एक दीर्घकायी विभाग की स्थापना की गई और दावों का प्रमाणीकरण किया गया । दूसरा सम्मेलन १९५० में सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया । वह भी स्व० श्री गोपालस्वामी अय्यंगार की अध्यक्षता में हुआ था । उस समय श्री अजित प्रसाद जैन का मंत्रीकाल था । इस सम्मेलन में श्री जैन और स्व० श्री गोपालस्वामी अय्यंगार के अतिरिक्त श्री मेहर चंद खन्ना, श्री चन्द्र और पंजाब के स्वर्गस्थ पुनर्वास मंत्री डा० लहना सिंह और श्री भिडे और दूसरे पदाधिकारी उपस्थित थे ।

सरकार ने दावे उपस्थित करने के लिये सब को आह्वान किया । किन्तु इस का किसी ने उत्तर नहीं दिया । दावे पदाधिकारी नियुक्त किये गये परन्तु उन के पास काम नहीं था । विस्थापित व्यक्तियों को सरकार की सद्भावना में आस्था ही नहीं रही क्योंकि इस के पहले भी, जब हम पाकिस्तान से आये थे, हम ने दावे उपस्थित किये थे किन्तु उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया । विस्थापित व्यक्तियों ने लाखों रुपया खर्च किया और साथ ही बहुत सा समय भी खर्च किया । उन्होंने अब दावे उपस्थित नहीं किये क्योंकि उन का अनुमान था कि इन दावो का भाग्य भी पूर्व की भांति न हो ।

हम ने स्वर्गीय श्री गोपालस्वामी अय्यंगार से कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान से कुछ भी वसूल करने में असमर्थ रही है । श्री अय्यंगार ने कहा था कि भारत सरकार की ओर से एक ऐसी सारभूत रकम दी जायेगी जिस से विस्थापित व्यक्ति असंतुष्ट नहीं होंगे ।

हम ने इस विभाग पर लगभग ए करोड़ रुपया खर्च कर दिया है और इसके अतिरिक्त विस्थापित व्यक्तियों ने लाखों रुपये खर्च कर दिये हैं । मैं आप से कह दूं कि डेढ़ महीने के लगभग दावा विभाग ने प्रायः काम बन्द रखा और कार्य उचित रूप से व्यवस्थित न होने से सरकार को दो लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी ।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन]

इस के बाद पिछले चुनावों के समय श्री अजित प्रसाद जैन ने बारबार यह दोहराया कि

[श्री गिडवानी]

क्षतिपूर्ति दी जायगी और सरकार भी अपन हिस्से की पूर्ति करेगी। सरकार ने एक समिति नियुक्त की जिस का नाम टेकचन्द समिति है। मैं भी उस का सदस्य था। हम ने सर्वानुमति से एक प्रतिवेदन उपस्थित किया। उस में यह उल्लेख किया गया था कि तीन साधनों से क्षतिपूर्ति की जाय; एक, मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति के मूल्य से, दूसरे, सरकार द्वारा बनाई गई दुकानें और मकानों की रकम और विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋण की इन साधनों में सम्मिलिति और अन्तिम है सरकारी अंशदान।

इस सब कार्यवाही से विदित है कि विभिन्न अवसरों पर एक से अधिक मंत्रियों द्वारा यह पवित्र आश्वासन दिये गये कि क्षतिपूर्ति दी जायेगी। प्रारम्भ में यह मालूम किया गया कि मुसलमानों द्वारा भारत में छोड़ी गई सम्पत्ति का मूल्य लगभग ३०० करोड़ रु० अथवा ३५० करोड़ रु० होगा। किन्तु बाद में यह २५० करोड़ रुपये रह गया, तत्पश्चात् यह घटकर एक सौ करोड़ रुपये रह गई। पाकिस्तान में हिन्दू और सिक्खों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति का मूल्य, सरकार द्वारा निश्चित और संशोधित करने पर छः सौ करोड़ रु० होता है यद्यपि प्रारम्भ में वह २००० करोड़ रु० आंका गया था। इस तरह हम देखते हैं कि नवीनतम गणना के अनुसार हम ने जो सम्पत्ति पाकिस्तान में छोड़ी है, मुसलमानों की सम्पत्ति का मूल्य उस का केवल छठा भाग है। मंत्रीमण्डल द्वारा इस प्रश्न पर विचार करने के लिये यह उपयुक्त अवसर है।

श्री जैन के शब्दों में अब वस्तुतः यह क्षतिपूर्ति नहीं है, यह पुनर्वास का ही भाग है। विस्थापित व्यक्तियों ने जिन कठिनाइयों का सामना किया है विश्व में उस की तुलना नहीं है। राजनीतिक कार्यों में लोग जेलों में गए हैं और उन पर हज़ारों रुपया दण्ड भी हुआ है किन्तु अपने घरों से निष्कासित इन लाखों व्यक्तियों की विपदाओं जैसा संसार में कोई दृष्टांत नहीं है। वित्त मंत्री के वक्तव्य से विस्थापित व्यक्तियों में ही नहीं किन्तु अन्य वर्गों में भ्रान्ति उत्पन्न हो गई है। विस्थापित व्यक्तियों का शारीरिक और नैतिक मृत्यु से परित्राण करने के लिये यह आवश्यक है कि इस समस्या को यथाशीघ्र हल किया जाय।

जिन घरों में वे रह रहे हैं उन का किराया वसूल करने में श्री देशमुख ने जिस सार्वजनीन दृष्टिकोण से काम लिया है वह प्रशंसनीय है। थोड़ी रकम वाले ऋणों को वसूल करने में भी परिवर्तित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

श्री के० के० बसु : पिछले तीन-चार सप्ताहों से अभिनीत भव्य नाटक पर कुछ ही मिनिटों में यवनिका पतन हो जायेगी। यह कहने के लिये आप मुझे क्षमा करेंगे कि सौजन्य-पूर्ण स्वभाव होते हुए भी वित्त मंत्री ने इस नाटक में खलनायक का पार्ट किया है। उन्हों ने समस्या पर इस तरह जोर डाला कि यदि हम वर्तमान औद्योगिक इकाईयों में सुधार चाहते हैं तो छंटनी आवश्यक है।

उदाहरण के लिये मैं पटसन उद्योग लेता हूं। हमारा विचार है कि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये नवीन यंत्रों की स्थापना के फलस्वरूप उस में लगभग ४०,००० से अधिक व्यक्तियों की छंटनी होगी। किन्तु वित्त मंत्री ने कहा कि यह संख्या ८०,००० तक जा सकती है। चाय बागान में तीस हजार से चालीस हजार श्रमिक इस से प्रभावित होंगे। कलकत्ता की पत्तन आयुक्तों के एक प्रतिवेदन में कहा गया है कि तीन हजार व्यक्तियों की छंटनी की जा रही है। सरकार ने यह चित्र जनता के समक्ष रखा है और इसी चित्र के आधार पर वे जनता से पंचवर्षीय

योजना में उत्साहपूर्वक सहयोग देने की मांग करते हैं ।

किन्तु जहां इतने व्यक्तियों की छंटनी की जा रही है वहीं अनेक सरकारी विभागों में नई नई नियुक्तियां भी हो रही हैं और छंटनी किये गये उक्त व्यक्तियों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती । हाल ही के एक न्यायालय के निर्णय के अनुसार एक बात यह भी मालूम हुई है कि युद्ध काल में नियुक्त किय गये कर्मचारियों की अभी छंटनी किये जाने पर इसलिये कोई सहायता नहीं दी जा सकती कि उन के नियुक्तिपत्रों पर उन सरकारी अधिकारियों के हस्ताक्षर थे जो इस कार्य के लिये अधिकृत व्यक्ति नहीं माने जा सकते ।

और भी अनेक अवस्थाएं हैं जिन के कारण जनता को भारी कष्ट उठाने पड़े हैं । इसी चित्र के आधार पर मैं सरकारी दृष्टिकोण की आलोचना करता हूं । उन्हों न भारत में शाखाओं वाले विदेशी समवायों के सहायक भारतीय समवाय से प्राप्त लाभांशों के सम्बन्ध में लिये जाने वाले अधिकार पर भी छूट देने की मांग की है । मुझे मालूम नहीं कि सरकार की इन समवायों से इतनी सहानुभूति क्यों है । हम यह मानते हैं कि विदेशी पूंजी को आने दिया जाये, किन्तु उसे भारतीय उद्योगों का शोषण न करने दिया जाय ।

इन उद्योगों में कुछ भारतीय सहायक कर्मचारी युद्ध के दिनों में शिक्षा प्राप्त कर के उच्च पदों पर पहुंच गये थे, किन्तु युद्ध समाप्त होते ही उन्हें निम्न पदों पर भेज कर उन के स्थान पर बड़े बड़े वेतनों पर यूरोप निवासियों को बुला लिया गया । जब सरकार ने इस सम्बन्ध में सूचना मांगी तो उन्हों ने उस का उत्तर ही नहीं दिया । इस प्रकार तो १० या १५ वर्ष पश्चात् भी उपयुक्त भारतीय नहीं मिल सकेंगे और ये समवाय विदेशियों को बुलाते रहेंगे ।

यद्यपि वित्त मंत्री जी इस सम्बन्ध में हमें आश्वासन दे चुके हैं, किन्तु मैं इस बात को फिर दोहरा देना चाहता हूं कि जिस के लिये हमारे राष्ट्रीय उद्योग हों उनमें इन विदेशी समवायों को न तो और पूंजी लगाने देनी चाहिए और न ही कोई नये उद्योग खोलन देने चाहियें । हमें यह भय है कि ये विदेशी समवाय हमारी अर्थ-व्यवस्था से लाभ उठा कर हमारे राष्ट्रीय उद्योगों से प्रतिद्वन्द्विता करेंगे और उन्हें नष्ट कर देंगे ।

ये विदेशी समवाय आयकर से कैसे बचते हैं इस सम्बन्ध में मैं ने एक संशोधन की सूचना दी थी, किन्तु मैं न उसे प्रस्तुत नहीं किया । श्री त्यागी ने कल बतलाया था कि उन्हें अपने विभाग से यह सूचना मिली है कि ये विदेशी समवाय अनेक प्रकार से आय-कर से बचते हैं । उन के पदाधिकारियों को सब कुछ मुफ्त मिलता है और उन के बच्चों और आश्रितों को इंग्लैण्ड में पैसे भी भेजे जाते हैं । इस प्रकार बहुत थोड़ी आय पर कर लगता है । आय कर (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करते समय माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि वे निकट भविष्य में ही एक व्यापक विधान प्रस्तुत करेंगे जिस से ये सब कमियां दूर हो जायेंगी । परन्तु इस के तो कोई आसार नहीं दिखाई देते । इस के विपरीत इस प्रस्ताव में तो इन विदेशी उपक्रमों को रियायतें दी जा रही हैं । अब हमें इन के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति बना लेनी चाहिये । हमारे यहां कोई भारी रसायनों का उद्योग नहीं है, इस की हमें बहुत आवश्यकता है ।

इन वित्तीय प्रस्तावों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार को ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिये जिस से लोगों में सहयोग के लिये उत्साह हो सके ।

योजना आयोग प्रतिवेदन में यह अनुमान लगाया गया है कि गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र

[श्री के० के० बसु]

अपनी बचतों में से लगभग ५०० करोड़ रुपये देंगे। हम जानते हैं कि ब्रिटिश पूंजीवादी लाभांशों पर ३६ करोड़ रुपया अर्जित करते हैं। इस के अतिरिक्त वे ६० करोड़ रुपया और अर्जित करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि लाभांशों के रूप में उन्हों ने अपनी लगाई हुई पूंजी से कहीं अधिक ले लिया है। मैं उन का निस्वाम्यकरण नहीं चाहता क्योंकि आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी दशा में मेरा सुझाव यह है कि कुछ काल के लिये इस लाभ को सीमित कर देना चाहिये। उन से यह कह देना चाहिये कि वे पूंजी पर होने वाले लाभ का एक प्रतिशत अंश ही ले सकते हैं, शेष को उद्योग में लगाना पड़ेगा ताकि वे हमारे औद्योगीकरण के विकास में सहायता कर सकें। मुझे आशा है कि इन बातों पर विचार किया जायेगा।

बड़ी योजनाओं के सम्बन्ध में भी मुझे एक बात कहनी है। मेरा सुझाव यह है कि इन बहुसूत्री परियोजनाओं या बड़े कार्यों के प्रत्यक प्रस्ताव को देखने के लिये हमें एक संसदीय आयोग अथवा एक स्थायी संसदीय समिति बनानी चाहिये। इस से यह लाभ होगा कि राष्ट्रीय धन का अपव्यय बहुत कम होगा और उक्त योजनाओं आदि का कार्य भी उचित रूप से हो सकेगा।

अन्त में मैं वित्त मंत्री से अपने प्रान्त के दो मामलों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। एक तो गंगा पर बांध की योजना के सम्बन्ध में है। यह केवल बंगाल ही का प्रश्न नहीं है। यह भारत के सब से बड़े बन्दरगाह, कलकत्ता बन्दरगाह तथा आसाम को जाने वाले सीधे स्थल मार्ग की देखभाल का प्रश्न है। उक्त स्थल मार्ग से चाय आती है, जिस की सहायता से हम विदेशी विनिमय अर्जित करते हैं। दूसरी बात यह है कि दक्षिण बंगाल में सुन्दरबन क्षेत्र में तेल प्राप्त होने की संभावनाएं हैं और वहां पर कृषि योग्य क्षेत्र भी काफ़ी है। यह क्षेत्र प्रान्तीय सरकार के आधीन है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस दोनों समस्याओं को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के आधार पर निपटाना चाहिये। सरकार को निकट भविष्य में इस क्षेत्र का विकास करना चाहिये।

१ म० प०

इस से हमारी खाद्यान्नों की कमी थोड़ी बहुत कम हो जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय : हम ने खण्डवार विचार समाप्त कर दिया है। अब सदन की बैठक आज चार बजे म० प० तक के लिये स्थगित होती है।

सदन की बैठक तब चार बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

सदन की बैठक चार बजे फिर समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तृतीय वाचन के लिये केवल एक घंटा देना चाहता था, अतः मेरे विचार से यह चर्चा साढ़े चार बजे तक समाप्त कर देनी चाहिये। पर चूंकि कई सदस्य चाहते हैं कि इस के लिये समय पांच बजे तक रखा जाये, अतः हम पांच बजे तक यह कार्य करेंगे। चूंकि कई सदस्य बोलने के इच्छुक हैं, अतः प्रत्येक वक्ता दस मिनट से अधिक समय नहीं लेगा। पांच बजने म पंद्रह मिनट पर मैं माननीय मंत्री से बोलने को कहूंगा। पांच बजे के उपरान्त हम चाय विधेयक पर विचार आरम्भ करेंगे, और छै बजे तक यहां बैठेंगे।

श्री घुलेकर : जो प्रस्ताव माननीय अर्थ मंत्री जी ने उपस्थित किया है उस के

समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। यह बात तो स्पष्ट है कि जो बजट हम ने पास किया है उसी से यह फायनेंस बिल बंधा हुआ है। और इसलिये बजट के सम्बन्ध में जो कुछ भी बातें कही जा सकती थीं, वही बातें फायनेंस बिल के सम्बन्ध में भी कही जा सकती हैं और जो किसी प्रकार की सूचनायें या उस के ऊपर कटाक्ष किये जा सकते हैं तो वे इस में निहित हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो बजट पेश किया गया है वह साधारण बजट जैसा कि पिछले वर्ष उपस्थित किया गया था वैसा ही बजट नहीं है और उस बजट के समान यह फायनेंस बिल भी साधारण बिल नहीं है। इस की एक हिस्टारिक वैल्यू है, एक ऐतिहासिक मूल्य है, और प्लानिंग कमीशन की जितनी योजनायें हैं उन का यह प्रारम्भिक सूचक है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस फायनेंस बिल के सम्बन्ध में जो कुछ भी बातें हम को देखनी हैं वे इस प्रकार से देखनी चाहियें कि जो बजट हम ने तीन सप्ताह तक पूर्णरूपेण विचारा वह इस बिल के द्वारा पूरा समर्थित होता है कि नहीं। मेरा कथन है कि पूर्णरूपेण हम ने बजट पर विचार कर लिया तो हम समझते हैं कि यह फायनेंस बिल अवश्य पास होना चाहिये।

जो कुछ बातें बजट के सम्बन्ध में कही गई थीं, उन की मैं सरसरी तौर पर चर्चा करूंगा। एक बात यह कही गई कि जो कुछ प्रौजैक्टस या योजनायें हमारे भारतवर्ष में चलाई जा रही हैं उन में रुपये की बहुत भारी बरबादी है। दूसरी बात जो कही गई है वह यह है कि हमारे अर्थ मंत्री ने यह जो नई योजना डैफिसिट फायनैन्सिग की निकाली है वह हमारे लिये इस समय उचित नहीं है। तीसरी बात यह कही गई है कि हम अमरीका से और अन्य देशों से जो धन की सहायता लेते हैं और साथ साथ जो टैक्नीकल सहायता भी लेते हैं यह हमारे लिये उचित नहीं है और हम को इन दोनों सहायताओं को ठुकरा देना चाहिये। इस के साथ साथ यह भी कहा गया है कि हमारे यहां के जो आफिसर्स हैं, नौकरशाही है, वह इतनी करप्ट और खराब है कि हमारी योजनाओं को बिल्कुल बरबाद कर देगी। मैं इन सारे क्रिटिसिज्म्स को और जो ये कटाक्ष हैं इन को पूर्णरूपेण सत्य नहीं मानता हूं। यह तो कोई कह नहीं सकता कि कोई भी बात या योजना जो पेश की जाती है वह पूरी की पूरी ही अच्छी होती है और उस में किसी प्रकार की बुराई नहीं होती। मैं आप की आज्ञा से अपने आनरेबिल मैम्बर्स को यह बतलाना चाहता हूं कि यह जो बजट इस समय पास हुआ और उस के लिये जो फायनेंस बिल पेश हुआ यह असाधारण समय में हुआ है। हमारी परिस्थिति इस समय क्या है? इस समय हमारी परिस्थिति यह है कि हमारे यहां जो ३६ करोड़ की जनसंख्या है वह एक स्तर की नहीं है और इसलिये हम अमरीका या इंगलैंड में या दूसरी जगह जो जनसंख्या है और उन पर जो टैक्सेशन का वज़न लादा जाता है या जो योजनायें वहां चलाई जाती हैं या जो राज्य व्यवस्था वहां कायम की जाती है या जो अर्थ व्यवस्था वहां कायम की जाती है या जो वहां की फायनेंशियल पालिसी होती है, वह अर्थ व्यवस्था हम यहां लागू नहीं कर सकते हैं। हमारे भारत वर्ष में इस समय जैसा कि हमारे अर्थ मंत्री महोदय ने कहा, मिक्स्ड इकानामी है। मिक्स्ड इकानामी का अर्थ यह है कि यहां सोशियलिज़्म भी कुछ चल रहा है, कैपिटैलिज़्म भी है, स्टेट सोशियलिज़्म भी है, क्रूड बार्टर सिस्टम भी जारी है, बारोइंग भी जारी है। हम प्रदेशों से टैक्नीकल एंड मानिटरी ऐड ले रहे हैं। हमारे यहां काटेज इंडस्ट्रीज़ भी जारी हैं, ग्राम उद्योग भी चल रहे हैं। साथ साथ प्राइवेट और स्टेट, निजी तौर पर और सरकारी तौर पर बड़े बड़े व्यवसाय, इंडस्ट्रीज़ भी चल रही हैं।

[श्री धुलेकर]

हमारी ऐग्रीकल्चरल इकानामी में, हमारा जो खेतिहर समाज है, जहां ऐसा भी समाज है कि एक बीघा ज़मीन जोतता है और ऐसा भी समाज अब पैदा हो गया है कि जो ५ हज़ार एकड़ अपटुडेट मैशीनरी से, ट्रैक्टर से और बिजली से जोत रहा है। इसलिये जब हमारे यहां इन ३६ करोड़ मनुष्यों की बात हो, जहां पर कि एक आदिवासी से ले कर उन्नत से उन्नत मनुष्य मौजूद हों, जहां जनसंख्या इस प्रकार की हो, वहां यह कहना कि हम एक इकानामी चाहें वह रूस की हो या अमेरीका की हो, को हम चलायें, यह बात नहीं हो सकती है। यह बात असम्भव है। इस लिये हमारा कर्तव्य हो जाता है और हम बाध्य हैं कि हम मिक्सड इकानामी चलायें, हम डैफिसिट फ़ायनैंसिंग करें, हम थोड़ा थोड़ा कर्ज़ा हर एक मनुष्य से लें और हर प्रकार के मनुष्यों से, ठेके से भी काम लें, सरकार अपनी अमानी से भी काम ले, इस सब के लिये हम बाध्य हैं।

हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि हीराकुड में, पंजाब से हज़ारों मज़दूर आये हैं। किसी ने कहा कि लाखों रुपया वहां पर बरबाद हुआ है कि जिस की वजह से शायद बांध बनते बनते वह पूरा नहीं बन पावेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सब के लिये हम को सोचना चाहिये कि सब जगह एक ही प्रकार से काम नहीं हो सकता है। जब हम बड़े बड़े प्रोजैक्ट्स और योजनाओं को फैलाये हुए हैं तो हम बाध्य हैं कि समस्त लोगों की हम सहायता लें।

इसी प्रकार से फ़ौरेन पालिसी भी हमारे लिये एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जिस के लिये एक निश्चित मार्ग कर लेना कि या तो अमेरीका के साथीदार हो जायें या रशिया के साथीदार हो जायें या इंगलैंड के साथीदार हो जायें या इंडोनीशिया के साथीदार हो जायें या चाइना के साथीदार हो जायें, यह कठिन है। हम यह नहीं कर सकते। इसलिये जब हमारे ऊपर दूसरे पक्ष की तरफ़ से कटाक्ष किये जाते हैं कि हमारी वैदेशिक नीति भी ठीक नहीं है तो हम यह कहते हैं कि हम ऐसी दुनिया में उपस्थित हैं कि जिस में हमारे लिये कोई नीति हो सकती है तो वह एक ही नीति हो सकती है कि दुनिया के जितने लोग हैं उन को हम अपना मित्र मानें और हर एक से वही बर्ताव करें कि जो हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें।

इसलिये हमारा बर्ताव दूसरों से मैत्री-पूर्ण है, यहां तक कि हमारे जनसंघ, और आर० एस० एस० और अन्य मित्र लोग हैं वह हम से कहते हैं कि पाकिस्तान से आप भाईचारा क्यों रखना चाहते हैं, पाकिस्तान तो बहुत बुरा है, लेकिन मैं उन को कहता हूं कि भाई मेरे केवल गाली देने से तो कुछ होगा नहीं। हम जगत में जब बैठे हुए हैं तो हमारा कर्तव्य इस बात का है कि जिस तरीके से बात सुलझती हो उस प्रकार उस को सुलझायें। अगर हमारे मित्र यह कहते हैं कि हम को बात बहुत जल्दी सुलझाना चाहिये, और जम्मू और काश्मीर का सारा मामला यू० एन० ओ० से वापिस ले लिया जाये तो मैं उन से पूछना चाहता हूं कि आप दुनिया में बैठेंगे कहां ? मैं तो उन मित्रों से साफ़ और मोटे अक्षरों में पूछना चाहता हूं कि फ़र्ज कीजिये कि मैं आप के मोहल्ले में रहता हूं और मैं मुहल्ले के लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध न रक्खूं, उनके साथ मित्रतापूर्वक न रहूं तो मुझे बतलाइये कि मैं उस हालत में किस के घर बैठने पाऊंगा, इसलिये हमारी जो दूसरे देशों के साथ मैत्री और भाईचारे के नीति है, वह बहुत ठीक और उचित है। एक बात और भी मैं यहां पर कह दूं कि हमारे मित्र लोग जो नेशनेलिज़्म के ऊपर इतना ज़ोर देते हैं, मैं समझता हूं कि यह नैशनेलिज़्म का कीड़ा इतना घातक

सिद्ध हुआ है कि जिस की वजह से आज सारी दुनिया त्राहि २ कर रही है। पहला महायुद्ध जो हुआ और जो दूसरा महायुद्ध हुआ, यह सारी चीज़ें आखिर किस चीज़ का परिणाम हैं, आप देखेंगे कि इसकी तह में यही नेशनैलिज़्म है, हम अपनी नेशनैलिज़्म राष्ट्रीयता को इतना बढ़ाते चले जाते हैं कि हर एक मनुष्य यह समझता है कि जिस राष्ट्र का मैं हूं, वही राष्ट्र सब से अच्छा है और बाक़ी जितने अन्य लोग हैं, दूसरे देशों के रहने वाले हैं, वह सारे के सारे खराब हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, और डाकू हैं, मैं समझता हूं कि ऐसी भावना बहुत ही ग़लत है। हम सारे जगत में रहते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय जगत में रहते हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम सब से मिल जुल कर चलें और किसी को अपना दुश्मन न समझें और सब से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रक्खें।

फिर उस के बाद प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट पेश हुई और उस के लिये करोड़ों रुपये का खर्चा हम ने पास किया, जब हम ने इतना बड़ा ख़र्चा पास किया तो हमारा कर्त्तव्य है कि हम एक ऐसा बजट पास करें जो कि प्लानिंग कमीशन का सहयोगी हो, हमारा फाइनेंस बिल प्लानिंग कमीशन की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिये। इसलिये मेरा कहना है कि फ़ोरन पालिसी के नाते से, इंटरनेशनैलिज़्म के नाते से और अपनी घरेलू व्यवस्था के नाते हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम फ़ाइनेन्स बिल को सपोर्ट करके आगे ले जायें और इस प्रकार आगे ले चलें। जिस से हम उस पंचवर्षीय योजना में पूरी तरह से सफलीभूत हों, क्योंकि अगर किसी तस्वीर के हम टुकड़े टुकड़े कर के देखेंगे और नाक को देखें और कहें कि नाक ख़राब है, इसी तरह आंख और पैर आदि अंगों को अलग अलग देखें और कहें कि आंख ख़राब है, और पैर ख़राब हैं तो यह सही ढ़ंग हमारे देखने का नहीं है। हम को तो पूरी तस्वीर देखना चाहिये और हमारी पूरी तस्वीर क्या है, वह तस्वीर मैं कहूंगा कि हमारी पंचवर्षीय योजना है और वह हमारे देश भारत वर्ष की आत्मा का स्वरूप है और यदि हम इस पंचवर्षीय योजना द्वारा अपने देश की आत्मा के स्वरूप को तय कर सकें, तो मैं आप को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम भारवर्ष को उन्नति के शिखर तक पहुंचा देंगे। मेरा ऐसा विश्वास है कि यह पांच वर्ष की जो हम ने प्लानिंग की है, यह भारत वर्ष को बहुत दूर ले जायेगी। मैं एक छोटे क्लास का काम करने वाला होने के कारण रोज़ाना मज़दूरों, खेतिहर लोगों, और देहातों में आता जाता हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय : यह चर्चा केवल उन्हीं बातों तक सीमित रहनी चाहिये जो द्वितीय वाचन में पारित हो गई हैं। इस सीमा के बाहर किसी सदस्य को नहीं जाना चाहिये।

श्री धुलेकर : मैं यह सब कह कर इस बात को सिद्ध करना चाहता हूं कि जब तक हम फाइनेंस बिल को उस की पूरी सूरत में न देखें हम फ़ाइनेंस बिल को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। फ़ाइनेंस बिल में जो कई व्यवस्थायें दी गई हैं उन से ज़ाहिर होता है कि यह जो बजट हम ने बनाया है, यह हमारा वैल्फ़ेयर बजट, मंगलकारी बजट है। दो, तीन, बातें जो कि अमेंडमेंट्स में पेश की गई हैं उन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जो इनकम-टैक्स में यह बात रक्खी गई है कि जो धन चैरिटेबुल सोसाइटीज़ को दिया जायेगा, उस के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जायेगा, यह बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात...

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पन्द्रह मिनट बोल चुके हैं, अब उन्हें अपना भाषण समाप्त करना चाहिये।

श्री घुलेकर : इन शब्दों के साथ मैं फ़ाइनेंस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री थानू पिल्ले (तिरुनलवेली) : वित्त मंत्री जी ने जिस योग्यता और दृढ़ता से आय-व्ययक पारित करवाया है उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं । एक बड़ी मनोरंजक घटना घटी है । मद्रास विधान सभा में वहां के माननीय सदस्यों ने केन्द्र की यह कह कर आलोचना की है कि केन्द्र ने रायलासीमा के दुर्भिक्ष के लिये केवल दो करोड़ रुपये की सहायता दी जबकि उन्हें वहां इस पर दस करोड़ रुपये खर्च करने पड़े । परन्तु हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने दो वर्ष में १७ करोड़ रुपये दिये हैं । मैं इस विषय में स्पष्टीकरण करवाना चाहता हूं ।

श्री सी० डी० देशमुख: यह बहुत सरल है । रायलासीमा क्षेत्र में प्रयोग के लिये दो करोड़ रुपये प्रतिभूतियों के विक्रय से और १७ करोड़ रुपये उनकी योजना को क्रियान्वित करने के लिये ।

श्री थानू पिल्ले : परन्तु वहां इस आधार पर आलोचना की गई थी कि केन्द्र ने पहिले दो करोड़ रुपये का ऋण और दो करोड़ रुपये का अनुदान देने का वचन दिया था । बाद में केन्द्र के अपना निर्णय बदल देने पर मद्रास सरकार को भारत सरकार की दो करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां बेचनी पड़ीं । हम यह जानना चाहते हैं कि वह ठीक है या यह ठीक है । दक्षिण में इस बात की बड़ी आलोचना की जा रही है कि उत्तर वाले दक्षिण की उपेक्षा कर रहे हैं। पंचवर्षीय योजना में राज्यों के लिये १४९ करोड़ रुपये अलग रख दिये गये हैं, किन्तु केन्द्र और राज्यों के अंश का अलग अलग व्यौरा नहीं दिया हुआ । ये सब बातें स्पष्ट की जानी चाहियें ।

वित्त मंत्री जी ने कहा है कि उन्हें दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं है । मेरी यह प्रार्थना है कि केन्द्र के मंत्री कुछ निश्चय करने से पूर्व स्वयं दक्षिण में जाकर विशेष रूप से मदुरा, रामनद और तिरूनलवेली के जिलों का निरीक्षण करें ।

केन्द्र द्वारा प्रान्तों को दिये गये धन का ज़िलों में ठीक प्रकार से वितरण नहीं होता । खराब वितरण होने से हमारे जनसाधारण के साथ सम्बन्ध बिगड़ जाते हैं । अतः केन्द्र को इन वितरणों के सम्बन्ध में राज्यों पर कुछ निगरानी रखनी चाहिये । मेरे जिले के समहर्त्ता ने ६० लाख रुपये मांगे थे । बाद में यह घटा कर ३० लाख रुपये कर दिये गये । मद्रास सरकार ने सात लाख का वचन दिया था । किन्तु अन्त में ३१ मार्च से पूर्व मेरे जिले को केवल ५,००० रुपये मिले । यह स्थिति है । अतः माननीय मंत्री हमें इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी दें ।

भारतीय और पाकिस्तानी नागरिकता अधिनियम के अधीन श्री लंका की सरकार हमारे सब लोगों को निकाल रही है । इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है । इतना ही नहीं उन्होंने एक विधि बना दी है जिसके अधीन ऐसे किसी भी भारतीय को जिसके पास कुछ दस्तावेज न हों अवैध प्रवासी करार दिया जा सकता है और इसके विरुद्ध दोषी को प्रमाण प्रस्तुत करना होगा दोष लगाने वाले को नहीं । इन लोगों के आने से हमारे जिले में तथा अन्य जिलों में अकाल की स्थिति और भयानक होती जा रही है । ४७ लाख रुपया दलिया केन्द्रों के लिए दिया गया है । हम केवल यह नहीं चाहते हैं । हमारे यहां छोटी छोटी नदियां हैं जिन में बांध बांधे जा सकते हैं । एक मणिमट्टर नाम की नदी परि-योजना है । उस ज़िले के निवासियों ने एक करोड़ अट्ठाइस लाख रुपया इस परियोजना

के लिये एकत्रित किया था परन्तु पैसे की कमी के कारण इस परियोजना की प्रगति धीमी पड़ गई है। यहां तक कि जो रुपया जनता ने एकत्रित किया था वह भी अभी तक खर्च नहीं किया गया है। जब हम उन से कहते हैं तो वे कह देते हैं "पैसा नहीं है" और केन्द्र की ओर संकेत करते हैं। हमारे माननीय मंत्री कहते हैं " हम उन की सहायता नहीं कर सकते हैं" क्या एकीकृत योजना का यही अर्थ है। यदि योजना के कार्यान्वितीकरण में एक भाग में दोष आ जावे और केन्द्र उसका उत्तरदायित्व ग्रहण करने को तैयार न हो तो हम किस का मुंह ताकें ? मैं इसका भी उत्तर जानना चाहता हूं।

पंचायतों से लेकर संसदीय सचिवालय के कर्मचारियों में असन्तोष है। कहा यह जाता है कि वह आदमी जो ईमानदारी से काम करता है उसको जल्दी जल्दी तरक्की मिलना चाहिये परन्तु शिकायतें आ रही हैं कि वे लोग जो योग्यताहीन हैं उनको स्थायित्व तथा उन्नति प्रदान की जा रही है जबकि वे जो योग्यता रखते हैं उन्हें स्थायित्व या उन्नति नहीं दी जाती है।

केन्द्रीय सचिवालय में कार्य करने वाले मध्यमवर्ग के कर्मचारी पी० टी० ओ० की सुविधा के लिये चिल्ला रहे हैं। इन सरकारी नौकरों के मिलने वाले अल्प वेतनों तथा उनके रहन सहन को देख कर ही यह सुविधा दी गई थी। निर्वाह व्यय में कोई कमी नहीं हुई है। निर्वाह व्यय देशनांक के अनुसार हम उन को वेतन भी नहीं दे देते हैं। वित्तीय बचत करने के लिये यह सुविधायें समाप्त कर दी गई थीं। उसी के साथ साथ अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों पर भी एक ऐच्छिक कटौती आरोपित की गई थी। मुझे पता चला है कि यह यह ऐच्छिक कटौती तो हटा दी गई है परन्तु इन अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधायें उन को अभी तक नहीं लौटाई गई हैं। इन सरकारी नौकरों को मिलने वाली अर्जित छुट्टियां इसी लिये दी जाती हैं कि वे अपना स्वास्थ्य सुधार सकें परन्तु इन सुविधाओं के अभाव में वे ऐसा कर पाने में असमर्थ रहते हैं। मैं रेलवे मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह कम से कम एक तिहाई सुविधा देने का प्रबन्ध करें।

डा० एन० बी० खरे : मैं जो आंकड़े दे रहा हूं उनसे पता लगेगा कि भारत की जनता को किस प्रकार लूटा जा रहा है तथा भारत के करदाता को कितना भारी बोझ उठाना पड़ता है।

१९३८–३९ में विभाजित भारत के आधार पर जो समग्र व्यय निकाला गया था वह केवल ५६ करोड़ रुपया था। १९५३–५४ में यही बढ़ कर ४३८·८१ करोड़ होने जा रहा है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक खर्चीली, तबाही लाने वाली तथा भ्रष्ट सरकार कितनी बड़ी धन राशि भारत के जैसे ग़रीब देश से छीन कर सैनिक व्यय तथा काल्पनिक योजनाओं में लगा रही है। आज हमारा सैनिक व्यय १९३९ के राजस्व की अपेक्षा ४०० प्रतिशत बढ़ा हुआ है जबकि देश को उसका कोई भी लाभ नहीं मिलता है।

माननीय वित्त मंत्री का कहना है कि वर्तमान वर्ष में हमारी आर्थिक स्थिति में विशेष उन्नति हुई है परन्तु इस कथन पर आश्चर्य होता है। थोक के दामों में कमी होने के कारण ऐसी बात कही जा रही है। थोक के दामों में होने वाली इस कमी का कारण था नवम्बर १९५१ में बैंक दर में किया जाने वाला ३$\frac{1}{2}$ प्रतिशत का आधिक्य, कोरिया युद्ध के कारण भावों में होन वाली बढ़ोरीत का उतार, अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतियोगिता करने

[डा० एन० बी० खरे]

वाली सभी सामग्रियों के संसार व्यापी उत्पादन में होने वाला बहुत बड़ा आधिक्य, सट्टे वाली सामग्रियों की दरों का अन्तर्देशीय-जगत में होने वाला आकस्मिक गिराव। परन्तु इस गिरावट निर्वाह व्यय से कोई सम्बन्ध नहीं है। आर्थिक दशा के सुधार की वास्तविक पहचान तो निर्वाह व्यय के दिनांक के कम होने से ही की जा सकती है।

सरकार ने मुद्रास्फीति को रोकने के जो भी उपाय किये उनके बावजूद निर्वाह व्यय का देशनांक बराबर बढ़ता जा रहा है। बम्बई के आंकड़े हैं:

आधार १९३०	१००
१९४९–५०	२९१
१९५०–५१	३०२
१९५१–५२	३१४
१९५२–५३	३४७ (नौ महीने)

निर्वाह व्यय के और भी अधिक बढ़ने की आशा है। वर्तमान वर्ष में खाद्य के लिये दी जाने वाली राजकीय सहायता नहीं रहेगी और अधिक दर पर तथा अधिक भाड़ा देकर हमें ३० लाख टन खाद्यान्न आयात करना पड़ेगा। पंचवर्षीय योजना पर खर्च की जाने वाली बहुत बड़ी धनराशि सामग्रियों की मांग को और अधिक बढ़ा देगी। ११० करोड़ रुपये की बढ़ी हुई मुद्रा के बाजार में आ जाने से साधारण व्यक्ति की दशा और भी खराब हो जायगी।

कहा जाता है आर्थिक दशा की उन्नति का सूचक कृषि तथा उद्योग से होने वाला बढ़ा हुआ उत्पादन है परन्तु यह नहीं भूलना चाहिये कि कृषि के उत्पादन की वृद्धि का अर्थ आवश्यक खाद्यान्नों में कोई भी वृद्धि हुए बिना भी हो सकता है।

यह आवश्यक नहीं है कि उद्योगों के अधिक उत्पादन से निर्वाह-व्यय में कमी हो। हथकरघा उद्योग आज बुरी दशा में है। बहुत से चाय बगानों को बंद कर देने से चाय उद्योग भी गड़बड़ हो गया है, चीनी उद्योग की दशा भी अनिश्चित है। निर्वाह-व्यय देशनांकों का आधार इन्हीं वस्तुओं पर है। जब इनकी ऐसी दशा है तो देश की आर्थिक व्यवस्था में कोई सुधार की आशा करना बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। विदेशी लोग आते हैं और प्रशंसा करके चले जाते हैं किन्तु उनकी कोरी प्रशंसा गेहूं और चावल पैदा नहीं कर सकती। उससे हमारी बेकारी दूर नहीं हो सकती। किन्तु देश के किसी भी व्यक्ति ने सरकार की कोई प्रशंसा नहीं की है। केवल विदेशी ही करते हैं। सभी लोगों में जैसे विद्यार्थी, स्कूल मास्टर, पटवारी, भूमिया आदि आदि में असंतोष है। ऐसी स्थिति में हमारे प्रधान मन्त्री रानी एलिज़ाबेथ द्वितीय के राज्यभिषेक में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। इससे हमारे देश को कोई लाभ नहीं हो सकता।

हमें बताया गया है कि आयव्ययक कर-हीन है। यह कर-हीन नहीं है। घाटे की अर्थ-व्यवस्था सब से बुरे प्रकार का करारोपण है। हमें बताया गया है कि कर योग्य आय की सीमा बढ़ा कर कर में छूट देकर मध्यवर्गीय व्यक्तियों की सहायता की जायगी। किन्तु कितने व्यक्ति कर देते हैं? ३६ करोड़ की आबादी में केवल ७ लाख व्यक्ति ही कर देते हैं।

इस आयव्ययक की मुख्य बात पंचवर्षीय योजना है। वित्त मंत्री का उद्देश्य किसी भी प्रकार से तथा कैसे ही इस पंचवर्षीय योजना के लिये धन एकत्रित करना है। किन्तु सरकार स्वयं अभी तक निश्चित नहीं है कि कितना धन चाहिए और वे ढंग क्या ह––जिनके द्वारा यह धन इकट्ठा किया जायगा। वित्त मंत्री का भाषण कोरी कल्पना और झूठी आशाओं

से भरा हुआ है । विरोधात्मक बात तो पंच-वर्षीय योजना में लगने वाली कुल धन राशि है । प्रारम्भ में कहा गया था कि १४९३ करोड़ रुपया देश के भीतरी साधनों से एकत्रित किया जायगा । अचानक ही हमें बताया गया है कि अब यह धनराशि बढ़ा कर २०६९ करोड़ दी गई है तो क्या देश में अचानक ही ६०० करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई ? यह बहुत ही विरोधात्मक बात है । दूसरे विदेशी सहायता की आवश्यकता में भी बड़ी जल्दी परिवर्तन हो गया है । और इस परिवर्तन का भी कोई कारण नहीं दिया गया है ।

तीसरी बात वित्त मंत्री द्वारा मूल्यों के स्तर के विषय में दी गई महत्ता है । पिछले साढ़े पांच वर्षों से मूल्यों के कम करने का प्रयत्न किया है किन्तु फिर भी मूल्य स्तर बढ़े हैं । वित्त मंत्री सम्भवतः इस बात को भूल गये हैं कि उनकी सरकार ने कहा था कि मूल्यों के स्तर में बढ़ोत्री की भावना अब नियंत्रण में आ गई है । मुझे आश्चर्य है कि योजना आयोग के सदस्य भी इन सब परिवर्तनों, इन विरोधों तथा इन मनमौजी बातों में भाग लेते रहे हैं । मेरा विचारहै कि सम्भवतः उन्होंने ऐसा नहीं किया है । सदस्यों की नियुक्ति सहयोग के लिए की गई थी न कि आपसी वाद विवाद के लिए । मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति की है और इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं ।

प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है कि काश्मीर के मामले में सरकार ने गोलमाल की है । यहां तक कांग्रेसी अखबारों ने भी अब ऐसा कहना प्रारम्भ कर दिया है । किन्तु जब हम ऐसा कहते हैं तो हमें जातीयवादी, राजद्रोही आदि आदि न जाने क्या क्या कहा जाता है । विधि और व्यवस्था का पालन इस प्रकार से किया जाता है कि इस विषय पर बोलने तक के लिए हमारे ऊपर रोक लगा दी जाती है । यहां तक कि यदि साम्यवादी इस विषय पर सरकार के पक्ष में बोले तो वे भाषण करने के लिए स्वतन्त्र हैं । अभी उस दिन प्रधान मंत्री ने दिल्ली में भाषण दिया जिसमें उन्होंने हमें जी भर के गालियां दीं । किन्तु मैं उन से कहता हूं कि हम एक संयुक्त बैठक करें, वहां वह अपनी काश्मीर नीति की व्याख्या करें और हम अपनी नीति की ओर फिर देखें कि जनता किस को अपना मत देती है । उनकी नीति धर्म निरपेक्षवाद की नहीं है । धर्म निरपेक्षवाद का अर्थ तो किसी जाति अथवा किसी धार्मिक सम्प्रदाय में मतभेद करना और न उनके प्रति पक्षपात दिखाने का है । मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं । किन्तु सरकार का, काश्मीर को शामिल करके भी, प्रत्येक कार्य एक विशेष जाति के पक्ष में किया गया है अतएव सरकार की नीति धर्म निरपेक्षवाद की नहींहै, अपितु वह तो 'शेखूलर' है ।

भला इस प्रकार कैसे विधि और व्यवस्था की जाती है ? अज्ञान व्यक्तियों को खूब पीटा जाता है और उनके सर फोड़े जाते हैं । यह बहुत ही बुरी और खतरनाक बात है । सरकार की इस प्रकार की विधि और व्यवस्था की मैं प्रशंसा नहीं अपितु निन्दा करूंगा ।

श्री पी० एन० राजभोज : हमारे देशमुख साहब बड़े अर्थ शास्त्री हैं । रिजर्व बैंक के गवर्नर की हैसियत से आपने बहुत सारी करेंसी तैयार की है । लेकिन देश की विकास योजना के लिए और देश का कारोबार चलाने के लिए पैसे की जो जरूरत है उस को मिटाने का रास्ता आप नहीं देख सकते हैं । यह बड़े दुःख की बात है सच बात यह है कि देशमुख साहब ने अपनी आंखें एक तरफ से बन्द कर ली ह । इस देश के सरमायेदारों, जमींदारों और राजा महाराजाओं के पास जो पैसा इकट्ठा हो गया है उसकी तरफ आप देखते नहीं हैं और केवल

[श्री पी० एन० राजभोज]

गरीबों के ऊपर टैक्स लगा कर आप देश का कारोबार चलाना चाहते हैं ।

एक तरफ हमारी बम्बई सरकार शराब बन्दी कर रही है और इस प्रयोग में १२ करोड़ रुपया फिजूल गवां रही है और दूसरी तरफ लोग भूखे मर रहे हैं। हमारे अर्थ मंत्री बम्बई सरकार को क्यों नहीं डांटते । असल बात यह है कि सारे देश का ध्यान रखके योजना कायम करने की जरूरत है और वह योजना ऐसी होनी चाहिये जिस से जल्दी से जल्दी फायदा पहुंच सके ।

देखिये हमारे महाराष्ट्र में सब से अधिक आवश्यकता फैमीन का सामना करने की है । वहां क्षरण की योजना चाहिये । लेकिन अगर दस साल बाद क्षरण की योजना पूरी हो तो उस से क्या फायदा हो सकता है । लोग तो आज भूखे हैं, उन को आधार मिलना चाहिये। इसी लिये ऐसी इरीगेशन की योजना हाथ में लेनी चाहिए, जिससे थोड़े ही दिन में किसानों की खेती सुधर जाये । आज जरूरत है छोटी छोटी योजनाओं की जैसे कुंए खोदना, छोटे क्षरण बांधना, तालाब तैयार करना । इस काम में करोड़ों रुपये भी नहीं लगेंगे और लोगों के जीवन में जल्दी सुधार भी हो जायेगा। लेकिन हमारी सरकार तो बड़ी बातें करती है और उस को तो बड़ी योजनायें दिखाना अच्छा लगता है । छोटी छोटी योजनाओं में उस का दिल नहीं लगता ।

सवाल तो पालिसी का है । अछूतों के लिये सरकार ने कुछ पैसा मंजूर किया है । लेकिन इस से काम नहीं होगा । अछूतों के लिये ही नहीं बल्कि सारे लोगों के लिये मुफ्त में शिक्षण होना चाहिये । अछूतों को जमीन मिलनी चाहिये । जब तक उन की आर्थिक हालत नहीं सुधरती तब तक उन का भला नहीं हो सकता ।

मैं इस के लिये एक अपील करना चाहता हूं कि जो पंचवर्षीय योजना है उस में सब लोगों की सहायता होनी चाहिये । आप हम लोगों के लिये इसमें कोई अच्छी योजना बनाएं, आर्थिक मामलों के बारे में और एजूकेशन के बारे में। थोड़ा थोड़ा स्कालरशिप तो आप दे रहे हैं, उस को मैं मानता हूं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उस के लिये तो बोलना चाहिये । लेकिन कम से कम कम्पलसरी ऐजूकेशन देश में नहीं होती है तब तक हमारा गरीब देश कैसे आगे बढ़ेगा । इसलिये कम से कम हमारी परिस्थिति सुधारने के लिये, कम से कम अछूतों के लिये तो आप कुछ करो । दूसरे ऐजूकेशन का सब से बड़ा सवाल है । तीसरी बात यह है कि हम लोगों के लिये देहातों में लीगल एड मिलनी चाहिये । हम गरीब लोग जाते हैं तो उन के पास पैसा नहीं होता, कैसे वकील कर सकते हैं । खराब परिस्थिति है ।

चौथी बात यह है कि हमारे महार लोग जो गांवों में काम करने वाले हैं उनकी हालत तो कुत्ते की जैसी खराब है । उन की तनख्वाह दो दो तीन तीन रुपया ऐवरेज में पड़ती है । तो सैंट्रल गवर्नमेंट बम्बई गवर्नमेंट को दबा सकती है बोल सकती है, कि देश की हालत को सुधारने के लिये कुछ न कुछ करना चाहिये । एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ऊंचे आफ़िसर लोग हैं वह हमारे लिये अच्छी तरह से ध्यान नहीं देते---वे बड़े सख्त रहते हैं जैसे विलायत से आ गये हों । मैं समझता हूं कि आई० सी० एस० आफिसर्स जो हैं उन में नैशनैलिटी आनी चाहिये । उन को समझ लेना चाहिये कि हमारा देश स्वतन्त्र हो गया है उनको अपनी पुरानी आदत सुधारनी चाहिये और अच्छी तरह से काम करना चाहिए । इस के लिए उन को स्ट्रिकट इंस्ट्रक्शन्स देने चाहिए ।

मेरी एक खास विनती और है और वह यह है कि एक सैपरेट मिनिस्ट्री अछूतों के लिये हो जाय तो हमारे लिये अच्छा हो जायगा, क्योंकि जैसे रिफ्यूजीज के लिये अलग रिफ्यूजी मिनिस्ट्री बनी है तो रिफ्यूजी काम के लिये कितना खर्च हो रहा है। उन के लिये तो बहुत खर्चा हो रहा है। उस दिन फायनैंस मिनिस्टर ने प्रश्न के जवाब में कहा कि रिफ्यूजीज के लिये हम कितनी सहूलियतें दे रहे हैं। लेकिन सच्चे रिफ्यूजी तो हम लोग हैं, सच्चे दरिद्र तो हम लोग हैं। हमारे लिये करोड़ों रुपये खर्च नहीं होते हैं तब तक आपकी पंचवर्षीय योजना सफल नहीं होगी, यह देखने में ही ठीक रहेगी।

एक बात मैं पंडित नेहरू जी से भी कहना चाहता हूं कि उनको अपना दिमाग शान्त रखना चाहिये। वह हमारे लिये कभी कुछ नहीं बोलते। हम कुछ कहते हैं तो वह कहते हैं कि यह जातिवाद है। यह जाति का झगड़ा नहीं है, यह मैं पंडित जी को याद दिलाना चाहता हूं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वित्त मंत्री यह समझ बैठे हैं कि जिस आय-व्ययक सम्बन्धी नीति का वह अनुसरण कर रहे हैं वह ही सर्वश्रेष्ठ है। परन्तु मैं उन के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं। मेरी सम्मति में एक अच्छे और सन्तोषजनक आयव्ययक के लिये दो बातें अत्यधिक आवश्यक हैं—एक तो यह कि उस में इस बात का ध्यान रखा गया हो कि देश में व्यय के लिये कुल कितनी पूंजी—सरकारी अथवा असरकारी—उपलब्ध है, और दूसरी यह कि उस में इस बात का भी ख्याल रखा गया हो कि क्या व्यय के लिये उपलब्ध यह कुल पूंजी पूर्ण नियोजन की मांगों को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगी। मैं कह सकता हूं कि इस दृष्टि से वित्त मंत्री की आयव्ययक सम्बन्धी नीति प्रगतिशील नहीं है। हम प्रस्तुत आयव्ययक को जनसाधारण का आयव्ययक नहीं कह सकते।

आज देश में बेकारी की दशा अत्यन्त गम्भीर है। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि उन्हों ने इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या ठोस उपाय किये हैं। ठीक तरीका तो यह होता कि वह आयव्ययक बनाते समय देश में व्यय के लिये उपलब्ध कुल सरकारी तथा असरकारी पूंजी का ख्याल रखते, केवल सरकारी का ही नहीं। इस दृष्टि से भी यह आयव्ययक असन्तोषजनक है।

सभी जगह, सरकारी कारखानों तथा विभागों में व असरकारी उद्योगों में भी छटनी की जा रही है और छटनी करते समय किसी एकरूप नीति के अनुसार नहीं चला जा रहा है। उदाहरणार्थ, रेल विभाग में यह नियम है कि एक साल की सेवा के बाद प्रत्येक कर्मचारी की स्थिति स्थायी कर्मचारियों की सी हो जाती है। यदि फिर उसे अलग भी किया जाता है तो उसे एक स्थायी कर्मचारी के अधिकार और विशेषाधिकार दिये जाते हैं। परन्तु अन्य बहुत सी जगह ऐसा नहीं किय जाता। अतः मैं चाहता हूं कि यह विभेद न रहे और छटनी के सम्बन्ध में नीति पूर्णतः स्पष्ट और एकसी हो।

बहुत से सदस्यों ने उद्योगों तथा उत्पादन के विकास की ओर तो निर्देश किया है, परन्तु उन्हों ने हमारे खनिज-सम्पत् के विकास के प्रश्न की चर्चा नहीं की है। सरकार ने इस खनिज-सम्पत् के लाभ उठाये जाने के सम्बन्ध में कोई नीति नहीं बनाई है। उस ने इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट योजना या कार्यक्रम भी तैयार नहीं किया है। उदाहरण के लिये, सरकार ने मैंगनीज़, क्रोमाइट आदि के उचित रूप से उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में कोई निश्चित कार्यवाही नहीं की है और न ही उसने 'कोकिंग कोल' का प्रयोग अधिक महत्वपूर्ण प्रयोजनों

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

के लिये ही किये जाने के बारे में कोई कदम उठाया है। इसी प्रकार देश के बहुत से स्वर्ण क्षेत्रों का भी लाभ नहीं उठाया गया है। राज्य या केन्द्रीय सरकार ने कोलर स्वर्ण क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के लिये भी कोई कार्यवाही नहीं की है और इस क्षेत्र को विदेशियों के सुपुर्द कर दिया है। अन्त में मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह सारे मामले की जांच करने के लिये एक खनिज विकास निगम स्थापित करें तथा समस्त खनिजों के निकाले जाने तथा प्रयोग किये जाने के बारे में एक योजना तैयार करें।

श्री सी० डी० देशमुख : इस वाद विवाद में भी लगभग वही बातें कही गई हैं जो सामान्य चर्चा में तथा दूसरी पढ़न में कही गई थीं और मैं उन बातों की चर्चा नहीं करूंगा जिन के सम्बन्ध में मैं उस समय बोला था।

जहां तक क्षतिपूर्ति का सम्बन्ध है, मैं ने जो कुछ कहा उस के अतिरिक्त कुछ और कह कर मैं इस उलझी हुई स्थिति को और उलझाना नहीं चाहता हूं। माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में अपने पक्ष की जो बात कही मैं उसे अपने ध्यान में रखूंगा।

श्री गिडवानी : आप कार्यवाही की रिपोर्ट देख सकते हैं।

श्री सी० डी० देशमख : श्री बसु ने जो कुछ कहा उस के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि रोज़गार के सम्बन्ध में उन का दृष्टिकोण दूषित है। उन्हों ने पटसन उद्योग के सम्बन्ध में जो कुछ कहा मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया। मैं ने तो केवल यह कहा था कि यह समस्या दोनों पहलुओं से जटिल ही दिखाई देती है। यदि हम चाहते हैं कि पटसन उद्योग को आधुनिक बनाया जाय जिस से कि पटसन उगाने वालों को अधिक आय हो तो इस के लिए बहुत से मज़दूरों को काम से हटाना पड़ेगा। यह समस्या आज हमारे सामने नहीं है परन्तु सच तो यह है कि इस के कारण हम पटसन के न्यूनतम मूल्य के सम्बन्ध में अधिक ठोस कार्यवाही नहीं कर सकते।

चाय के सम्बन्ध में मुझे इस बात की ओर संकेत करना पड़ेगा कि चाय के कई बाग़ तो फिर खुल गये हैं। इस का कारण यह है कि स्थिति में धीरे धीरे सुधार होता रहा है कुछ तो ऐसी बातों के कारण जो हमारे नियंत्रण से बाहर थीं और कुछ उस कार्यवाही के कारण जो हम ने की हैं या करना चाहते हैं।

रोज़गार के प्रश्न की श्री बसु ने ही नहीं कई सदस्यों ने चर्चा की है। यद्यपि यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि हम पूंजी के विनियोग की गति बढ़ाने के अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं। हम ऐसा कर रहे हैं, जिस का प्रमाण यह है कि हमारी आलोचना में यह कहा जा रहा है कि हम आय से अधिक खर्च कर रहे हैं जिस से जनसाधारण के जीवन स्तर को खतरा उत्पन्न हो गया है। हमारे एक ओर कुआं तो दूसरी ओर खाई है। यदि हम आय से अधिक खर्च करते हैं तो कहा जाता है कि हम जन-साधारण के जीवन-स्तर को खतरे में डाल रहे हैं और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो बेकारी की समस्या इतनी बड़ी रहती है जितनी कि पूंजी के विनियोग से भी रहती। मेरा अपना विचार यह है कि इस समस्या का हल सिवाए इस के कुछ और नहीं है कि आर्थिक विकास किया जाय और देश के आर्थिक विकास की गति तेज़ की जाय।

समय समय पर ऐसे आंकड़े बताए जा सकते हैं जिन से मालूम हो कि बेकारी कैसे घट या बढ़ रही है। सम्भव है कि यह बढ़ रही है या औद्योगिक झगड़ों के कारण बेकारी हो। परन्तु मेरा विचार है कि यदि किसी ने पूंजी के विनियोग की गति का ठीक

अनुमान लगाया हो तो बेकारी की समस्या को धीरे-धीरे काबू में किया जा सकता है।

विभिन्न व्यवस्थानों उदाहरण के लिए कपड़ा कमिश्नर के दफ्तर में से काम पर से हटाए गए लोगों की भी चर्चा की गई। मुझे पता चला है कि केवल १३० कर्मचारियों को छटनी का नोटिस मिला है परन्तु इस प्रश्न पर कि उन लोगों की संख्या कितनी है मैं माननीय सदस्य के साथ कोई झगड़ा नहीं करना चाहता। बात यह है कि वस्तुओं का अभाव दूर हो जाने पर नियंत्रण हटाने या उन में रूपभेद करने के फलस्वरूप, इन कार्यालयों में, जो कि इन नियंत्रणों के लिए खोले गए थे, कुछ न कुछ छटनी तो अनिवार्य है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : माननीय उद्योग मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन का क्या हुआ ?

श्री सी० डी० देशमुख : न केवल इस दफ्तर में बल्कि सभी सरकारी दफ्तरों आदि में छटनी में निकाले गए कर्मचारियों को पुनः काम पर लगाने के सम्बन्ध में सदा प्रयत्न किए जाते हैं और इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय ने नियम भी बनाये हैं। उदाहरण के लिए उन सब के नाम रोज़गार रजिस्ट्रों पर लिखे रहते हैं परन्तु नियम यह है कि उन्हें रोज़गार देने के प्रश्न पर पहले विचार किया जाय। उन्हें प्राथमिकता दी जाती है और यह प्रबन्ध किया गया है कि समय समय पर यह मालूम किया जाय कि एक क्षेत्र में काम पर से हटाये गए लोगों को दूसरे क्षेत्र में काम पर लगाया जा सकता है या नहीं। तो ऐसे लोगों की सहायता के सभी उपाय किए जाते हैं। परन्तु छटनी के बाद कुछ न कुछ बेकारी तो रहेगी ही परन्तु विनियोग के और स्रोत होंगे तो छटनी या अभिनवीकरण कैसे छोड़ा जा सकता है ? यह तो निश्चित ही है कि छटनी से जो बचत हो वही धन लगा दिया जाय तो अधिक लाभ होगा।

और फिर श्री बसु ने यह प्रश्न उठाया कि सहायक कम्पनियों को अतिरिक्त रियायतें दी गई हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि सारी बातों को देखते हुए विदेशी कम्पनियों को न तो लाभ होगा और न हानि। उन की शाखाओं पर कर की दर बढ़ा दी गई है और इसे बराबर करने के लिए सहायक कम्पनियों पर करों में कुछ कमी कर दी गई है।

सच तो यह है कि जहां तक इन शाखा कम्पनियों का सम्बन्ध है, उस अन्तर को कम करने या दूर ही करने के लिए जिस की ओर मैंने संकेत किया था, हमें फिर वृद्धि करनी पड़ेगी और सम्भव है कि अगले वर्ष कुछ ऐसी प्रस्थापनाएं हों जिन से केवल शाखाओं पर ही प्रभाव पड़े। तब हमें पता चलेगा कि हम उस अन्तर को दूर करने में सफल हुए हैं। इसलिए विदेशी विनियोगों को कोई इकतरफ़ा रियायत नहीं दी गई है।

श्री बसु ने सामान्य प्रकार के और जो विभिन्न मामले उठाए हैं, उन के उत्तर समय समय पर दिए जा चुके हैं और मेरा विचार है कि यह कहना ठीक नहीं है कि विदेशी विनियोगों से 'ज्ञान' की प्राप्ति में कोई कठिनाई होती है। जहां तक नए विनियोगों का सम्बन्ध है इस में सन्देह नहीं कि इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि हमारे अपने लोगों को उचित ट्रेनिंग मिले और हमारे अपने लोग जो पूंजी लगाते हैं, वे ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच सकें। वास्तव में देखा जाय तो पिछले पांच वर्ष में जो थोड़ी थोड़ी पूंजी लगाई गई है उस से मालूम होता है कि पूंजी देश में आई कम है और गई अधिक है। मेरा विचार है कि कुछ व्यापारी कम्पनियों में तो और फैलाव की गुंजाइश ही नहीं है। दूसरे शब्दों में इस का अर्थ यह है कि पूंजी

[श्री सी० डी० देशमुख]

नियंत्रण अधिकारी ऐसे किसी विदेशी विनियोग की अनुमति नहीं देते हैं जिस का उद्देश्य इस देश में कोई व्यापार करना ही हो। इसलिए, मेरा निवेदन है कि स्थिति इतनी खराब नहीं जितनी कि श्री बसु ने बताई है।

५ म० प०

और फिर उन्हों ने एक ऐसा सुझाव भी दिया जो मेरे विचार में देश के हित में नहीं है। और वह यह है कि विदेशी विनियोगों पर होने वाले लाभ की राशि का अनिवार्य रूप से फिर देश में ही लगाने के सम्बन्ध में जबर्दस्ती से काम लिया जाय। मेरे विचार में ऐसे मामलों में ज़ोर ज़बर्दस्ती से लाभ नहीं होता। हमारा अनुभव यह रहा है कि किसी पूंजी को खतरा न हो तो लोग उस पर होने वाले लाभ को भी इसी देश में लगाने में संतोष समझते हैं। परन्तु इसके विपरीत यदि पूंजी या लाभांश या धन के ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध लगने का डर हो तो इस बात की अधिक सम्भावना रहती है कि कोई पूंजी ही न लगाए।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : यहां भी चीन वाली बात हो सकती है।

श्री सी० डी० देशमुख : जहां तक मैं समझ पाया हूं चीन में कानून से बाहर के उपाय किए गए हैं और हमारी नीति यह नहीं है। हम ने हरेक के साथ न्यायपूर्ण बर्ताव करने का वचन दिया है और यह विश्वास दिलाया है कि जो भी इस देश में पूंजी लाएगा जब चाहे इसे वापिस ले जा सकता है। जो भी यहां लाभ कमाता है उसे अपने देश ले जा सकता है। मैं कभी इस बात को नहीं समझ सका लोगों को अपनी पूंजी पर हुए लाभ को बाहर ले जाने की अनुमति देने पर क्या आपत्ति हो सकती है। आंकड़ों को जोड़ कर सदा यह कहा जा सकता है—"लो भई ३० या ४० या ५० करोड़ हो गए।" जब हम पूंजी किराए पर लेते हैं, तो उस पर आय-कर ले कर बाकी बाहर भेजने की अनुमति क्यों न दें?

श्री नम्बियार : वह तो निरन्तर रूप से चलने वाली बात है। (अन्तर्बाधा)।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे पास अधिक समय नहीं है। अतः मुझे इन अन्तर्बाधाओं की ओर ध्यान नहीं देना चाहिये।

हां, जिस माननीय सदस्य ने उत्तर की प्रतीक्षा तक नहीं की, उन्होंने एक असाधारण शिकायत की थी। उन्होंने कुछ ऐसा बताया था—'खाल उतारना और धमकाना'। यदि खाल उतारने की ही बात है तो मेरे विचार में वह सोने की खाल होगी जिस से देश को बहुत सा धन मिलेगा। उन्होंने इस बात के वे सभी कारण इकट्ठे किये हैं जो उन के मत में देश के लिये खतरा पैदा कर सकते हैं। ठीक है, यदि उन्हें इस बात से कुछ संतोष मिलता है तो वह इस भांति में रहें। मुझे इस बात का पूरा पूरा विश्वास प्राप्त हो चुका है कि देश की आर्थिक स्थिति में बहुत अधिक सुधार हुआ है। और उन्होंने जो आंकड़े उद्धृत किये उन के सम्बन्ध में भी —यदि वे केवल नवीनतम आंकड़ों को देखने का कष्ट करेंगे — उन्हें यह विदित होगा कि बम्बई को छोड़ कर अन्य सभी केन्द्रों में निर्वाह-व्यय देशनांक भी घट चुका है। बम्बई की स्थिति निराली और विशेष है क्योंकि सब से बड़े उद्योग-केन्द्रों में से एक केन्द्र होने के नाते इसे अन्न सम्बन्धी सामग्री में बहुत बड़ी सहायता मिला करती थी। विगत वर्ष वह सहायता छीनी गई, इस लिये निर्वाह-व्यय देशनांक बढ़ गया। किन्तु

जैसा मैं बतला चुका हूं, बम्बई राज्य को छोड़ कर जहां भी वर्ष का खाद्य-देशांनक लगभग १२% बढ़ गया, वहां वहां निर्वाह-व्यय देशांनक उसी अनुपात से घटते गये। मैं वास्तविक आंकड़े उद्धृत कर के सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री यदि चाहें तो कुछ और मिनट तक बोलें।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे पास बहुत से आंकड़े हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं। मुझे निश्चय है कि वह बात अस्वीकृत नहीं हो सकती।

[**श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुईं]

मेरे विचार में ऐसी और कोई भी बात नहीं है जिस का उत्तर मुझे इस समय देना चाहिये, और इसीलिये, मैं अब अपने इन विचारों से ही संतुष्ट रहूंगा और यह प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा।

श्री के० के० बसु : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

सभापति महोदय : अब कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।

श्री के० के० बसु : इस एक प्रश्न का उत्तर तो दीजिये कि जब आयकर तथा अन्य विभागों में भर्ती हो रही थी तो उत्सर्जन विभाग से छांटे गये व्यक्तियों को वहां काम क्यों नहीं मिला जब कि वित्त मंत्री ने छंटनी में आय हुए कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसी बात कही थी।

श्री सी० डी० दशमूख : यदि माननीय सदस्य मेरे पास इस सारे का ब्यौरा भेज देंगे तो मैं अवश्य सहर्ष इस बात की जांच करूंगा। साधारण रूप से इस जैसे मामल पर विचार करना बहुत ही कठिन है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाय"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

केन्द्रीय आबकारी तथा नमक (संशोधन) विधेयक

खण्ड २—(प्रथम अनुसूची का संशोधन)

श्री नम्बियार (मयूरम्) : मैं ने सावधानी से इस विधेयक का अध्ययन किया है और मुझे पता चलता है कि चाय बागों के मालिकों को कुछ सहायता मिल रही है। ठीक है, किन्तु मुझे इस बात का संदेह है कि क्या यह सहायता उन कामकरों को ही मिलेगी जो छंटनी में आ चुके हैं। इस बात के विषय में अभी कोई भी जानकारी नहीं मिली है। मेरी तथा माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री की जानकारी के अनुसार अभी हाल में ११७ चाय बागात बन्द हुए जिस के परिणामस्वरूप लगभग ६०,००० व्यक्ति बेकार हुए। और अब यह सूचना मिली है कि उन बागों में से २३ बाग फिर से खोले गये हैं, शेष बाग बन्द पड़े हैं और उन व्यक्तियों में से ६०,००० व्यक्तियों को ही काम मिला है, और शेष ४०,००० अभी भी बेकार हैं, और मुझे इस बात का भी पता चला है कि इन बागों में उन्हें प्रति सप्ताह, केवल ४ दिन का काम मिलता है, और उन्हें कम दामों पर खाद्य की रसद देने का प्रबन्ध भी नहीं किया गया है। चुनांचे कई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा चुके हैं किन्तु किसी पर भी विचार नहीं हुआ। अब चाय बागों के मालिकों ने इस संकट स्थिति का सारा बोझ कामकरों पर ही डाल दिया है और अपना मुनाफा पहले जैसा रखा है। होता क्या है कि उन्हें ही यानी मालिकों को सब सहायता मिल जाती है। कामकरों पर यह सारा बोझ डाले जाने के बाद अब उपभोक्ताओं पर बोझ

[श्री नम्बियार]

पड़ने की बारी आती है। यदि सरकार हमें इस बात का आश्वासन दे कि कामकरों की सारी सुविधायें दी जायेंगी, बन्द पड़े बागों को फिर से खोला जाएगा और उपभोक्ताओं से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो मैं प्रस्तुत विधेयक का स्वागत करूंगा। मैं मानता हूं कि चाय बागों के मालिकों को सहायता दी जा सकती है, किन्तु मध्यस्थ— चाय मिलाने वाले और चाय को डिब्बों में बन्द करने वाले — इस सारे का बोझ उपभोक्ता पर ही डाल देंगे। अतः मूल्य बढ़ने का खतरा है, और उपभोक्ता पर बोझ पड़ने का भी खतरा है। हां यह भी है कि सुविधाओं के पुनः दिये जाने का कोई आश्वासन भी हमें नहीं मिल पा रहा है। अतएव यदि सरकार इन सब बातों को पूरा करने का आश्वासन दे तो इस विधेयक को सफलता प्राप्त होगी। अन्यथा, चाय बागों के मालिक फिर वही स्थिति पैदा करेंगे। हां, कामकरों को भी अपने अपने स्थान पर रहना पड़ेगा। मुझे इतना ही कहना है, और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बात पर विचार कर के हमें इन बातों का आश्वासन दिला देगी। अन्यथा, प्रस्तुत विधेयक निरर्थक सिद्ध होगा और हमें इसका विरोध करना पड़ेगा।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : विगत कई महीनों से जिस उद्योग पर इतना संकट टूट पड़ा है, उसकी सहायता के हित यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है, अतः मैं इसका स्वागत करता हूं। किन्तु मुझ दो एक बातों में सन्देह है। विधेयक प्रस्तुत करते समय माननीय वित्त मंत्री ने बताया कि शुल्क के दरों में इस प्रकार का परिवर्त्तन होने से सरकार के राजस्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्तु दिनांक १६ के 'कैपिटल' के आंकड़े से मुझे यह पता चलता है कि चाय उद्योग के शुल्कों से सरकार को जो भी आय प्राप्त होगी, उसमें ७ या ८% घाटा हो जायगा। यदि इस घाटे से चाय बागों को कोई सहायता मिलती हो तो मुझे इस कमी की कोई भी चिन्ता नहीं, किन्तु इस विषय में भी मुझे कुछ संदेह है जो चाय उद्योग पर सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी दल की रिपोर्ट पर आधारित हैं। चुनाचि आबकारी शुल्क को कम करने या उड़ाने पर चर्चा करते समय, उन्हों ने रिपोर्ट के परा ९४ में बहुत सी बारीकियों पर विचार प्रकट किया है और बताया है कि "मन्दे बाज़ार में उत्पादकों को इस कटौती का अधिक लाभ प्राप्त नहीं होगा।"

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : अब तो बाज़ार तेज़ है।

श्री बंसल : ठीक है, श्रीमान्। मैं विधेयक का विरोध तो नहीं कर रहा ; मैं आपका ध्यान कई बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ताकि वैसी स्थिति आ जाने पर आप सतर्क हों।

हां, दूसरे यह कि इस परिवर्तन से खुली चाय के बाज़ार में तज़ी आ तो जाएगी, किन्तु मुझे इस बात में संदेह है कि इस प्रकार उद्योग का भला भी हो सकेगा या नहीं। मेरे संदेह १९५० में नियुक्त चाय विषयक तरर्थ समिति की रिपोर्ट पर आधारित हैं। उक्त रिपोर्ट के पृष्ठ ८४ और ८५ पर चाय मिलान तथा डिब्बों में बन्द करने की विधि पर चर्चा की गई है। बार बार इस बात का उल्लेख हो चुका है कि चाय को महकदार और ताज़ा रखने एंव अधिक बिकाऊ बनाने के लिये अच्छे ढंग से बन्द करना बहुत ही आवश्यक है। तो चाय शुल्क में कटौती होने से खुली चाय पर प्रभाव तो पड़ेगा किन्तु इस से घटिय

और बेमहक चाय बाज़ार में आने लगेगी जिस से चाय के उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतएव, मैं माननीय वाणिज्य मंत्री और वित्त मंत्री से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि वह हर सब बातों का ध्यान रख, और यदि उन्हें इस बात का पता चले कि इस पद्धति से भी चाय उगाने वालों को कोई सहायता नहीं मिल रही है और चाय की किस्म पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो मुझे इस बात का निश्चय है कि वे इस नीति को बदल देंगे और ऐसा काम करेंगे जिस से उत्पादकों को लाभ हो।

श्री एच० एन० शास्त्री (ज़िला कानपुर--मध्य): मुझे पता लगा है कि इस उद्योग को कुछ वर्षों से लगातार किसी न किसी रूप में सहायता दी जा रही है। परन्तु सहायता देने से मज़दूरों या उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं हुआ है। १९५२ में जब चाय मज़दूरों के लिये न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित कर दी गई थी तो उसके तुरन्त ही बाद मज़दूरों को अनाज के लिये मिलने वाला भत्ता बन्द कर दिया गया था। इस प्रकार केवल आसाम में ही चाय उद्योग को लगभग १४,००० रुपये प्रति दिन की बचत हो गई थी। परन्तु मज़दूरों को कोई लाभ नहीं हुआ। अन्य प्रकार से भी चाय उद्योग को काफी बचत हुई है। अब इस विधेयक के पारित हो जाने पर, मेरे विचार में इस उद्योग को लगभग ७ करोड़ रुपये वार्षिक का लाभ होगा। यह आंकड़े मैं ने १९५१ के उत्पादन के आधार पर लगाये हैं। यदि चाय उद्योग को लाभ होता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है किन्तु मेरा तो केवल इतना निवेदन है कि ४० हज़ार बेकार मजदूरों को काम मिले जो कि इसमें लगे हुए थे।

दूसरी बात यह है कि अनाज के बारे में रियायत हटा देने से मज़दूरों की मज़दूरी में जो कमी हुई है क्या वह पूरी हो जायेगी?

तीसरे यह कि कुछ फर्में सप्ताह में केवल तीन या चार ही दिन काम करती हैं इस प्रकार मज़दूरों को पूरा काम नहीं मिल पाता है। यह कठिनाई दूर होनी चाहिये।

अन्त में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इससे उपभोक्ताओं को सस्ती चाय मिल सकेगी।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे चाय उद्योग फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। इससे चाय बागीचों में काम करने वाले मज़दूरों को भी लाभ पहुंचेगा। चाय बागीचों के मालिक यह चाहते थे कि चाय को तैयार करने वालों से सारा उत्पाद कर लिया जाये। सरकार ने इस विधेयक द्वारा यह बात भी मान ली है। यद्यपि कागज़ पर अब भी लिखा हुआ है कि मज़दूरों को १७ रुपये प्रति मन के हिसाब से चावल मिलेगा किन्तु, वास्तव में, उन्हें पुरानी रियायती दरों पर ही चावल मिल रहा है। चाय बागीचों के मालिकों को मालूम है कि यदि उन्होंने ऐसा न किया तो मज़दूर काम पर नहीं आयेंगे।

फिर भी, मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं हम अधिक दिनों तक विदेशी बाज़ार पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। अब हमारा मुकाबला करने वाले अनेक देश हो गये हैं। जब कि हम ने उत्पादकर लेना केवल स्थगित ही किया है तब इन्डोनेशिया, जावा, लंका तथा पाकिस्तान जैसे देशों ने उत्पादकर लेना ही छोड़ दिया है। इस

[श्री आर० के० चौधरी]

प्रकार उनसे विदेशों में मुकाबला करना बहुत कठिन होगा । इसके अलावा हमें अपने देश में भी चाय पीने की आदत को बढ़ावा देना चाहिये । चाय के सम्बन्ध में प्रचार किया जाना चाहिये । मेरा सुझाव है कि स्वयं सरकार चाय लेकर उसका उचित मूल्य पर वितरण करे । क्योंकि हमें जो चाय मिलती है वह अच्छी किस्म की नहीं होती तथा महंगी भी मिलती है । विदेशों में हमारी चाय सस्ती बिकती है तथा उसकी किस्म भी अच्छी होती है । अतएव, मेरा निवेदन है कि सरकार इन दोनों सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार करे ।

श्री एस० सी० देव (कचार-लुशाई पहाड़ियां) : आजकल बाज़ार में रद्दी चाय काफ़ी मात्रा में बेची जा रही है । मैं चाहता हूं कि इसके बेचे जाने पर रोक लगाई जाये ।

आज चाय पर अनुसंधान करने के बारे में एक प्रश्न उठाया गया ।

यद्यपि तोकलाई इंडस्टीट्यूट चाय के संबंध में अनुसंधान करता है, फिर भी मैं चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में बड़े पैमाने पर अनुसंधान कराने का प्रयत्न करे । दूसरे, मैं पूछना चाहता हूं कि क्य इस विधेयक से चाय बगीचों में काम करने वाले मज़दूरों को कोई लाभ पहुंचेगा ? मैं चाहता हूं कि इस बात को भी स्पष्ट किया जाये ।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

आजकल बाज़ार में खुली चाय बिक रही है । अक्सर ऐसा होता है कि खुले रहने के कारण वह ख़राब हो जाती है और धूल-मिट्टी गिर जाने से भी उसके गुण कम हो जाते हैं । लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस प्रकार चाय के बेचने को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये ।

चाय किस प्रकार से तैयार की जाती है इसे मैं अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि मैं ऐसी जगह का रहने वाला हूं जहां पर सारे देश में पैदा होने वाली चाय का पांचवा भाग पैदा किया जाता है । चाय बग़ीचों में जितनी चाय पैदा की जाती है उसका ९० प्रतिशत भाग कलकत्ते के गोदामों में भेजा जाता है जहां उसका नीलाम होता है । परन्तु इन गोदामों में भरी चाय सारी बाहर नहीं भेजी जाती; इसका एक तिहाई भाग आन्तरिक खपत के लिये निकाला जाता है । सीधे बाग़ीचों से तो बिक्री के लिये चाय बहुत कम आती है । इसलिये मुझे आशंका है कि यदि शुल्क में एक आने की कमी कर दी गई तो अधिकतर चाय को जो आन्तरिक खपत के लिये रखी जाती है या जिसके निर्यात किये जाने की संभावना नहीं होती, खुली चाय के रूप में बेच दया जायेगा और सरकार भी इस पर कर नहीं लगा सकेगी । एक बात तो यह है ।

दूसरी बात यह है कि केन्द्रीय चाय बोर्ड से इस चीज़ का पता लगाया जाये कि विधेयक में चाय की जो परिभाषा दी गई है क्या उस से जैसा कि माननीय मंत्री चाहते हैं चाय उगाने वालों या उद्योग को कोई लाभ होगा । यहां जो परिभाषा की गई है उसमें चाय के दो भेद किये गये हैं। एक चाय वो जो डिब्बों में बन्द की जाती है और दूसरी वो जिसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है यानी खुली चाय । डिब्बों में बन्द चाय वह चाय मानी गयी है जो किसी भी प्रकार के डिब्बे में बन्द की गई

हो । यह परिभाषा उतनी व्यापक है कि इसमें सब तरह की चाय आ जाती है । बग़ीचे से गोदाम भी तो चाय को किसी में बन्द करके ही लाया जायेगा । इस तरह की परिभाषा से चाय बग़ीचा मालिकों को कोई लाभ नहीं होगा ।

मेरे माननीय मित्र श्री बंसल का कहना है कि यदि वह किसी डिब्बे में साठ पौंड से अधिक होगी तो उस पर शुल्क नहीं देना होगा । परन्तु उस चाय का क्या होगा जो कलकत्ते के गोदामों में नीलाम के लिये लाई जायेगी ? उसको तो प्रमाणित डिब्बों में ही भरना होगा ।

अभी तक दो ही प्रकार के प्रमाणित बक्स रहे हैं, एक तो साठ ६० पौंड के तथा दूसरे कम मात्रा वाले । उन्हें चाय के बाग़ात में ही बन्द करना पड़ता है । बाद में चाय को बड़ी छोटी पत्ती के विचार से विभिन्न नाम दिए जाते हैं । सब से अधिक उपज वर्षा ऋतु में होती है । अच्छी प्रकार से बन्द न करने से चाय खराब हो जाती है तथा प्रयोग के योग्य नहीं रहती है । मैं समझता हूं कि इस से उत्पादक को कोई लाभ पहुंचेगा । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री चाय संघ या चाय बोर्ड से परामर्श करेंगे तथा किसी संशोधन या आदेश द्वारा इसे समुचित प्रकार का बनाएंगे ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मुझे प्रसन्नता है कि सदन के अधिकांश भागों ने इस विधेयक का स्वागत किया है । विभिन्न भाषणों को सुनकर आम जनता की भलाई के निमित्त विभिन्न हितों के परस्पर समायोजन की वांछनीयता का पता लग जाता है । श्रम, निर्माता, उत्पादक तथा उपभोक्ता के पक्ष में यहां काफ़ी कुछ कहा गया है तथा मैं समझता हूं कि इन तीनों के हितों की सुरक्षा के यह सर्वोत्तम प्रबन्ध हैं ।

मैं समझता हूं कि श्रम ने अपने दृष्टिकोण को बहुत बढ़ चढ़कर प्रस्तुत किया ह । एक समय था कि वे उत्पादकों से अपनी शर्तें मनवा सकते थे क्योंकि अन्तिम रूप से संकट का कारण विदेशों में विक्रय की कठिनाई था । अतएव यह उत्पादन में कमी का संकट था । ऐसे संकट के समय म अलग अलग होना मुश्किल है, तथा मैं समझता हूं कि श्रम को सर्वोत्तम शर्तें मनवाने के लिए और उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करना चाहिये थी । अस्तु, चाहे हमारे प्रयत्नों से या बाहिरी प्रभावों से, जब कभी स्थिति सुधरेगी तो श्रम को नई समृद्धि में भाग का मिलना निश्चित है । मैं उनकी ओर से कोई आश्वासन नहीं दे सकता । मैं तो स्थिति का कुछ पूर्वकथन ही कर सकता हूं ।

बागात के बन्द करने तथा छटनी के बारे में वास्तविक स्थिति इस प्रकार से है । यद्यपि १०७ बाग़ात के बन्द हो जाने की पूर्व सूचना दी थी, वस्तुतः ९४ ही बन्द हुए थे । कुल ६३,४९० पर प्रभाव पड़ा था । तब से ४२ बाग़ात ने फिर काम करना आरम्भ कर दिया है जिनमें ३९,२२८ मज़दूर काम करते हैं । अतएव १५ अप्रैल के दिन ५२ बाग़ात बन्द थे तथा २४,२६२ मज़दूर बिना काम के थे ।

श्री गाडगिल : यह भी कोई कम संख्या नहीं है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे विश्वास है कि स्थिति में क्रमशः सुधार होने से इनमें से बहुत से बाग़ात खुल जायेंगे तथा बेकार मज़दूरों को वापिस काम म ले लिया जायगा । मैं इतना नहीं कह सकता कि क्या उन्हें

[श्री सी० डी० देशमुख]

सारा समय काम पर रखा जा सकेगा या केवल कुछ भाग के लिए ।

कुछ क्षेत्रों को दूसरों की तुलना पर अधिक हानि हुई है तथा मैं समझता हूं कि आसाम की दशा सब से अधिक खराब है ।

और प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या इस विधेयक से उत्पादक को लाभ पहुंचेगा या नहीं । यद्यपि इस प्रकार के मामले में निश्चित सिद्धान्त के अनुसार कुछ नहीं कहा जा सकता, फिर भी हमारी आशा है कि उन्हें बहुत लाभ पहुंचेगा ।

श्री बर्मन ने बागात से चाय को खुले रूप से भेजने तथा शुल्क की पूर्णतः हा के बारे में कुछ संशय प्रकट किये हैं । मैं समझता हूं कि विनियमों में इस प्रकार की स्थिति पर देख रेख करने की हमें काफ़ी शक्ति प्राप्त है क्योंकि सभी चाय बन्द करने वालों को लाइसेन्स-प्राप्त होना पड़ेगा तथा विनियमों के अन्तर्गत खुली चाय के बेचने वालों पर भी देख रेख की जा सकेगी जिससे बन्द करने वालों तथा बेचने वालों को लाइसेन्स प्राप्त होना पड़ेगा जिस से इस प्रकार की स्थिति पर तथा बन्द चाय के स्थान पर खुले चाय के विक्रय पर देख रेख कर सकेंगे । हमें आशा है कि खुली चाय को बहुत अधिक मात्रा में बन्द चाय के स्थान पर नहीं बेचा जायगा । कारण यह कि ऐसे मामलों में भाग्यवश लोग अपनी पसंद की चाय खरीदते हैं तथा सामान्यता अपनी पसन्द के अतिरिक्त दूसरी वस्तु को नहीं खरीदते ।

इस बात पर ध्यान दिया जाय कि एक आने का जो अतिरिक्त भार रखा गया है, वह चाय की कीमतों को जो २/८/- रु० से चार रु० तक हैं, सामने रखते हुए कोई बहुत अधिक नहीं है तथा मुझे सन्देह पड़ता है कि लोग खुली चाय का प्रयोग करना आरम्भ नहीं करेंगे तथा वह भी केवल इस थोड़ी सी वृद्धि के लिए ।

अगला प्रश्न भी बहुत कठिन है कि क्या उपभोक्ता को इसका कोई लाभ पहुंचेगा अथवा कि यह वृद्धि उसे प्रभावित भी करेगी । सम्भवतः दोनों बातें ही होंगी । हो सकता है कि वृद्धि के कुछ अंश का विक्रेता पर बोझ पड़े तथा उपभोक्ता पर नहीं । प्रत्येक अवस्था में इस मामले से हमें बहुत अधिक चिन्ता नहीं होनी चाहिये । यदि हम ऐसा समझते हैं कि इस विधेयक से चाय के बाग़ात को सहायता मिलनी चाहिये तो इसकी काफ़ी सम्भावना है ।

श्री शास्त्री ने मुझ से निश्चित आश्वासन मांगा है । एक तो इस बारे में कि क्या श्रम को लाभ पहुंचेगा ? मैं ऐसी आशा करता हूं, शर्त यह है कि इस विधेयक से बाग़ात की अवस्था सुधरे । दूसरे यह कि क्या इससे व्यर्थ के नाश को रोका जा सकेगा ? मैं केवल एक बुद्धिमत्तापूर्ण पूर्वकथन ही कर सकता हूं कि यदि उद्योग की हालत ठीक हो जाय तो श्रम को अधिक भाग के मिलने की सम्भावना है । उपभोक्ता के सम्बन्ध म मैं प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुका हूं । जहां तक आर्थिक सहायता का सम्बन्ध है, यह किसी को नहीं दी गई । मैं अपने प्रस्ताव को आपकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न है कि :

"खण्ड २ विधेयक का अंग बने" ।

खण्ड २ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड १ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बना लिए गए ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित कर दिया जाय ।"

सभापति महोदय : प्रश्न है कि :

"विधेयक को पारित कर दिया जाय" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दो सदस्यों का निरोध

सभापति महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे ज़िला मैजिस्ट्रेट, जालन्धर से यह पत्र प्राप्त हुआ है :—

सेवा में

अध्यक्ष महोदय,

भारत संसद्, नई दिल्ली ।

संख्या २६९/एस टी, दिनांक १७ अप्रल, १९५३ ।

श्रीमान्,

मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि १९५१, १९५२ के निवारक निरोध संशोधन अधिनियमों द्वारा संशोधित निवारक निरोध अधिनियम, १९५० की धारा ३ (२) को इसी धारा की उपधारा (१) के खण्ड (क) (२) के साथ लेते हुए अपने अधिकारों के अन्तर्गत मैं ने भारत संसद् के निम्न सदस्यों के निरोध के आदेशों का देना अपना कर्त्तव्य समझा है । उन्हें इन आदेशों के अनुसार आज सायंकाल को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इस समय जालन्धर ज़िला जेल में रखा गया है .

(१) श्री वी० पी० देशपांडे, संसद् सदस्य, महा सचिव, अखिल भारत हिन्दू महासभा ।

(२) श्री यू० एम० त्रिवेदी संसद् सदस्य, खज़ानची, भारतीय जन संघ ।

भवदीय

हस्ताक्षर (चान्द नारायण)

ज़िला मैजिस्ट्रेट

जालन्धर ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक सोमवार २० अप्रैल, १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।